खण्ड-223, अंक-6
गुरूवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1883
(27 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२९

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि ,श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर , श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम नाटा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद, कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दातारास चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसादमिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंहबिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्दसिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानीमिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजू राम, श्री
ब्रजनारायणतिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसादवर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसादश्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधरकुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मदसुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री

रामलखनमिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बैद्य, श्री
रामसुन्दरपांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपयादव, श्री
रामस्वरूपवर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव क्षेम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसादनागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुलतानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में कोयले की कमी

****१—श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद में कोयले की कमी के कारण वहां के जितने भी कोल डिपो थे सब बन्द हो गये हैं ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)—कोल डिपो से कोयले की आम बिक्री अवश्य बन्द है लेकिन रिजर्व स्टाक से आवश्यक मांगें पूरी की जा रही हैं।

****२—श्री कल्याणचन्द मोहिले**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कोयले का प्रबन्ध कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री धर्मसिंह—कोल कन्ट्रोलर से अनुरोध किया गया है कि वे ७५ वैगन का एक रेक इस माह में इलाहाबाद को भेजें। परन्तु हमारे लाइजन आफिसर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि शायद आधा रेक ही सम्भव हो पायेगा। इसके अतिरिक्त मई के माह के लिये भी इलाहाबाद को आधा रेक भेजने का प्रोग्राम भेजा गया है।

****३—श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में कोयले का रिजर्व स्टाक कितना है तथा इस समय वहां कितना रिजर्व स्टाक में है ?

श्री धर्मसिंह—इलाहाबाद में आम तौर पर कोयले का रिजर्व स्टाक ४० क्यून्टल प्रत्येक डिपो के हिसाब से रखा जाता है जो लगभग २,२०० क्यून्टल होता है। परन्तु कोयले की कमी के कारण इस समय केवल १,०७५ क्यून्टल ही रिजर्व में है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की कमी की सूचना इलाहाबाद के जिलाधीश ने सरकार के पास कब भेजी और सरकार ने उसके लिये लिखा पढ़ी कब की ?

श्री धर्मसिंह—कोयले की कमी तो प्रदेश में हर जगह है। जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है, वहां पर भी कमी की सूचना प्राप्त हुई और उसके आधार पर लिखा गया कि किसी तरह इस कमी को पूरा किया जाय। जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, हमको कुछ आश्वासन भी मिला है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोल डिपो से कोयला न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—नियमों के अनुसार जितना कोयला रिजर्व में रहना चाहिये, कोल डिपो में अगर उससे ज्यादा होता है तो वहां से दिया जाता है। थोड़ा बहुत रिजर्व में भी रखा जाता है ताकि अमर्जेन्सी पड़ने पर काम आ सके।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि इलाहाबाद में प्रति दिन कितने कोयले की खपत है और कितना कोयला लोगों को दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---कोयले के वितरण के लिये नियम बने हुए हैं और उसके अनुसार कोयला बांटा जाता है। प्रत्येक फैमिली के लिये ४ यूनिट तक ५० किलोग्राम्स कोयला हर महीने दिया जाता है। ४ यूनिट से ज्यादा के लिये १०० किलोग्राम्स दिया जाता है। अब कितनी लगत है वहां इसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिजर्व स्टाक इलाहाबाद नगर में एक ही जगह है अथवा कई जगह? अगर एक जगह है तो उससे लोगों को जो असुविधा होती है उसको सरकार दूर करने का प्रयत्न करेगी?

श्री धर्मसिंह---इलाहाबाद में इस समय ५५ कोल डिपो हैं जो कि अलग-अलग स्थानों पर हैं। कोटा जो आता है वह अलग-अलग आता है। उनसे यह कहा जाता है कि आप इतना रिजर्व में रखिये। नियमों के अनुसार उसको बांटा जाता है।

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी व्यय की वसूली

४---श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या फर्रुखाबाद जिले में अक्तूबर, १९६० की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में चकबन्दी का खर्च एकमुश्त वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे किस्तों में वसूल करने पर विचार करेगी?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---चकबन्दी व्यय की वसूली दो किस्तों में किये जाने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश जुलाई, १९६० में जारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुसार फर्रुखाबाद जिले में एक मुश्त वसूली दूसरी किस्त के समय उन खातेदारों से की गई जिन्होंने पहली किस्त का रुपया नहीं अदा किया था।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार को ज्ञात है कि अब भी ऐसे काश्तकार हैं जो दोनों किस्तों को अदायगी नहीं कर पाये हैं? अगर हां, तो क्या सरकार उनसे दो किस्तों में वसूल करने की कृपा करेगी?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अगर पहली किस्त नहीं दी है तो दोनों को एक साथ वसूल किया जायेगा।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार उन लोगों से, जो पिछले साल बाढ़ के कारण बरबाद हो गये थे और पहली किस्त अदा नहीं कर पाये, दो किस्तों में उसकी वसूली करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कंसालिडेशन ऐक्ट में हमको अधिकार नहीं है कि ऐसी कैलेमिटी में हम स्टे कर दें।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्टे करने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या यह सही है कि वहां के काश्तकारों ने सरकार से प्रार्थना की है कि चकबन्दी का खर्चा अदा करने को तैयार है, लेकिन हमारी माली हालत बाढ़ की वजह से गिर गयी है, लिहाजा इंस्टालमेंट कर दिये जायं? तो क्या दो इंस्टालमेंट में वसूली कराने का आर्डर जारी करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई हमारे पास दरख्वास्त नहीं आयी है। कलेक्टर की रिपोर्ट है कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है।

मोहनलालगंज तहसील में चकबन्दी व्यय दोबारा वसूल करने की शिकायत

५--श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ), **श्री खयालीराम** (जिला लखनऊ) तथा **श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में इस समय चकबन्दी फीस की दूनी (double) रकम काश्तकारों से वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव--दूनी रकम वसूल नहीं की जा रही है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामशरण यादव--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मोहनलालगंज और निगोहां के आस-पास के कई गांवों में जो रकम पहले वसूल हो चुकी थी और गलतफहमी की वजह से एस० सी० ओ० के दफ्तर में जमाबन्दी खो जाने से दोबारा जमाबन्दी बनायी गयी जिससे दूनी रकम किसानों पर पड़ गयी, ऐसी कोई सूचना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दोबारा वसूल की गयी हो।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर ऐसी कोई सूचना नहीं है तो प्रश्न भी इसीलिये किया गया था कि मंत्री जी सूचना प्राप्त करके सूचना दें? अगर फिर भी नहीं है, तो वह जमाबन्दी जो एक दफा पहले बन चुकी थी और फिर बनाकर दोबारा वसूली हो गयी तो क्या दोनों जमाबन्दियों को मंगाकर और देखकर तब सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दोबारा वसूल करने की सूचना नहीं है।

रिहन्द डूब क्षेत्र के निवासियों की मांगें

६--श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या यह सही है कि गत ६ अप्रैल को या आगे पीछे स्वायत्त शासन मन्त्री तथा विद्युत उप मंत्री को रिहन्द डूब क्षेत्र के निवासियों की ओर से स्मृति-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उनकी दशा सुधारने का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार ने क्या आश्वासन दिया है?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--जी हां। उक्त स्मृति पत्रों में विस्थापितों की मुख्य मांगें पुनर्वास क्षेत्र में कृषि के लिये भूमि, पीने तथा सिंचाई के पानी की सुविधा, जमीन से खूटों का निकलवाना मकान बनाने की सुविधायें, पक्की सड़कों, स्कूल, अस्पताल, डाकघर, पंचायतघर, बाजार इत्यादि की सुविधायें तथा अपनी डूबी हुई जमीनों के उचित प्रतिकर के सम्बन्ध में हैं। आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विस्थापितों से सरकार को भी पूर्ण सहानुभूति है और समय-समय आवश्यक सुविधा देती रहती है और पहले से ही उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो मुख्य-मुख्य मांग अभी मंत्री जी गिना गये हैं, इन मुख्य-मुख्य मांगों में से सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा करना, पुनर्वास के लिये कृषि योग्य भूमि देना, मकान बनाने के लिये जमीन देना, इन के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या किया गया है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---काफी काम वहां हुआ। फारेस्ट से जमीन लेकर जमीन दे दी गयी और जो मआवजा मिला उसके अतिरिक्त यह हुआ है कि अब तक काश्तकार को उसकी भूमि का २/३ या सवा छः एकड़ ज्यादा से ज्यादा तक पुनर्वास के लिये बिला लगान दिया जाता था। फिर मकान बनाने के लिये भूमि दी गयी। कुएं बनाने के लिये काफी काम किया गया है और १९५७ से १२ कुएं बन चुके हैं। इसके साथ-साथ पुनर्वास के लिये जो जमीन से खूंटी उखाड़ने वाली बात है तो १०० रुपया प्रत्येक आदमी को दिये गये है जिससे वहां की जमीन से पूरी खूंटी उखड़ जायेंगी।

यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जितने हमारे प्लानिंग के डिपार्टमेंट हैं वे सब वहां काम करें। स्कूल वहां बनाये जा रहे हैं और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा था कि कई स्कूल वहां तैयार हो गये थे। एक चीज यह भी थी कि वहां जो कुएं बनें, उनके साथ बन्धियां बना दी जायं। तो यह भी आदेश है कि कुओं के साथ बंधियां बनायी जायं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि सरकारी नियम यह है कि जब कहीं से कोई हटाया जाय तो पहले उसके लिये पानी, अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था कर देनी चाहिये? तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले उन लोगों को वहां बसा दिया गया, तब दूसरे प्रबंध किये गये या पहले इन्तजाम कर दिया गया तब उनको वहां बसाया गया था?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---यह बड़े दुख की बात है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह इन्तजाम पहले वहां नहीं हुआ था।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब भी वहां ऐसे विस्थापित हैं जिनको जमीन नहीं मिली है? ऐसे आदमी कितने हैं और उनके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी हां, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। उनको मकान बनाने के लिये जमीन दी गयी है लेकिन ये लोग वही हैं जिनके पास पहले भी भूमि नहीं थी लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ और जमीन लेकर उनको दिये जाने के बारे में सोचा जा रहा है

तारांकित प्रश्न

[सहकारिता मंत्री की प्रार्थना पर ह्वे सोमवार (२४-४-६१) के स्थगित प्रश्न १७-२० जो २७-४-६१ के लिये निर्धारित किये गये।]

गोरखपुर जिले के सहकारी बैंक तथा सहकारी फेडरेशन में अनियमितायें

*२७---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को गोरखपुर से कोई पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है जिसमें जिले के सहकारी बैंक तथा सहकारी फेडरेशन के प्रबन्ध संचालक तथा संचालक मंडल द्वारा की गई अनियमिताओं तथा आर्थिक गोलमाल पर प्रकाश डाला गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतिलिपि तथा उस पर की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---कथित पत्र की प्रतिलिपि और उसमें की हुई मुख्य शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्योरा मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ५३६-५३८ पर)

श्री मदन पांडेय---अध्यक्ष महोदय, जो पत्र की प्रतिलिपि दी गयी है उसके पैरा ३ में यह लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार महोदय से जब कहा गया तो इन शिकायतों के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब एस० वी०, सरन साहब से कई बार कहा गया तो विभाग के अधिकारियों ने उस पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया। तो इस पत्र के पैरा ३ के बारे में क्या कार्यवाही हुई जिसका आशय मैंने बताया है? इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सरन साहब के यहां फैसले में जरूर देर हुई। एक बार वे बीमार हो गये थे और दूसरी बार बाढ़ आ जाने के कारण वे अपीलों की सुनवाई नहीं कर सके।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जवाब तलब करने के बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ उससे भी यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कई हजार रुपये की गड़बड़ी है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यह शिकायत की गयी है, क्योंकि वह जिम्मेदारी के पद पर है, क्या सरकार उनको उस पद से हटाने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, धारा ४४ और नियम ३१ के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जवाब मांगा जाता है, फिर चार्जशीट दी जाती है और उसके बाद कार्यवाही की जाती है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी संबंधित पत्र की मुख्य-मुख्य बातों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, शिकायती पत्र गोरखपुर जिले के सहकारी बैंक, फेडरेशन तथा कंज्यूमर्स स्टोर में अनियमितताओं तथा धन के दुरुपयोग के बारे में था।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे अनियमिततायें क्या हैं, और क्या उसमें कुछ गबन भी हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जहां तक डिस्ट्रिक्ट बैंक का सवाल है मैंने जैसा कि उत्तर दिया उनको चार्जशीट दी गयी है कि ये अनियमिततायें बतायी जाती हैं, उनके बारे में उनका जवाब मांगा गया है। यह क्वासी जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हो जायंगी, उसमें चार्जशीट लगेगी, जवाब आयेगा और उसके बाद उस पर विचार करके कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---प्रश्न में अनियमितताओं और आर्थिक गोलमाल की चर्चा की गयी है। मंत्री महोदय ने अनियमितताओं का वर्णन किया। मैं जानना चाहता हूं कि अनियमिततायें और आर्थिक गोलमाल एक चीज है अथवा अलग-अलग? यदि अलग-अलग हैं तो उसका अन्तर क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव---अनियमितता तो यह हो सकती है कि किसी ने जीप या टेलीफोन का दुरुपयोग किया, लेकिन अगर कहीं से रुपये की गड़बड़ी की गयी है तो वह गबन है। दोनों के बारे में जो जरूरी कार्यवाही है वह की जा रही है।

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक संबंधित जांच रिपोर्ट

*१८---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायगी कि क्या फरवरी, १९६० में गोरखपुर जिला सहकारी बैंक की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जांच कराई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां—

एक सूची मेज पर रक्खी है।

*१९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त जांच के सम्बन्ध में उक्त बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक सूची मेज पर रक्खी है।

*२०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त जांच रिपोर्ट पर डिप्टी रजिस्ट्रार, गोरखपुर ने भी अपना कमेंट दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमेंट की खास-खास बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—डिप्टी रजिस्ट्रार ने (उन मामलों को छोड़ कर जिन में मुकदमें चल रहे हैं या आरबीट्रेशन की अपीलें दायर हैं) लगभग हर मामले में श्री ए० पी० वर्मा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्पष्टीकरण मैनेजिंग डाइरेक्टर, सहकारी बैंक की तरफ से आया है उसके अन्त में उन्होंने लिखा है कि श्री के० जी० सक्सेना के सभी आरोप निराधार व झूठे हैं तथा उनके प्रति इनसल्टिंग हैं, इसकी जांच की जाय और आरोप लगाने वाले को उचित दंड दिया जाय ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी जांच कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो श्री एस० बी० सरन के अलावा किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमान्, बैंक के बारे में जो श्री सक्सेना की रिपोर्ट थी उसके बारे में डिप्टी रजिस्ट्रार ने जांच कर ली और जांच के बाद, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया, धारा ४४ और नियम ३३ के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि फेडरेशन के सहकारी बैंक और कंज्यूमर्स स्टोर्स में करीब ४५ हजार रुपये की गड़बड़ी है, इसलिये गड़बड़ी के लिये सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति को किसी जिम्मेदारी के पद से तुरन्त हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब यह कि अमुक व्यक्ति जिम्मेदार है पहले उसकी जांच होती है और उसके बाद नोटिस देकर उसका उत्तर पाने के बाद ही निश्चित किया जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है और कितने धन का दुरुपयोग किया गया है। तो वह कार्यवाही तो हो रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक, गोरखपुर के हिसाब का आडिट कराया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा है कि दफा ४४ के अनुसार कार्यवाही होगी तो क्या सदन की जानकारी के लिये जो जांच होगी उसकी फाइनडिंग यहां रखने की कृपा करेंगे ताकि सदन को मालूम हो जाय कि जांच किस तरह से हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब दोबारा प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे दिया जायगा।

---

† सूचियां छापी नहीं गईं।

श्री प्रतापसिंह——जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच करायेंगे और धारा ४४ के अनुसार कार्यवाही होगी, तो कार्यवाही होने के पहले जो जांच होगी उसकी फाइंडिंग्स सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव——डिप्टी रजिस्ट्रार ने इसकी जांच कर ली है और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बतलाया कि श्री वर्मा का स्पष्टीकरण असन्तोषजनक है। उसके बाद शो काज नोटिस दिया जायगा और कितने धन को वापस करने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है यह निश्चित किया जायगा।

श्री मदन पांडेय——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा इनक्वायरी रिपोर्ट दिये हुए कितने दिन हो गये तथा उनको इनक्वायरी के आदेश दिये हुए कितने दिन हुए और इस पर फाइनल कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव——डिप्टी रजिस्ट्रार ने बैंक के बारे में २० अप्रैल, १९६१ को रिपोर्ट दी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)——क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि यह देखते हुए कि गबन का मामला करीब-करीब प्रत्येक विभाग में चल रहा है, और जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसके उसी पद पर रहते हुए ही इनक्वायरी करायी जाती है जिससे वे अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार जांच के विधान में कोई परिवर्तन करने की योजना बना रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव——श्रीमन्, पहले तो नोटिस यह दिया गया है कि किसके ऊपर जिम्मेदारी निर्धारित की जाय। दूसरा नोटिस यह है कि पूरे बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को सुपरसीड कर दिया जाय। तो ये दोनों प्रकार के नोटिस दिये गये हैं ?

श्री प्रतापसिंह——क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह सहकारी बैंक का मामला है तो फरवरी सन् १९६० से आज तक इस मामले में कोई डैफनिट कार्यवाही ही क्यों नहीं की गई और क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव——हर एक आदमी को अपील का अधिकार होता है और कुछ मामले कचहरियों में चले गये, इसी तरह से उनमें समय लग जाता है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के लिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१——**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)——[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

मुंडेरवा चीनी मिल क्षेत्र के गन्ने की पिराई का प्रबन्ध

*२——**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)——क्या सरकार को ज्ञात है कि मुंडेर शुगर मिल एरिया में किसानों का बहुत सा गल्ला ऊख की परची न मिलने के फलस्वरूप सूख रहना है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जितना सट्टा ऊख लेने का उक्त एरिया के किसानों से किया गया था उतनी ऊख भी किसानों से नहीं ली जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——प्राप्त सूचनानुसार इस मिल के क्षेत्र के किसानों को बराबर परची दी जा रही है। आशा की जाती है कि इस क्षेत्र के किसानों द्वारा आफर किया हुआ सब गन्ना मिल को सप्लाई हो जावेगा।

*३—४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी० आई० जी० की मेडिकल कालेज, लखनऊ में मृत्यु

*५—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या मुख्य मंत्री तारीख ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १—३ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) श्री अंजनीवीर प्रसाद जिस तिथि से अस्पताल में भरती हुये उस दिन से अन्तिम दिन तक किन-किन तारीखों में उनका एक्सरे लिया गया ?

(ख) उपर्युक्त मरीज को खून किन-किन तारीखों में कितना-कितना चढाया गया था ?

(ग) उनके खून का चढ़ाव उतार (हीमोग्लोबीन) भरती के दिन से मृत्यु पर्यन्त प्रतिदिन क्या था ?

(घ) उनको फीवर (बुखार) की प्रतिदिन की स्थिति क्या थी ?

(ङ) उन्हें एनिमा किन-किन तारीखों में लगाया गया था ?

(च) उनको डीयरज किन-किन तिथियों में दी गई और कितनी ?

श्री धर्मसिंह—(क) श्री अंजनीवीर प्रसाद का २१ जनवरी तथा १७ फरवरी, १९६१ को एक्सरे लिया गया ।

(ख) उक्त मरीज को निम्नलिखित तिथियों को तिथि के सामने दी हुई मात्रा में खून चढ़ाया गया :

२१ फरवरी, १९६१	३५० सी० सी०
८ मार्च, १९६१	३२५ सी० सी०
१० मार्च, १९६१	३२५ सी० सी०

(ग) उनके खून में हीमोग्लोबीन का प्रतिशत निम्न प्रकार था :

२१—१—६१	१०·८ ग्राम प्रतिशत
१५—२—६१	७·५ ग्राम प्रतिशत
२३—२—६१	८·६ ग्राम प्रतिशत
२—३—६१	८·५ ग्राम प्रतिशत
७—३—६१	७·१ ग्राम प्रतिशत

(घ) उनके बुखार की प्रतिदिन की स्थिति संलग्न† सूची में दी है ।

(ङ) उनको एनिमा २१—१—६१, २४—१—६१, २५—१—६१, ७—२—६१, १२—२—६१, १९—२—६१, २१—२—६१, २३—२—६१, ६—३—६१, ७—३—६१ और ८—३—६१ को लगाया गया ।

(च) उनको १८—२—६१ को २५० आर० डीव रे दी गई ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना के लिये धन्यवाद स्वीकार करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त मरीज का जो रिकार्ड है उसको सील कराने की कोई व्यवस्था की गई है या कोई ऐसा इरादा वह रखते हैं ?

---

† सूची छापी नहीं गई ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त----जहां तक श्री अंजनीवीर प्रसाद के इन प्रश्नों का सम्बन्ध है इस विषय में मैं पहले भी सदन में इत्तला दे चुका हूं और बता चुका हूं कि यह मामला विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के सुपुर्द किया गया है और अब विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर,जो एक हाईकोर्ट के जज हैं, और श्री अंजनीवीर प्रसाद की स्त्री की यह इच्छा थी कि इस मामले की जांच कोई हाईकोर्ट के जज करें, इसलिये मैंने जो मौजूदा वाइस-चांसलर हैं उनसे निवेदन किया है कि वह इस तमाम मामले को इक्वायरी स्वत: करें या उन व्यक्तियों के द्वारा कराये जो विशेषज्ञ हों और जब वह इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जायगी तब मैं उस को सदन के सामने रखने में समर्थ होऊंगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले की जांच के लिये कोई समय निश्चित किया गया है कि कब तक इन्क्वायरी समाप्त कर देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त----कोई समय तो लिखकर नहीं दिया है लेकिन इस विषय में कई जगह से ऐसी मांगे आई थीं। अब मैं उनसे निवेदन कर दूंगा कि वह जितनी जल्दी हो सके जांच कर के रिपोर्ट सरकार के पास भेज दें।

*६--७--श्री राजाराम शर्मा---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

तालरतोय के किसानों का लेखपाल के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १३ फरवरी, १९६० को तालरतोय ग्राम ,तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों की ओर से भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश ,आजमगढ़ को मिला है जिसमें लेखपाल के विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में जिस प्रार्थना-पत्र का उल्लेख किया है उस प्रार्थना-पत्र के अलावा क्या सरकार के पास उस लेखपाल के विरूद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के संबंध में कोई और शिकायत आई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- २१ अगस्त को एक आई थी, उसकी तहसीलदार ने इंक्वायरी की और वह शिकायत निराधार पाई गई ।

देवरिया जिले में तकावी की वसूली में सख्ती की शिकायत

*२--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री को देवरिया के विधायकों द्वारा जून, १९६० में इसकी शिकायत मिली है कि देवरिया की ४ तहसीलों में तकावी की वसूली में कुर्क अमीनों ने किसानों को मुर्गा बनाया तथा मारा पीटा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

*३--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में १ मई, १९६० को प्रति तहसील कितनी तकावी बाकी थी तथा १ मई, १९६० से ३० जून, १९६० तक कितनी वसूली हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३९ पर)

*४--५---श्री अजीवनलाल (जिला उन्नाव)---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जोगिया छाया ब्लाक में प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई खोलने का प्रस्ताव

*६---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती अन्तरिम जिला परिषद् ने ५ नवम्बर, १९६० के अपने प्रस्ताव द्वारा सरकार से निवेदन किया था कि जोगिया छाया ब्लाक में जो ऐलोपैथिक भवन बनाया गया है उसमें हैल्थ यूनिट का अस्पताल शीघ्र खुलवा दिया जाय ? यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुआ और हैल्थ यूनिट खोलने के लिये आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । ऐसा प्रस्ताव ६ दिसम्बर, १९६० को प्राप्त हुआ । प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की योजना के अन्तर्गत जोगिया उदयपुर, जिला बस्ती में ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करना १ अप्रैल, १९६३ के बाद ही संभव हो सकेगा । अतः अभी कथित प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

श्री प्रभुदयाल---जब तक वहां स्वास्थ्य इकाई नहीं खुलती तब तक क्या मंत्री जी किसी डाक्टर को भिजवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---अभी तो अस्पताल ही नहीं खुला है, डाक्टर भिजवाने का क्या सवाल है ।

श्री प्रभुदयाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां ऐलोपैथिक अस्पताल का भवन बन चुका है ?

श्री धर्मसिंह---इस बात को तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि बन चुका है ।

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

रामपुर-मथुरा ग्राम सभा द्वारा 'फुटकर बाजार' का ठेका न नीलाम होना

*८---श्री तारचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी, सीतापुर के अर्धशासकीय पत्र संख्या १-२/१५२१/४५३/२० पंच/१९६०, दिनांक २६ सितम्बर, १९६० में रामपुर-मथुरा ग्राम सभा (सीतापुर) द्वारा "फुटकर बाजार" का ठेका वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में नीलाम किया गया था ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में इस ठेके को नीलाम न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामसेवक यादव---जी हां, गांव समाज ने फुटकर बाजार का ठेका पहली बार वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में नीलाम किया था जिसका जिक्र प्रश्न में उल्लिखित सहायक जिला पंचायत अधिकारी, सीतापुर के पत्र में है ।

गांव समाज ने उक्त बाजार का भविष्य में लगना अपने प्रस्ताव दिनांक ८ फरवरी, १९६० द्वारा बिलकुल बन्द कर दिया, क्योंकि न तो कोई व्यक्ति आइन्दा के लिये उसको ठेके पर लेने को तैयार था और न उस भूमि में जिस पर बाजार लगती थी इतनी गुन्जायश थी कि अनाज से भरी हुई गाड़ियां तथा खच्चरों के खड़े होने के अलावा दुकानदार भली-भांति अपनी दुकानें लगाकर खरीद व फरोख्त कर सकें । इसके लिये उनको मुख्य बाजार ही जाना पड़ता था, और वहां तहबाजारी दोबारा अदा करनी पड़ती थी जिस पर दुकानदारों को एतराज था । इसके अतिरिक्त गांव समाज के बाजार लगाने से सार्वजनिक मार्ग में भी रुकावट पड़ती थी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस ग्राम समाज की २ फरवरी, १९६० की मीटिंग का उल्लेख किया गया है उसी प्रश्न से संबन्धित जांच परगनाधीश ने ११ जुलाई, १९६० को की है और उत्तर दिया है कि गांव समाज को अनियमित कार्य के लिये चेतावनी दी गई है तो उसमें इस २ फरवरी की कार्यवाही का उल्लेख क्यों नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--इसकी सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक मर्तबा ग्राम-समाज ने जिस भूमि का ठेका दिया जाना उचित समझा और फिर उसका ठेका नीलाम नहीं किया तो वह भूमि क्या किसी पैमाइश के आधार पर ग्राम-समाज की नहीं मानी गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि पैमाइश वगैरह हुई हो। वह तो लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी ने रिजोल्यूशन करके बाजार बन्द कर दिया। सरकार ने उसमें कुछ भी नहीं किया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच कराके पैमाइश इत्यादि करायेंगे ताकि ग्राम समाज की सम्पत्ति की रक्षा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--इसकी वाकायदा हमको कोई तहरीर दे दी जाय तो मैं कह दूं कि पैमाइश करें ।

[२७ अप्रैल, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सार्वजनिक छुट्टियों में परिवर्तन

*१--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में कोई परिवर्तन करने का हाल ही में निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे परिवर्तन क्या हैं तथा किस आधार पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । चालू वर्ष में सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या को कम कर दिया गया है तथा उनमें से कुछ को निबन्धित छुट्टियों की सूची में रख दिया गया है। यह परिवर्तन शासन की छुट्टियों की संख्या को यथासम्भव कम करने की नीति के आधार पर ही किया गया है । १९६१ की छुट्टियों की एक सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४०-५४३ पर)

*२-३--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर क्षेत्र में चावल लाने पर प्रतिबन्ध

*४--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या खाद्य नियंत्रण विभाग ने ट्रांस राप्ती क्षेत्र तथा नैपाल राज्य से गोरखपुर क्षेत्र में चावल लाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--४--(क) गोरखपुर जिले के ट्रान्स राप्ती क्षेत्र से चावल ले जाने पर प्रतिबन्ध है, नैपाल राज्य से गोरखपुर जिले में चावल लाने पर वैसे तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में नैपाल राज्य से आये हुये चावल को बाहर भेजने पर उक्त प्रतिबन्ध अवश्य लागू है ।

(ख) प्रतिबन्ध इस आशय से लगाये गये हैं जिससे सरकार को चावल अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके ।

*५---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर क्षेत्र के कितने किसान ट्रांस राप्ती क्षेत्र तथा नैपाल में खेती करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में, जिसमें ट्रान्स रोहिन क्षेत्र भी सम्मिलित है, गोरखपुर क्षेत्र के २२६९ किसान काम करते हैं।

नैपाल में ७,०१२ किसान काम करते हैं ।

*६---श्री ऊदल---क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि गोरखपुर क्षेत्र के जो किसान ट्रांस राप्ती क्षेत्र और नैपाल राज्य में खेती करते हैं उन्हें इस प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में गोरखपुर के २,२६९ किसान काम करते हैं और नैपाल क्षेत्र में ७,०१२ किसान गोरखपुर क्षेत्र के काम करते हैं तो जो प्रतिबन्ध सरकार ने लगा दिया है उसकी वजह से वह अपना गल्ला घर नहीं ला पात ह, इसके लिये क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री धर्मसिंह---चावल पैदा नहीं करते हैं, धान पैदा करते हैं और उसको ले जा सकते है । माननीय सदस्य ने चावल के विषय में प्रश्न किया है । धान के लिये कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी को ज्ञात है, मेरे पास वहां के किसानों की इस तरह की शिकायत आई थी, जो धान है उसी से चावल बनता है और अधिकारियों ने इस आदेश का दुरुपयोग किया है जिसकी वजह से किसान अपने खेतों की पैदावार नहीं ला पाते हैं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---धान जो पैदा करते है, जैसा मैंने कहा बाद में चावल उससे बनता है, उस धान को वह ले जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है । और अगर धान के लिये कोई दिक्कत है और माननीय सदस्य बतायेंगे तो जांच करके उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---जरा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अगर वह धान का चावल बना कर ले जायं तो नहीं ले जा सकते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जो मैं सवाल कर रहा हूं अपनी निजी जानकारी पर कर रहा हूं । क्या मंत्री जी को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि बस्ती जिला के ट्रान्स राप्ती एरिया में बहुत से ऐसे किसान या पुराने जमींदार हैं जो दूर-दूर खेती करते हैं दूसरे हिस्से में और वहां से वह अपनी पैदावार को, धान को भी नहीं ला पाते हैं ? क्या ऐसी शिकायत मंत्री जी को मिली है ? यदि हां, तो सरकार क्या करना चाहती है, अथवा इस पूरे मामले को ठीक करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री धर्मसिंह---इस बात की कोई शिकायत नहीं है । लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा कर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो किसान गोरखपुर के ९-१० हजार के करीब उस क्षेत्र में अपनी जीविका कमाने के लिये गये हैं और धान, चावल नहीं ला पाते हैं, क्या सरकार इस मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई आदेश देगी कि जो किसान अपनी पैदावार छोड़ कर आये हैं वे धान या चावल दोनों अपने घरों में ले जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बता दिया कि लिख कर देंगे तो इनक्वायरी करायेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--(जिला देवरिया)--गोरखपुर जिले से, देवरिया जिले के बहुत से किसानों का वही रास्ता है जो गोरखपुर से होकर आते हैं और इस प्रतिबन्ध से देवरिया के किसानों को अपनी पैदावार लाने में बहुत दिक्कत है, गत वर्ष भी इसी तरह की शिकायत थी, तो मंत्री जी विचार करेंगे कि जो ऐसे हार्ड केसेज किसानों के हैं उनके लिये प्रतिबन्ध हटा कर देवरिया और गोरखपुर का एक रीजन कर देंगे ताकि किसान आसानी से अपना सामान ला सके ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कह दिया कि लिख कर शिकायत दे दें, उसकी जांच करायेंगे ।

सीतापुर जिले में तहसीलवार बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--सीतापुर जिले में बाढ़ से हुई क्षति के विषय में विधान सभा के दिनांक ६ फरवरी, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६१ तक सहायतार्थ तहसील-वार कितने रुपयों का वितरण किन-किन मदों में किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४४ पर)

महाराज सिंह को पुलिस संरक्षता में जिलाधीश सीतापुर के पास भेजना

*८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--विधान सभा के दिनांक ६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य-मंत्री,श्री महाराज सिंह नाम के व्यक्ति ने जो बयान जिलाधीश, सीतापुर को दिया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--उक्त बयान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४५ पर)

*९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--विधान सभा के दिनांक ६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त व्यक्ति को कांस्टेबिल के साथ सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीतापुर के द्वारा जिलाधीश के यहां भेजे जाने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को श्री ताराचन्द माहेश्वरी से पहले शिकायतें मिल चुकी थीं कि महमूदाबाद थाने के दारोगा ने महाराज सिंह से उनके लिये रुपयों की मांग की । जब श्री महाराज सिंह ने इस बात को अस्वीकार किया तब सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अपने अर्दली के साथ महाराज सिंह को जिलाधीश के पास बयान कलमबन्द कराने के लिये भेजा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जो शिकायत की थी उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की आपने जो शिकायत की थी उसमें यह था कि महाराज सिंह साहब जब उनके पास गये तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी बात सुनी नहीं गई । तो उन्होंने जिलाधीश के पास इस बात के लिये उन्हें भेज दिया कि उनका बयान कलमबन्द कर लिया जाय । जिलाधीश के यहां जो बयान हुआ उसकी प्रतिलिपि मैंने आपके पास भेज दी है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की जब मैंने शिकायत लिख कर भेजी तो उन्होंने महाराज सिंह को बुला कर जांच की, तो महाराज सिंह को किस अधिकारी के द्वारा बुलाया गया और किस तरह उनको सूचना दी गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि महाराज सिंह साहब को कैसे बुलाया । उनके पास जब वह गये तो उन्होंने जिलाधीश के पास यह सूचना भेज दी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह जांच डी० एस० पी० (कम्पलेंट्स) से कराई गई जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के मातहत व्यक्ति है तो सरकार किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मामला बहुत पुराना है और जो शिकायत थी वह पहले की थी । यह साबित नहीं हुआ कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के खिलाफ है बल्कि एक दारोगा के खिलाफ थी इसलिये डी० एस० पी० के पास भेज दी गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मामला बेशक बहुत पुराना है लेकिन बहुत संगीन भी है, इसलिये मंत्री जी जिले के स्तर से उठ कर सूबे के स्तर पर किसी अधिकारी के द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती ।

*१०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[स्थगित किया गया ।]

*११---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कमिश्नरों का पद तोड़ने के सुझाव

*१२---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार के पास हाल में ऐसे सुझाव आये हैं कि कमिश्नरों का पद तोड़ दिया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी हां ।

*१३---**श्री गनेश चन्द्र काछी**---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---सरकार कमिश्नरों के पदों को तोड़ना उचित नहीं समझती है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलायेगी कि कमिश्नरों के पद तोड़ने में क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमिश्नर अच्छा काम करते हैं और जब कोई अच्छा काम करता है, जिम्मेदारी का काम करता है यदि उसको हटा दिया जाय तो वह कार्य पूरा नहीं हो सकता है । इसलिये जगह-जगह पर जो काम आजकल उनके सुपुर्द है वह एक जिम्मेदारी का काम है और उस जिम्मेदार काम से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया जाय तो सरकार के काम में दिक्कत आ सकती है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते समय इधर और उधर के लोग यहकहा करते थे कि कमिश्नरों के पद अनावश्यक हैं और उन्हें समाप्त कर दिया जाय तो आज की स्थिति में क्या फर्क आ गया कि सरकार उन्हें तोड़ना नहीं चाहती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उस समय कमिश्नर डेवलपमेंट इत्यादि के कार्य तो करते नहीं थे और न इतने डेवलपमेंट के कार्य थे । कमिश्नरों के सब पदों को तोड़ देने का प्रश्न उठाया गया है, कमिश्नरों की संख्या घटाने का प्रश्न दूसरा है । माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि कमिश्नरों के ओहदे को सरकार तोड़ेगी या नहीं तो उसे सरकार का उत्तर है कि नहीं तोड़ेगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमिश्नरों के पदों में कमी करने या उनके पद बढ़ाने के बदले कुछ एडीशनल कमिश्नर और रखे गये हैं और उनकी संख्या बहुत काफी है ? अगर हां, तो कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक कमिश्नरों की संख्या या एडीशनल कमिश्नर रखने का विषय है, यह सारा विषय सरकार के विचाराधीन है। जहां सरकार एकोनामी इत्यादि के प्रश्न पर विचार कर रही है वहां यह प्रश्न भी उसके विचाराधीन है। लेकिन कमिश्नर ऐज सच का पद बिलकुल तोड़ दिया जाय, इस बारे में सरकार की यह कत्तई राय है कि वह ऐसा नहीं करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि कुछ तो डिवीजन में कमिश्नर होते हैं जो डिवीजनल कमिश्नर कहलात ह और कुछ उसी के समकक्ष के जो सेक्रटरियट में काम करते हैं उनको भी कमिश्नर का पद दे दिया गया है, तो सरकार ऐसे पदों को तोड़ने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने तो अभी निवेदन किया कि कितने कमिश्नर हों, कहां-कहां वे रखे जायं, ये तमाम प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं और जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाय है वह इसी से मिला-जुला सवाल है।

मलेरीकोट में कुंओं की तकावी की वसूली की शिकायत

*१४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम मलरीकोट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के निवासियों द्वारा ५ नवम्बर, १९५९ को भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के ३ अगस्त, १९६० के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है जिसमें अवैध ढंग से कुओं की तकावी की वसूली की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा कोई पत्र आना प्रतीत नहीं होता, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास कोई फाइल नहीं है और न कोई कर्मचारी उनक यहां ह। जो पत्र मैंने भेजा है वह मेरे पास है और उनके दफ्तर से जो चिट्ठी आयी है वह मेरे पास है जिसको वे इन्कार कर रह हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि न्याय मंत्री जी फिर से अपने दफ्तर से छानबीन करायेंगे कि उनके दफ्तर में मेरा पत्र गया है और उनके दफ्तर से मेरे पास पत्र आया है लेकिन मेरे पत्र का परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह चिट्ठी कहीं रजिस्टर में चढ़ने से रह गयी है लिहाजा हम ढूंढ़ नहीं पाते हैं। वह हमें बता दें तो हम उससे पता लगा लेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी ने कहा कि वह कहीं रह गई है कि जिसे हम ढूंढ़ नहीं पाते, तो मंत्री जी पड़ोस के बैठने वाले किसी मंत्री से सहायता लेकर और उसे ढूंढ़ कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---खोरी से पता लगायेंगे।

*१५---**श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[हटा दिया गया।]

पारस कला मन्दिर, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*१६—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या सरकार के समक्ष आजमगढ़ नगर में स्थित पारस कला मन्दिर सिनेमा गृह के विरुद्ध कुछ शिकायतें किसी प्रतिनिधि मंडल द्वारा फरवरी, १९६१ के द्वितीय सप्ताह में दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*१७—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि वन मंत्री उस पारस कला मन्दिर का दिनांक १२ फरवरी, १९६१ को उद्घाटन करने वाले थे मगर उन्होंने नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, मामला विवादग्रस्त होने के कारण वन मंत्री ने उद्घाटन करना ठीक नहीं समझा ।

मऊरानीपुर को एस० डी० ओ० का मुख्यावास बनाने की प्रार्थना

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि मऊरानीपुर व गरोठा तहसीलों (झांसी) की जनता की सुविधा के लिये वहां के एस० डी० ओ० का सदर मुकाम पहिले मऊरानीपुर ही में था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां ।

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त तहसीलों की जनता को अब एस० डी० ओ० क सदर मुकाम झांसी जाने आने के लिये लगभग पचास-पचास मील की यात्रा के अलावा बेतवा नदी को पार करना पड़ता है और इस दृष्टि से मऊरानीपुर में ही सदर मुकाम की पुनः स्थापना का प्रश्न ७—८ वर्ष से उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां । प्रश्न पर कई पहलुओं से विचार करना होता है, इस संबंध में किसी निश्चित अवधि का बताना संभव नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां से एस० डी० ओ० का सदर मुकाम इसलिये तोड़ा गया था कि जो एस० डी० ओ० उस वक्त थे उनके बच्चों के पढ़ने के लिये वहां कोई हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी सूचना तो मुझे नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त दोनों तहसीलों की लगभग तीन लाख जनता की असुविधा का खयाल करते हुए वहां पर एस० डी० ओ० का सदर मुकाम पुनः कायम करने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा, यह बात सही है कि वह जगह दूर है और इस पर विचार हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस पर जल्दी फैसला हो जायगा । दिक्कत यह है कि वहां अभी कोई मकान नहीं मिल रहा है । एक मकान एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का है, उसको लेने की बात है। उनसे पूछताछ की जा रही है । जिस वक्त मकान का निश्चय हो जायगा तो मैं समझता हूं इस पर जल्दी फैसला हो जायगा ।

बडरांव में चिकित्सालय निर्माण का आयोजन

*२०—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बडरांव, जिला आजमगढ़ में स्थित एम० ई० एस० ब्लाक से संबंधित जो चिकित्सालय बनने वाला था वह क्यों अब तक बनना प्रारम्भ भी नहीं हो सका ?

श्री धर्मसिंह---निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी ।

*२१---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस अस्पताल का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---भूमि हस्तान्तरण के हेतु आदेश २१ फरवरी, १९६१ को दे दिये गए हैं । आशा है शीघ्र ही निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि इस अस्पताल के निर्माण-कार्य में सरकार का कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । फिलहाल मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाकों से संबंधित जो अस्पताल खुलने वाले हैं वे प्रान्त भर में एक ही प्रकार के खुलने वाले हैं या बड़े-छोटे का भेदभाव रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के अस्पताल तो एक ही पैटर्न के हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्रीजी यह देखते हुए कि घोसी और सगरी तहसीलों के बहुत सवाल आते हैं और फाइल मिलती नहीं है, अलग से फाइल खोलने की कोशिश करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*२२---श्री प्रतापसिंह---[हटा दिया गया ।]

विधान सभा के क्षेत्रों का पुनस्संगठन करने की आवश्यकता

*२३---श्री प्रतापसिंह---क्या प्रदेशीय सरकार ने चुनाव आयोग को यह सिफारिश की है कि विधान सभा के क्षेत्रों का पुनर्संगठन हो ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, प्रश्न पूछने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न २२ के आगे लिख दिया गया है कि 'हटा दिया गया' तो हमें भी खबर होनी चाहिये कि क्यों हटा दिया गया और इसकी क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष---क्या आपके पास सूचना नहीं गई है ?

श्री प्रतापसिंह---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर भेज दी जायगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की आबादी ७ करोड़ से अधिक हो चुकी है तो किन कारणों से सरकार ने आयोग को नहीं लिखा है कि डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएन्सीज होना चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस वक्त जरूरी नहीं समझा, इतना ही जवाब दे सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब चुनाव क्षेत्र में परिसीमन की कार्यवाही हो रही थी तो डबल कांस्टीटुएन्सी को सिंगल करने का कार्य पूरा हो चुका है या हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एलेक्शन कमिश्नर कहते हैं वह करेंगे और वहीं से फाइनल होगा, यहां से जवाब भेज दिया गया है ।

श्री प्रतापसिंह---अभी मंत्री जी ने कहा कि जरूरत नहीं समझी। अब यह देखते हुए कि आबादी बढ़ गई है और लोगों का अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन हो सके, क्या वह चुनाव आयोग को सिफारिश करेंगे कि डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएन्सीज हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी सेंसेस के कागजात मुकम्मिल होकर नहीं आये हैं । अखबार की खबर से कैसे कर दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि उत्तराखन्ड के बन जाने से वहां की कांस्टीटुएन्सीज में बड़ी गड़बड़ी पड़ गई है, जैसी कि कहीं भी भारतवर्ष में नहीं हुई, वहां के लिये नये परिसीमन की आज्ञा देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्या गड़बड़ी हुई इसकी सूचना हमारे मित्र दे दें, तो विचार करेंगे कि क्या किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---१९५७ से पहले १९५६ में डिलिमिटेशन कमीशन इस प्रदेश में बिठाया था, तो क्या एलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ओर से प्रदेशीय सरकार से डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएन्सीज के बारे में कुछ लिखा-पढ़ी की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि अभी सेंसेस के आंकड़े नहीं आये हैं तो क्या उनके पास जब आंकड़े आ जायंगे तब सरकार इस पर विचार करेगी कि परिसीमन या पुनर्गठन हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो एलेक्शन कमिश्नर खुद ही नोटिस लेंगे ।

उत्तराखंड की शिक्षा संस्थायें

*२४---श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखन्ड कमिश्नरी में १ फरवरी, १९६० से अब तक कितने जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, इन्टर कालेज और डिग्री कालेज खोले गये हैं और उनमें कितने विद्यार्थी और शिक्षक हैं?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४६ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि उत्तराखन्ड बार्डर एरिया की विशेष परिस्थिति को देखते हुए अभी तक सरकार ने कोई सरकारी डिग्री कालेज क्यों नहीं खोला है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---आस-पास डिग्री कालेज हैं। अभी सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी । जब आवश्यकता होगी तो खोल दिया जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तराखन्ड में पिथौरागढ़ के थल और देवलथल जहां पर पुराना प्राइवेट स्कूल चल भी रहा है, के बारे में कई मांगें आ चुकी हैं कि वहां हाई स्कूल खोल दिया जाय, वहां के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह ने भी मांग की है, वहां क्या सरकार हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तक, उत्तराखन्ड में जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, उस विषय में हमारी नीति यह है कि उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जाय। उन्हें अधिक अनुदान देकर गैर-सरकारी हाथों से चलाया जाय । उन गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकारी

संस्थाओं के रूप में परिणत न किया जाय। बाद में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आयी जिसमें आवश्यकता हुई कि उसे सरकारी बनाने से ही काम चलेगा, तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमारी नीति यह है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक अनुदान देकर उन्हें गैर-सरकारी व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित कराया जाय।

*२५-२६—**श्री घनश्याम डिमरी** (जिला गढ़वाल)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[हटा दिया गया।]

संडीला तहसील के लेखपाल

*३०—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील संडीला, जिला हरदोई में कितने ऐसे लेखपाल हैं जो कि लेखपाल ट्रेनिंग पास न होते हुए भी रेगुलर कैपेसिटी में कार्य कर रहे हैं तथा कितने ऐसे हैं जोकि ट्रेनिंग पास हैं तथा पुराने लखपाल हैं परन्तु उनको रेगुलर लेखपाल का चार्ज नहीं दिया गया है? क्या सरकार कृपया इसके कारण भी बतायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई भी ऐसा लेखपाल रेगुलर कैपेसिटी में कार्य नहीं कर रहा है जो लेखपाल ट्रेनिंग पास न हो। ६ ट्रेनिंग पास तथा पुराने लेखपाल हैं जिन्हें रेगुलर लेखपाल का चार्ज नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि ज्येष्ठता के अनुसार रेगुलर लेखपाल के पद पर नियुक्त होने के लिये उनका नम्बर अभी नहीं आया है।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने के लिये क्या अभी कुछ लेखपाल हैं ? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसा कि उत्तर में बताया गया है पहले से लेखपाल ट्रेंड ऐसे हैं जिनको अभी जगह नहीं दी जा सकी है रेगुलर कैपेसिटी में। उसमें से तीन आफिशिएटिंग लेखपाल तहसील संडीला में और तीन कंसालिडेशन स्कीम में काम कर रहे थे। इनमें से तीन का मार्च, १९६१ में सेवा समाप्त होने का प्रश्न आ गया था, क्योंकि उन जगहों की जरूरत नहीं थी लेकिन उनको उन लोगों की जगह जो ट्रेंड नहीं हैं रखने का प्रश्न चल रहा है और उनकी नियुक्ति समय पर कर दी जायगी।

डीडीहाट विकास खंड में किसान मेले का उद्घाटन

*३१—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बता की कृपा करेगी कि क्या पिथौरागढ़ के नवनिर्मित डीडीहाट विकास खन्ड में १५ मार्च, १९६१ से तीन दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो उसका उद्घाटन किसने किया ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—जी हां। किसान मेले का उद्घाटन जिलाधीश द्वारा किया गया था।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी को याद होगा कि इसी सदन में आज से एक साल पहले सरकार ने जवाब दिया था कि ऐसा आदेश सरकार की तरफ से जारी किया जा चुका है कि कोई भी अधिकारी किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी जलसे का उद्घाटन नहीं करेगा, तो क्या कारण है किसी जन-प्रतिनिधि से उद्घाटन न करवा कर जिलाधीश ने स्वयं उद्घाटन किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उस समय गैर-सरकारी आदमी उपलब्ध नही होंगे। इसलिये कर दिया होगा। डेवलपमेन्ट का काम था। डेवलपमेन्ट की प्रदर्शनी थी, तो कोई बड़ी आपत्ति-जनक बात हुई नहीं जिसका सरकार नोटिस ले।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह उद्-घाटन उन दिनों में हुआ जब कि सेशन नहीं चल रहा था और जिले के समस्त विधायक वहां मौजूद थे, उस मेले में भी थे, तो कैसे कहा जा सकता है कि मौजूद नहीं थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस बहस का तो मेरे पास जवाब है नहीं। न मेरे पास सूचना है कि कौन-कौन उपलब्ध थे और कौन-कौन उपलब्ध नहीं थे।

उरई में सिविल तथा सेशन जज की अदालत को स्थायी करने का आदेश

*३२---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आशय की कोई सिफारिश सरकार से की है कि उरई के सिविल तथा सेशन जज की अदालत को स्थायी किया जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

उरई में सिविल तथा सेशन जज की अदालत को स्थायी करने के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री महोदय जी को पता है कि आदेश निर्गत हो जाने के बावजूद भी अभी तक सिविल और सेशन जज की अदालत स्थायी रूप से काम नहीं कर रही है क्योंकि जूरिसडिक्शन से सम्बन्धित नोटीफिकेशन अभी तक कोई जारी नहीं किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन---६ अप्रैल को एक आदेश जारी हुआ है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमेंटरी में यह पूछा था कि जूरिसडिक्शन से सम्बन्धित नोटीफिकेशन्स अभी तक जारी नहीं किये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप यह पूछिये कि ६ अप्रैल को वह जारी हुआ है या नहीं?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ६ अप्रैल को जो यह जारी किया गया है वह क्या जूरिसडिक्शन्स से सम्बन्धित नोटिफिकेशन है या और कोई चीज है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसे देखकर के बतला सकता हूं। इस समय नहीं बतला सकता।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि इस प्रकार के कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किये गये हैं तो क्या वह शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकलवा देंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो शक्तिया सवाल है, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि वह पूछना चाहते हैं कि क्या जल्दी इसको करा देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जल्दी तो करेंगे ही।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जो बतायेंगे कि जब तक नोटीफिकेशन जारी नहीं होता तब तक उन अदालतों का स्थायीकरण हो ही नहीं सकता ?

श्री अध्यक्ष--यह तो खैर, ठीक ही है।

*३३--**श्री राजाराम शर्मा**--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर व देवरिया जिलों की चीनी मिलों में पेराई

*३४--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर व देवरिया जिलों की घघुलो, सिसवा, पिपराइच, कप्तानगंज, आनन्दनगर चीनी मिलों ने १९६०-६१ के वर्तमान सीजन में अब तक कुल कितने मन गन्ना पेरा जिसमें कितना अपने सुरक्षित क्षेत्र का और कितना बाहरी क्षेत्र का ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वर्तमान सीजन में गोरखपुर व देवरिया जिले की निर्दिष्ट मिलों में १५ अप्रैल, १९६१ तक कुल जितने मन गन्ना पेरा व उसमें जितना उनके सुरक्षित क्षेत्र व जितना बाहरी क्षेत्र का था उसका विवरण संलग्न तालिका "अ" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*३५--**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर व देवरिया जिलों की घघली, सिसवा, पिपराइच, कप्तानगन्ज तथा आनन्दनगर चीनी मिलों ने १९६०-६१ के सीजन के लिये अलग-अलग केन यूनियनों से कितना मन गन्ना पेरने का एग्रीमेंट किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपरोक्त जिलों की निर्दिष्ट मिलों ने १९६०-६१ सीजन के लिये अलग-अलग केन यूनियनों से जितना मन गन्ना पैरने का एग्रीमेंट किया उसका विवरण संलग्न तालिका "ब" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

*३६--**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त चीनी मिलें और कितने दिन इस सीजन में चलेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सीजन में उपर्युक्त चीनी मिलों के १५-४-६१ के बाद जितने और दिन चालू रहने का अनुमान है उसका विवरण संलग्न तालिका "स" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५४९ पर)

असेनी तथा तहसील अकबरपुर के अन्य बाढ़-ग्रस्त गांवों को सहायता

*३७--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, १९६० में अति वर्षा और महा बाढ़ से, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर के बाढ़-पीड़ित ग्रामों में सरकार द्वारा सहायता कब से कब तक वितरित की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला कानपुर की तहसील अकबरपुर के बाढ़पीड़ित ग्रामों में सहायता १२ अक्तूबर, १९६० से १६ फरवरी, १९६१ तक वितरित की गई।

*३८--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम असेनी, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर जो रिन्द नदी के किनारे पर आबाद है जिसमें ३३ में से ३० घर बरबाद हो गये और फसल खरीफ मारी गई उस ग्राम की रक्षा और सहायता सरकार की ओर से किस प्रकार की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम असेनी के बाढ़ पीड़ितों की रक्षा तथा सहायता के लिये १२५ रु० की धनराशि हाउस सब्सीडी के रूप में और २,०१० रु० की धनराशि तकावी के रूप में बांटी गई। इसके अतिरिक्त गरीबों को खाने के लिये मुफ्त अन्न तथा पहिनने के लिये कपड़े आदि की भी व्यवस्था की गई।

*३९ **श्री रामदुलारे मिश्र**---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त असेनी ग्राम की खरीफ की फसल का लगान कितना है, बाढ़ के बाद कितने की मुलतवी व छूट के लिये और कितना वसूल करने के लिये आदेश दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---असेनी ग्राम की खरीफ की फसल का लगान ६१४ रु० १९ न० पै० था। बाढ़ से हुई क्षति के कारण इस ग्राम में खरीफ १३६८ फसली के लगान में से ७७ रु० ६४ न० पै० की छूट दे दी गई है और शेष ५३६रु० ५५ न० पै० की वसूली के आदेश दिये गये।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस गांव में ३३ में से ३० घर बरबाद हो गये हों उसके निर्माण के लिये १२५ रुपये नाकाफी हैं? इसको ध्यान में रखते हुये उन घरों का बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वह निर्माण कार्य कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पूरा कम्पेन्सेशन तो सरकार दे नहीं सकती।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस धन के वितरण आदि के सम्बन्ध में स्थानीय कर्मचारियों के खिलाफ गम्भीर शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे तो इस वक्त याद नहीं पड़ता है कि ऐसी शिकायतें आई हों।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि अकबरपुर तहसील में जो यह तकावी बांटी गई वह कितने गांवों में बांटी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गांव की फेहरिस्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष---सूचना चाहते हैं आप?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में ३३ में से ३० घर बरबाद हो गये और फसल का भी काफी नुकसान हुआ उस गांव में ७७ रुपये कुल छूट दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस गांव में कुल ८४ खाते हैं। उसमें से २४ खाते ऐसे हैं जिसमें ५० नये पैसे से ज्यादा नुकसान हुआ, कायदे की रू से उनको छूट दी गई।

सीमेंट का अभाव

*४०---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में सीमेंट का अभाव हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

*४१ **श्री विश्रामराय**---यदि हां, तो सरकार उस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है?

नोट---तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन जिलों से सीमेंट के अभाव की शिकायतें आईं उनको दूर करने के लिये स्टेड ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के एक विशेष अधिकारी (रीजनल सीमेंट आफिसर) तथा उसके सेलिंग एजेन्ट्स से सीमेंट के इस अभाव को दूर करने के लिये प्राथमिकता पर सीमेन्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

आगरे से राजस्थान को चावल का अवैध निर्यात रोकने का प्रबन्ध

*४२—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरे के कुछ अफसरों के खिलाफ चावल का स्मगलिंग कराने के सिलसिले में इन्क्वायरी कराई जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*४३—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—यदि हां, तो वह अफसरान किस-किस विभाग के हैं और किस-किस पद पर हैं तथा उनके खिलाफ किसके द्वारा इन्क्वायरी कराई जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*४४—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरे से राजस्थान के लिये चावल का स्मगलिंग रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा से राजस्थान को चावल के अवैध रूप से निर्यात को रोकने के लिये निम्नलिखित विशेष प्रबन्ध किये गये हैं:—

(१) आगरे से राजस्थान जाने वाली सड़कों पर सवारियों की जांच के लिये नाके (बैरियर) स्थापित किये गये हैं जहां पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। इन अधिकारियों (हेड कांस्टेबिलों) को सवारियों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा उन्हें रोकने के अधिकार प्राप्त हैं ताकि वे अवैध निर्यात को रोक सकें। इन नाकों पर सभी आने-जाने वाली सवारियों का विवरण दर्ज किया जाता है।

(२) इन नाकों पर मार्केटिंग विभाग के अधिकारी भी नियुक्त हैं तथा उक्त विभाग के अधिकारी अन्य नाकों का भी निरीक्षण बराबर किया करते हैं।

(३) अवैध रूप से रेल द्वारा चावल-निर्यात को रोकने के लिये आगरा से राजस्थान जाने वाली ट्रेनों की भी अक्सर चेकिंग होती है।

(४) खाद तथा रसद विभाग के अधिकारी तथा जिला पुलिस अधिकारी उक्त नाकों का बिना पूर्व सूचना के बराबर निरीक्षण किया करते हैं, अक्सर रात में भी, ताकि वहां नियुक्त कर्मचारीगण सतर्कता से काम करें।

(५) खाद्यान्न के लाइसेन्स-प्राप्त व्यापारियों के स्टाक का बिना पूर्व सूचना के अक्सर निरीक्षण किया जाता है।

*४५-४६—**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८—**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—[हटा दिये गये।]

*४९-५०—**श्री कैलाशनारायण गुप्त** (जिला इलाहाबाद)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५३—**श्री धर्मपाल सिंह** (जिला गोंडा)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान

*५४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार दिनांक ३० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये वित्तीय वर्ष १९५९-६० में मिले दो करोड़ रुपये में १,०१,३६,००० रुपये तथा १९६०-६१ में मिले २ करोड़ रुपये में १,२९,७८,२०० रुपये खर्च हो सके, तो बाकी रुपया उक्त अवधि में खर्च न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय सदस्य ने जो १९६०-६१ में १,२९,७८,२०० रुपये व्यय होने के आंकड़े बतलाये हैं, वास्तव में वे केवल ९ माह के खर्चे पर ही आधारित हैं। अभी पूरे वित्तीय वर्ष के खर्चे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि ६०-६१ में लगभग २५६.४२२ लाख रुपये व्यय होगा।

जहां तक ५९-६० में कम खर्च होने का सम्बन्ध है उसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :---

(१) योजनाओं के ब्योरे आदि को finalise करने में विलम्ब।

(२) निर्माण-कार्य के लिये उचित स्थान तथा सामग्री आदि का अभाव।

(३) विदेशी मुद्रा का उचित मात्रा में न मिलना।

(४) पहाड़ी इलाकों में कार्य करने के लिये सीमित समय।

*५५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार उक्त क्रम में यह भी बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में किस क्षेत्र में कितना रुपया किस मद में खर्च करने की सीलिंग थी तथा किस मद में कितना रुपया खर्च किया जाना स्वीकृत किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५०-५५१ पर)

*५६---श्री शिवप्रसाद नागर---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५९---श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[३ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बंगाली विस्थापितों की मांगें

*६२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नैनीताल, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच और रतनगढ़ के बंगाली शरणार्थियों का कोई डेपुटेशन मुख्य मंत्री से ३१ मार्च, १९६१ को मिला था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ विस्थापित व्यक्ति मुख्य मंत्री जी से उनके निवास-स्थान पर संभवतः मार्च ३१, १९६१ को मिले थे।

*६३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी खास-खास मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उन व्यक्तियों ने बहराइच जिले में भूमि के विषय में चर्चा की थी और कहा था कि विस्थापित व्यक्तियों को अलाट की हुई सम्पूर्ण भूमि में पानी भर जाता है। मुख्य मंत्री जी ने उनसे कहा था कि वह इस विषय में न्याय मंत्री जी से बातचीत करें। फिर वे लोग न्याय मंत्री से नहीं मिले।

*६४—श्री कल्यागचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बंगाल से आये हुये शरणार्थी किन-किन स्थानों पर टिकाये गये हैं और उनको १९६०-६१ में कौन कौन सी सुविधायें दी गईं तथा उनकी संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपने आप आये हुये बंगाली विस्थापित व्यक्तियों के विषय में कोई आंकड़े नहीं रक्खे गये हैं किन्तु जो विस्थापित परिवार पूर्वी बंगाल से भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश में भूमि पर बसाये जाने के लिये भेजे गये हैं उनके विषय में सूचना उपलब्ध है । वे पीलीभीत, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर तथा बहराइच जिलों में विभिन्न स्थानों पर बसाये गये हैं । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को सन् १९६०-६१ में खेती के लिये भूमि, पोषाण भत्ता, प्राथमिक भूमिवपन (Initial Sowing) तथा बैल और कृषि के लिए यंत्रों की खरीद के लिये ऋण तथा ट्रैक्टर द्वारा भूमि तोड़ने के लिये ऋण, रहने के लिये क्वार्टर तथा जाड़े से बचने के लिये रजाइयां दी गयीं । इसके अतिरिक्त पीने के पानी के लिए नलकूप बनवाये गये तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूल खोले गये तथा उनको चिकित्सा संबंधी सुविधायें दी गयीं । अब तक कुल ३७७७ विस्थापित परिवार पूर्वी पाकिस्तान से इस प्रदेश में भूमि पर बसाये गये हैं ।

मलिहाबाद तहसील के कम्पेन्सेशन दफ्तर में कागजों का पुनर्निर्माण

*६५—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ की महिलाबाद तहसील के कम्पेन्सेशन दफ्तर में आग लग जाने के कारण इस समय तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी कि जिनको प्रतिकर, पुनर्वास भत्ता, अन्तरिम एनुइटी तथा सूद का रुपया मिलना है उनको समय से मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मलीहाबाद तहसील के कम्पेन्सेशन दफ्तर के सभी कागजात जल कर नष्ट हो गये हैं, उनके पुनर्निर्माण बिना प्रतिकर आदि का भुगतान संभव नहीं है । पुनर्निर्माण के कार्य को जल्दी करवाने के लिये जिला अधिकारियों को विशेष ताकीद की जा रही है ।

महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की चिकित्सा का प्रबन्ध

*६६—श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस समय महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" की चिकित्सा हेतु सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*६७-६८—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) तथा श्री गणेशचन्द काछी—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६९—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०—श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी (जिला गढ़वाल)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

चकबन्दी विभाग के लेखपालों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता

*७१—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि १९५७, १९५९ तथा १९६० में सरकार द्वारा छोटे राज्य कर्मचारियों को दी गयी वेतन वृद्धि की सुविधा चकबन्दी विभाग के लेखपालों को नहीं दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५७, १९५९ तथा १९६० में छोटे राज्य कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी है । परन्तु उपरोक्त वर्षों में महंगाई भत्ते में वृद्धि अवश्य की गयी थी जिसकी सुविधा चकबन्दी विभाग के लेखपालों को भी दी गयी है ।

*७२--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो उन्हें उक्त वेतन वृद्धि सरकार कब तक देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता ।

*७३--आचार्य दीपंकर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या इन लेखपालों को पुराना एरियर भी दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--महंगाई भत्ते में वृद्धि जिस तिथि से शासन ने स्वीकृत की है उसी दिन से चकबन्दी विभाग के लेखपालों को भी बकाया (arears) देने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

*७४-७५--श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७६--श्री भगवतीसिंह विशारद--[हटा दिया गया ।]

डाक्टरनी के बिना जनाने अस्पताल

*७७--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने राजकीय जनाने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--इस समय उत्तर प्रदेश में ३९ राजकीय जनाने अस्पतालों में लेडी डाक्टर नहीं है जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

*७८--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं केन सोसाइटी बदायूं में सेंटर बदायूं और सेंटर शेखूपुर पर ३१ मार्च, १९६१ तक किसानों का कितना गन्ना बाकी था और उसे मिल वगरिया न्यूली कब तक ले सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राप्त सूचनानुसार तारीख ३१-३-६१ को बदायूं सेंटर पर लगभग २·५० लाख मन व शेखूपुर पर ४० हजार मन गन्ना अनुमानतः बाकी था । आशा है कि उस गन्ने को न्यूली चीनी मिल लगभग ३०-४-६१ तक ले सकेगी ।

*७९--श्री हीरालाल यादव--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८०-८२--श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री उग्रसेन--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८३-८४--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८५--श्री अभयराम यादव--[९ मई, १९६१ के लिये प्रश्न १०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८६-८७--श्री सुखलाल (जिला इटावा)--[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले में "जौरा" की उगाही पर मोहम्मद रजा लेखपाल का निलम्बन

*८८—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या जिलाधीश गोंडा के पास जनवरी, १९६१ में यह शिकायत आयी है कि जिला गोंडा में लेखपाल काश्तकारों से 'जौरा' के रूप में गल्ला लेते हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जनवरी में तो ऐसी शिकायत केवल एक दैनिक में प्रकाशित हुई थी किन्तु फरवरी में जिलाधीश गोंडा के पास भी एक शिकायत पहुंची थी । उक्त दोनों शिकायतों की जांच से मालूम हुआ कि ग्राम सेमरहना का लेखपाल श्री मोहम्मद रजा 'जौरा' लिया करता था । अतः उसे मुअत्तल करके उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

*८९-९०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९१—श्री सजीवनलाल—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में दवा छिड़कने वाले मजदूर

*९२—श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में सैनिटरी इंसपेक्टर के मातहत दवाओं के छिड़काव का काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी संख्या ९ है ।

*९३—श्री रघुनाथसहाय यादव—उनमें से ज्यादा से ज्यादा कितनी मुद्दत तक मुलाजमत करने वाले लोग हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री चन्द्र भानुगुप्त—९ साल, वेतन ४० रु० मासिक ।

*९४—श्री रघुनाथ सहाय यादव—क्या यह सही है कि इनको आज तक किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, क्योंकि इनका वेतन स्थाई (Fixed) है ।

*९५-९७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९८—श्री अभयराम यादव—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के लिये समिति

*९९—श्री अभयराम यादव—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में अन्य जिलों की भांति ही सरकार द्वारा १९६० में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हेतु किसी ऐसी कमेटी का निर्माण किया गया था जो उक्त नियुक्तियों में अपना सुझाव दे सके ? यदि हां, तो उक्त कमेटी को बने कितना समय हो गया और उस कमेटी की अब तक कुल कितनी मीटिंगें बुलाई गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस कमेटी का निर्माण ९ अगस्त, १९६० को किया गया था । कोई मामला विचाराधीन न होने के कारण अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ।

*१००—श्री अभयराम यादव—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

रुद्रपुर कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत भूमि--वितरण

*१०१--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर कालोनाइजेशन स्कीम के अन्दर जिन लोगों को जमीनें एलाट की गई हैं उनमें से बहुत सी जमीनें अभी तक सरकार ने नहीं तुड़वाई हैं और किसानों को बंजर जमीनों का लगान देना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसानों की कितनी जमीनें हैं और वे कब एलाट की गई थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--रुद्रपुर कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्दर सब allottees को जमीन तुड़वाकर एलाट की गई है और ऐसा कोई allottee नहीं है जिसको बंजर भूमि का लगान देना पड़ रहा हो ।

मलेरिया विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*१०२--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय मलेरिया विभाग के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक जो नये कर्मचारी भरती किये गये हैं, उनकी कुल संख्या क्या है ?

*१०३--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी अलग-अलग किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने और किस-किस पद पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है ।

टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की विद्यार्थी परिषद् का स्मृति-पत्र

*१०४- श्री रामशरण यादव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १४ फरवरी, १९६१ को गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की विद्यार्थी-परिषद् (Students union) के पदाधिकारियों ने उनको स्मृति-पत्र दिया है ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । उक्त स्मृति-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

गोमती के कटाव से कैथी ग्राम की सुरक्षा पर विचार

*१०५--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुख्य मंत्री ने दिसम्बर, १९६० में अपने बनारस के दौरे में कैथी ग्राम में जो गोमती नदी की बाढ़ से बहुत बड़ा कटाव हुआ है, उसे देखा है ? यदि हां, तो उस कटाव से किसानों की कितनी एकड़ खड़ी फसल तथा कृषि योग्य भूमि का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, दिसम्बर, १९६० में वाराणसी जिले के दौरे में मुख्य मंत्री जी ने गोमती की बाढ़ से कैथी ग्राम में हुए कटाव का निरीक्षण किया था । कटाव से कुल १०५.३५ एकड़ भूमि की हानि हुई, जिसमें से ५८.७३ एकड़ भूमि पर फसल खड़ी थी ।

*१०६--श्री रामलखन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कटाव से किसानों का कुल कितने रुपयों की फसल तथा भूमि का अलग-अलग नुकसान हुआ है तथा सरकार ने किसानों को कितना रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपर्युक्त कटाव से फसल तथा भूमि की जो क्षति हुई उसका अनुमानित मूल्य क्रमश : ३७९९ रु० ५३ न० पै० तथा ६०,००० रु० है । प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं है ।

*१०७—श्री रामलखन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोमती नदी के उक्त कटाव से कैथी ग्राम की रक्षा की सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

*१०८-१०९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११०-१११—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर सीकरी बाढ़ क्षेत्र से सिंचाई-कर लेने की राजस्थान सरकार की मांग

*११२—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान सरकार आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी के बाढ़ क्षेत्र के ग्रामों से लगभग एक लाख रुपये राजस्थान के बन्धों से बाढ़ का पानी उक्त क्षेत्र में आने के कारण सिंचाई-कर के रूप में वसूल कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्थान सरकार की इस तरह की मांग अवश्य है। इस सम्बन्ध में भरतपुर जिलाधीश से आगरे के जिलाधीश का पत्र व्यवहार हो रहा है और जब उनको मांग के सम्पूर्ण ब्यौरे इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी हो जायगी तब जिलाधीश आगरा वसूली का प्रश्न शासन के सम्मुख उपस्थित करेंगे ।

*११३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि राजस्थान के बन्धों के टूटने के कारण फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्रामों को जो हानि पहुंची है उसका हर्जाना भी राजस्थान सरकार से वसूल किया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रश्न पर जिलाधीश, आगरा की रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जायगा ।

देवरिया में कोयले में मिलावट की शिकायत

*११४—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि (अ) क्या उद्योग (Industries) में प्रयुक्त होने वाले कोयले का कोई थोक व्यापारी देवरिया में है ? क्या वह अन्य प्रकार के कोयले का भी व्यापारी है ?

(ब) क्या उद्योग के कोयले में अन्य प्रकार के कोयले को मिलाकर बेचने की शिकायत गत तीन साल के अन्दर कभी जिलाधीश देवरिया को मिली थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला देवरिया में उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कोयले का कोई थोक व्यापारी नहीं है। कोई प्रश्न नहीं उठता। जी नहीं।

सीतापुर जिले में पुराने गजटेड अफसर

*११५—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने गजेटेड अफसर ऐसे हैं जो अपने पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सात। इनके पद व विभाग संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५५३ पर)

चिकित्सा विभाग में परगणित तथा पिछड़ी जाति के लोग

*११६---श्री रामदीन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० को चिकित्सा विभाग में कितने अधिकारी तथा कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ..	..	..	..	१
अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक ..	..	..	..	१
उप-स्वास्थ्य सेवा निदेशक ..	..	..	..	३
सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक ..	..	..	..	२
सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर ..	..	..	..	१
इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ..	..	..	..	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट नर्सिंग सर्विसेज ..	..	..	..	१
व्यक्तिगत सहायक ..	..	..	..	३
सिविल सर्जन व अस्पतालों के अधीक्षक ..	..	..	..	६०
पी० एम० एस० (प्रथम) पुरुष ..	..	..	..	२४१
पी० एम० एस० (प्रथम) स्त्री ..	..	..	..	६८
पी० एम० एस० (द्वितीय) (पुरुष) ..	..	..	..	७३७
पी० एम० एस० (द्वितीय) स्त्री ..	..	..	..	१५
मेडिकल कालेजों के प्रधान अध्यापक ..	..	..	..	३
मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर ..	..	..	..	१८
मेडिकल कालेजों के रीडर ..	..	..	..	३४
मेडिकल कालेजों के लेक्चरर ..	..	..	..	७२
मेडिकल कालेजों के दूसरे अधिकारी ..	..	..	..	१९
प्रादेशिक नर्सिंग सर्विसेज के अधिकारी ..	..	..	..	४५
		योग	..	१,४६८

कर्मचारी

पी० एम० एस० अधिकारी ..	..	..	..	१४३
सब प्रकार के नान-गजटेड, मिनिस्ट्रियल व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ..				९,३९६
		योग	..	९५३९

उपरोक्त में से निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी परिगणित जाति व बैकवर्ड क्लास के थे :--

	परिगणित जाति	बैकवर्ड क्लास
अधिकारी	५	३
कर्मचारी	२,२३३	१,६३०

*११७-११८---श्री लायकसिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)---[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजपत्रित अधिकारी

*११९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में १५ नवम्बर, १९६० को कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे और उनमें कितनी औरतें, कितने पिछड़े वर्ग एवं कितने परिगणित जाति के थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुल ९६१९ जिनमें से ४०८ औरतें, ६७ पिछड़े वर्ग के एवं १९४ परिगणित जाति के ।

हल्द्वानी गन्ना समिति की मांगें

*१२०—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले माह में हल्द्वानी, जिला नैनीताल की गन्ना समिति का कोई प्रतिनिधि मन्डल गन्ना आयुक्त से मिला था ? यदि हां, तो उन्होंने गन्ना आयुक्त के सामने किन-किन बातों को रखा और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५५४ पर)

*१२१–१२३—श्री उमाशंकर शुक्ल—[४ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तराखंड के विभागों में कार्य

*१२४—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड में पिछले ६ माह में किस विभाग का कितना-कितना कार्य हुआ है और उन पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है । इसमें अभी समय लगेगा ।

आजमगढ़ जिले में ईंटों के भट्ठे

*१२५—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में इस समय कुल कितने ईटों के भट्ठे चल रहे हैं ? कितने प्राइवेट और कितने सहकारी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१२० भट्ठे । इनमें १०७ प्राइवेट (६० स्थायी, ४७ अस्थायी) तथा १३ सहकारी हैं ।

*१२६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५८–५९ व १९५९–६० में कुल कितने भट्ठे निजी एवं सहकारी चालू थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५८–५९ में १४८ ईंट के भट्ठे चालू थे जिनमें ११५ निजी (६२ स्थायी, ५३ अस्थायी) और ३३ सहकारी थे । सन् १९५९–६० में १४४ ईंट के भट्ठे चालू थे जिनमें ११३ निजी (६० स्थायी, ५३ अस्थायी) और ३१ सहकारी थे ।

खागा तहसील हेडक्वार्टर में बिजली की आवश्यकता

*१२७—श्री बासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार को पता है कि फतेहपुर जिले में सब तहसील हेडक्वार्टरों में विद्युतीकरण हो चुका है, सिर्फ खागा तहसील हेडक्वार्टर में अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

*१२८---श्री वासुदेव दीक्षित---यदि हां, तो कब तक तहसील खागा के हेडक्वार्टर पर विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील खागा में अभी तक विद्युत् लाइन नहीं गई है अतएव यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तहसील खागा हेडक्वार्टर का विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा ।

हाटा तथा पडरौना तहसीलों में ओला पीड़ितों को सहायता

*१२९---श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत उपल वृष्टि से जिला देवरिया की तहसील हाटा व पडरौना के कितने गांव प्रभावित हुये तथा उनमें कितने प्रतिशत की क्षति, फसल रबी १३६७ फसली की हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गत उपल वृष्टि से जिला देवरिया की तहसील हाटा व पडरौना के १९० गांव प्रभावित हुये हैं । इन दोनों तहसीलों में रबी १३६७ फसली में उपल वृष्टि नहीं हुई है, अतः उस फसल की क्षति का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है ।

*१३०---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपल वृष्टि से प्रभावित उक्त गांवों की सहायता किस प्रकार की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गत उपल वृष्टि से प्रभावित उक्त ग्रामों की सहायता निम्न प्रकार से की गई है ---

(अ) २३२३ रु० ८९ न० पै० की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटी गई ।

(ब) १६,३६५ रु० की धनराशि तकावी के रूप में वितरण की गई ।

(स) पीड़ितों को काम दिलाने के लिये हाटा-देवरिया सड़क पर टेस्ट वर्क खोला गया है ।

(द) सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

(य) गन्ने को तुरन्त बेचवाने तथा चीनी की मिलों से गन्ने के मूल्य की शीघ्र अदायगी के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ।

लखीमपुर तहसील में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*१३१---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६० की बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के हेतु जिला खीरी के हाकिम परगना लखीमपुर को सहायतार्थ तकावी बांटने के लिये कितनी धनराशि सौंपी गई थी ? उसमें से कितनी बांटी गई और कितनी वापस कर दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के हेतु कोई तकावी की धनराशि अलग से स्वीकृत नहीं की गई । इस जिले को २,१६,००० रु० की तकावी बाढ़ से पीड़ित कृषकों के सहायतार्थ स्वीकृत जरूर की गई थी जिसमें से १,४०,००० रु० लखीमपुर तहसील को दिये गये । यह धनराशि पूरी वितरित हो गई । अकृषकों (Non-Agriculturist) को मकान पुनर्निर्माण हेतु २५,००० रु० ऋण स्वीकृत किया गया, जिसमें से १२,००० रु० लखीमपुर तहसील को दिया गया । इस धनराशि में से ८,६५० रु० वितरित किया गया ।

*१३२--श्री शिवप्रसाद नागर--हाकिम परगना लखीमपुर द्वारा जितने लोगों को मकानों के लिये उपर्युक्त तकावी दी गई है, क्या सरकार उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कृषकों को मकानों के पुनः निर्माण हेतु अलग से कोई तकावी नहीं दी गई इसलिये उसकी सूची देने का प्रश्न नहीं उठता। अकृषकों (Non-Agriculturist) को जो ऋण दिया गया उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'ढ' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

बाजना ग्राम को पृथक रेवेन्यू ग्राम घोषित करने की प्रार्थना

*१३३--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बाजना ग्राम, तहसील माठ, जिला मथुरा को पृथक रेवेन्यू ग्राम घोषित करने के लिये जिला अधिकारियों ने १९५६ में सरकार से सिफारिश की थीं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। इस विषय में समस्त कार्यवाही हो चुकी है। जन गणना के कारण बाजना ग्राम को पृथक रेवेन्यू ग्राम घोषित करना स्थागित कर कर दिया गया था। अब इस सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञप्ति शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी।

*१३४--श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १ जनवरी, १९५६ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६० तक कितने रेवेन्यू ग्राम पृथक बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल तीन।

*१३५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--[१० मई, १९६१ के लिये प्रश्न ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नों के संबंध में उठाना चाहता हूं। वह यह है कि एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मैंने तारीख ३-४ को दिया था और आज २७ तारीख हो गई.....

श्री अध्यक्ष--देखिये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह दफ्तर से संबंधित है। दफ्तर में आकर आप इसकी शिकायत करें।

सदन के भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी की मांग

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, हमारी असेम्बली का आगे का प्रोग्राम क्या होगा, इसके बारे में मैं जानकारी करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अभी गर्मी ज्यादा नहीं है। जब गर्मी बढ़ जायगी तो मैं प्रोग्राम बतला दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपके द्वारा सदन के माननीय नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी को आप देखें यह बात ठीक है, लेकिन हम लोगों को जाने के लिये बर्थ रिजर्वेशन कराने के लिये ८,१० दिन पहले

[श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल]

कोशिश करनी पड़ती है तब वह मिलती है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता है तो बड़ी असुविधा होती है। इसलिये कम से कम १० दिन पहले प्रोग्राम बतलाने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं सोमवार को प्रोग्राम बतला देना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, सोमवार को बतला दूंगा।

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के नेताओं द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के लिये कई प्रस्ताव आये हैं। उनमें से मैंने श्री प्रतापसिंह जी का स्वीकार किया है जो इस प्रकार है :---

"यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी०, उपाध्यक्ष श्री मुकुन्द सिंह व चौधरी हरसहायसिंह, प्रधान मंत्री श्री वी० वी० शुक्ल तथा कोषाध्यक्ष श्री मदन पांडेय, एम० एल० ए० ने मंगलवार २५ अप्रैल, १९६१, ९ बजे सुबह से निम्न चार मांगों के लिये अपना आमरण अनशन आरम्भ कर दिया है :---

१---शुगर केन बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाय।

२---यूनियनों द्वारा उठाये गये औद्योगिक विवाद तुरन्त अभिनिर्णयार्थ श्रम अदालतों को भेजे जायं।

३---यूनियनों के रजिस्ट्रेशन का तरीका सरल किया जाय।

४---चीनी मिलें तब तक बन्द नहीं होंगी जब तक खेत का कुल गन्ना पेर न लिया जाय।

भूख-हड़ताल से सारे प्रदेश में मुख्यतः मिल मजदूरों एवं किसानों में एक असंतोष एवं उत्तेजना का वातावरण फैल चुका है। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।'

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री कब तक वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---इस संबंध में पहली तारीख को वक्तव्य दे दूंगा। इस वक्त भी वक्तव्य दे देता, किन्तु श्रम मंत्राणी इस समय यहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---पहली तारीख को दे दीजियेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैंने एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था जिसमें मूर्तियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने की बात थी। उसके लिये अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष---वह इसके विषय में सायंकाल को बतलायेंगे। तब मैं आपको बतला दूंगा।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---मैंने भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था। उसको आपने स्वीकार नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---आप कल फिर दे सकते हैं। आज तो मैंने एक स्वीकार कर लिया।

आय-व्ययक की मांगों में लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को कम करने पर वैधानिक आपत्ति (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—पहले इसके बारे में फैसला होगा कि श्री नारायणदत्त तिवारी जो कल बोल चुके हैं, उन्होंने एतराज उठाया था लेखानुदान के संबंध में, कि जब लेखानुदान स्वीकृत हो चुकता है तो उसको छोड़कर बाकी जो मांगें हैं, उन पर विवाद होता है और उसी पर राय ले ली जाती है। वह यह चाहते थे कि इसमें स्वीकृत लेखानुदान की मांगें भी शामिल करनी चाहिये। इस विषय में किसी को और कुछ कहना है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय माननीय नारायणदत्त जी ने यह वैधानिक आपत्ति पेश की थी, मैं सदन में नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा उससे मुझे मालूम हुआ कि उनको विशेष आपत्ति यह है कि बावजूद इसके कि एक बार वोट आन एकाउन्ट पास हो गया फिर भी उसके अन्तर्गत जो विभागीय मदें पास हो चुकीं, उनका कहना यह है कि जिस समय हर विभाग के अनुदान पेश किये गये, उनको भी उसके अन्दर शामिल करना चाहिये था। चूंकि विभागीय मदों में उसको शामिल नहीं किया गया इसलिये उनकी यह राय है कि यह उचित नहीं हुआ और यह वैधानिक नहीं हुआ। ऐसा मैंने समझा।

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्वाइंट पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं यह भी बतलाऊं कि सन् १९५७–५८ में जिस समय बम्बई की असेम्बली में बजट पेश किया गया था उस समय भी वहां के मंत्री महोदय ने वोट आन एकाउन्ट के अन्तर्गत जो धनराशि अपने अपने विभागों की पास हो गयी थी उसको घटा कर जो बाकी ग्रान्ट थी, उसे पेश किया था। वहां भी किसी माननीय मेम्बर ने नारायणदत्त जी की तरह से ही यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था। उनकी क्या राय थी वह मैं बाद में बतलाऊंगा लेकिन मैं उसके पहले दो एक बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं।

पहली बात तो यह कि माननीय नारायणदत्त जी का खयाल यह है कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २०६ की जो धारा (१) है उसके अन्दर जो "सच ग्रांट" (Such grant) वर्ड आया है उसका मतलब यह है कि ग्रांट इन एडवांस, जो कि वोट आन एकाउन्ट के अन्तर्गत पास की गयी। और वह यह समझते हैं कि आर्टिकिल २०३ के अन्तर्गत जितनी भी कार्यवाही होनी थी वह उस ग्रांट के संबंध में भी होनी चाहिये थी। मेरा मान्यवर, आप के द्वारा उनसे यह कहना है कि 'सच ग्रांट' के माने यह हैं कि विधान के आर्टिकिल २०२ के अन्तर्गत जो फाइनेंस स्टेटमेंट पेश किया जाता है तथा २०३ के अन्तर्गत प्रेषित उसका फुल ग्रांट से संबंध है न कि उससे जो कि उसका एक हिस्सा है और एडवांस के तौर पर पास किया गया है। उसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल ग्रांट २०३ के अन्तर्गत इस हाउस को पास करनी थी उसका संबंध उस से है, इससे नहीं है। क्योंकि यदि उन की बात मान ली जाय कि उसका संबंध इससे है तो उसकी पूर्ति की जो बात शेष करनी है वह तो आर्टिकिल २०६ के अन्तर्गत कंप्लीट हो गयी थी। तथापि शब्द "वेंडिंग दि कम्प्लीशन" से कोई मतलब नहीं रहता है। तो 'सच ग्रांट' के माने यह हैं कि पूरी ग्रांट जो है वह और उस के अन्दर से जो वोट आन एकाउन्ट में पास कर दी गयीं उसको घटाने के बाद।

दूसरी उसमें एक कठिनाई यह भी है कि वोट आन एकाउन्ट के अन्तर्गत इस हाउस को वही अधिकार हैं जो कि २०३ के अन्तर्गत ग्रांट पेश करते वक्त होते हैं। यानी हाउस को अधिकार है कि चाहे तो उस धनराशि को देने से इनकार कर दे या चाहे तो कम कर दे या चाहे तो पास कर दे। लेकिन एक बार जब उसको हाउस ने पास कर दिया तो यह संभव नहीं है कि उस ग्रांट को दोबारा हम हाउस के सामने वोट के लिये पेश करें, क्योंकि ऐसा करने से

†२६ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री नवलकिशोर]

डबल वोटिंग भी होगी। एक अंदेशा यह भी है कि उस ग्रांट के लिये जो कि हाउस ने पास कर दी, जिसके ऊपर कि कंसालिडेटेड फंड से रुपया विदड्रा होकर, संभावना यह भी है कि खर्च भी हो गया हो, उसके लिये हाउस दोबारा इनकार नहीं कर सकता और न उसे रिड्यूस कर सकता है। यह भी एक इलोल मेरी है इस बात के लिये कि उस धन को इसके अन्दर शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक माननीय, उन्होंने इस बात की आपत्ति उठायी कि इस हाउस को इस बात का मौका नहीं मिला कि वह हर ग्रांट पर अपना मत व वोट देता, तो मेरा कहना यह है कि जिस समय वोट आन एकाउन्ट पेश होता है तो यह सही है कि एक एक कर के ग्रांट पेश नहीं होती लेकिन उस वक्त हर ग्रांट विभाग की अपनी जगह पर सेपरेट होती है, अलग होती है। यह दूसरी बात है कि सब ग्रांट्स को मिलाकर एक सूची ग्रांट्स की पेश कर दी जाती है कि इस इस विभाग के अन्दर इतना इतना पैसा हम एडवांस में चाहते हैं। तो इस सदन को यह अधिकार है उस समय भी कि उसके ऊपर यह कोई भी बहस कर सकता है। मेरी मालूमात यह है कि एक आपस का समझौता नेता विरोधी दल का तथा अन्य नेताओं का और सरकारी पक्ष के नेताओं का था कि वोट आन एकाउन्ट के ऊपर कोई बहस नहीं होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सदन तथा सदस्यों को अधिकार है, और यदि वह चाहते तो उसको इस्तेमाल कर सकते थे, अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। एक बात और कही गई कि अगर उस ग्रांट को शामिल नहीं करेंगे तो दो एप्रोप्रिएशन बिल पास होंगे और दो एप्रोप्रिएट एकाउन्ट्स रखने होंगे। इसको सुलझाने के लिये यह तरीका अख्तियार किया गया है कि जब फाइनल एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तो उसमें वह भी धनराशि शामिल कर लेते हैं जो वोट आन एकाउन्ट में पास हो गयी है और उसमें यह लिख दिया जाता है कि इसको उसमें शामिल कर दिया है ताकि एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स एक ही रखा जाय और दो न रखे जा सकें। दूसरे यह भी है कि वोट आन एकाउन्ट के समय मदों का विवरण नहीं दिया जाता है।

जहां तक बाम्बे का सवाल है, मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां भी अध्यक्ष महोदय थे, जब इसी तरह का प्रश्न उनके सामने आया था, तो यही क्यू रखा था उन्होंने भी, और मैं आपकी आज्ञा से केवल तीन-चार लाइनें ही पढ़ देना चाहता हूं—

"The Assembly can be called upon to deal only with the balance required to make up the total amounts asked for....."

फिर आखिर में जो उन्होंने कहा है उसकी भी तीन लाइनें और पढ़ूंगा—

".....I, therefore, hold that it would not be in order to include in the main demands the amount already voted on account....."

अध्यक्ष महोदय, तो मेरा कहना यह है कि बाम्बे के स्पीकर ने भी इस प्रश्न को ही सही माना है। यही नहीं, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हाउस आफ कामन्स में भी यही तरीका है और लोक सभा में भी यही तरीका है, केरल, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी यही है। इतना जरूर है कि हाउस आफ कामन्स में एक कमेटी है 'कमेटी आफ सप्लाइज' जो हर मद पर विचार करती है।

श्री अध्यक्ष—कौन सी कमेटी है?

श्री नवलकिशोर—कमेटी आफ सप्लाइज। उसके अन्दर यह होता है कि जो ग्रांट होती है, और जो उसमें से एडवांस होता है, वोट आन एकाउन्ट के द्वारा वह पृथक-पृथक एमाउन्ट पास होता है। इसके अलावा यदि आप आज्ञा दें तो मैं केवल ३ लाइन, जो बस् की कमेंटरी है, उसमें से भी पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कौन सा पेज है?

श्री नवलकिशोर--पेज है ६६०, थर्ड एडीशन, वाल्यूम १, उसमें यह लिखा है—

"When the annual grant for any service is finally voted by Parliament, the amount already included in the vote on account is deducted from the total amount of the estimate and only the balance is put to the vote of the House....."

तो इसमें भी यही लिखा है।

एक बात और इसी संबंध में बतलाना चाहता हूं कि जब बाम्बे के स्पीकर महोदय ने अपना फैसला दे दिया, तो उसके बाद भी यह मसला वहां के एडवोकेट जनरल के सामने गया और, मान्यवर, उन्होंने भी यही निश्चय किया कि यह जो तरीका है कि वोट आन एकाउन्ट हो जाने के बाद उतना धन जो पास हो जाता है उसे काट कर जो बैलेंस है उसी को फिर हाउस के सामने पेश करना चाहिये यह ठीक है। मैंने इस संबंध में वही आर्गूमेंट्स पेश किये हैं जो उस समय बाम्बे में दिये गये थे। इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि माननीय तिवारी जी का जो शक है वह निर्मूल है, बेबुनियाद है।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायण दत्त तिवारी से) चूंकि कल आपने सिर्फ यही कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यही रिवाज है, किन्तु आपने उसके लिये कोई सबूत कत नहीं दिया था, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में वह कहां पर है, यह नहीं बताया था, इसलिये आज आप उसे ही बतावें क्योंकि और बातें तो आप कल कह ही चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि माननीय नवल किशोर, जो इस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और जो कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोशिएशन के सम्मेलन में भी भाग ले चुके हैं, मेरी बात से सहमत नहीं हैं। दिक्कत यह है, श्रीमन्, कि हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस क्या है, यह एक बड़ा गूढ़ विषय है, और इसलिये मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने काफी अध्ययन करने की चेष्टा की, और अगर आप मुझे कहने की आज्ञा दें, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने ७ दिन हाउस आफ कामंस में उनके क्लार्क्स से बातचीत करने में लगाये और, श्रीमन्, वास्तविकता यह है कि हमारे यहां तो पहले एस्टीमेट्स साल में एक ही बार पेश हुआ करते थे, यानी एनुअल फाइनल एस्टीमेट्स। हाउस आफ कामन्स में ६ एस्टीमेट्स पेश होते हैं। मेन एस्टीमेट्स के अलावा सप्लीमेंटरी वोट आन एकाउन्ट का अलग एस्टीमेट पेश होता है जो प्रावीजनल एस्टीमेट कहलाता है। और यह प्रावीजनल है, इसमें वोट आन एकाउन्ट अलग से पास होता है। तो यह बुनियादी फर्क है जो हाउस आफ कामंस में और हमारे यहां किया गया।

एक सदस्य--इंडियन पार्लियामेंट में प्रोसीज्योर क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--वहां विचार इस संबंध में नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि हाउस आफ कामंस में एक अप्रोप्रिएशन बिल साल में पास होता है। हम हर साल ३-४ पास करते हैं, सप्लीमेंटरी में भी अप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं, जबकि हाउस आफ कामंस में यह होता है कि कंसालिडेटेड फंड बिल पास होता है, उसी से अमाउंट विदड्रा किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल एक बार साल के अन्त में पास किया जाता है। मैं पहले एक प्रोसीडिंग हाउस आफ कामंस की पढ़ कर सुनाऊंगा जो कि कंसालिडेटेड फंड से संबंधित है, इसमें शब्द 'अप्रोप्रिएशन" नहीं लिखा जाता--

"Bill to apply certain sums out of the Consolidated Fund to the service of the year ending on the 31st day of March, one thousand nine hundred and sixty and one thousand nine hundred and sixty one, presented accordingly, and read the first time ; to be read a second time to-morrow and to be printed".

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो इसमें शब्द "to apply certain sums out of the Consolidated Fund" इस्तेमाल किये गये हैं। लेकिन जो मेन अप्रोप्रिएशन बिल बाद को आता है उसमें दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस प्रकार है--

"Bill to apply a sum out of the Consolidated Fund to the service of the year ending on the 31st day of March, one thousand nine hundred and fifty nine and to appropriate the supplies granted in the session of Parliament presented accordingly and read the first time....."

ये शब्द बुनियादी रूप से फर्क बतलाते हैं कि "to appropriate the supplies granted in the session" यह शब्द साल में एक ही बार इस्तेमाल होते हैं मेन अप्रोप्रियेशन बिल में। जो वोट आन अकाउन्ट है वह कंसालिडेटेड फंड के जरिये से एक दफा निकाला किया जाता है--यह हमारे यहां प्रणाली नहीं है।

अब मैं जो मैनुअल आफ प्रसीजर है, हाउस आफ कामंस की, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं--२१६वां रूल इस प्रकार है--

"Resolutions passed by the Committee of ways and means, when agreed to by the House, require confirmation by Act of Parliament".

The resolution authorizing grants out of the Consolidated Fund are confirmed by one or more Consolidated Fund Acts and by the Annual Appropriation Act".

हमारे यहां यह परम्परा नहीं है। हमने वोट आन अकाउन्ट का ऐक्ट पास कर लिया। या तो हम यह कहें कि जो ऐक्ट पास हो गया उसमें वोट आन अकाउन्ट का जिक्र नहीं करेंगे या हम सारी डिमांड पेश करेंगे और आज के अप्रोप्रिएशन ऐक्ट में उन सारी डिमांड को स्थान देंगे, या तो यह ठीक है कि डबल वोटिंग डिमांड में नहीं होगा, तो अप्रोप्रिएशन ऐक्ट में भी डबल वोटिंग नहीं होगा। हम दो बार नहीं कर सकते और अगर डबल वोटिंग होना हो तो वोट आन एकाउन्ट को शामिल करके डिमांड में भी होगा और अप्रोप्रिएशन ऐक्ट में भी होगा। अगर सरकार ने अप्रोप्रिएशन ऐक्ट में सारी डिमांड पेश कीं तो मैं आपकी रूलिंग को आधार मान कर प्रश्न उठाऊंगा, यह मैं नोटिस दिये देता हूं।

अन्त में मैं केवल डाक्टर अम्बेदकर ने जो आर्टिकिल नया बढ़ाया है, उसको पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वोट आन अकाउन्ट ग्रांट द्वारा लम्पसम ग्रांट की जाती है--

"The Vote on Account Procedure which we propose to introduce by an amendment provides for Parliament allowing a lump sum grant to the Executive to be spent upon the services of the year for say about two months or so, so that the two months time will be available to Parliament to discuss in a much greater length--I don't say fully--the budget provisions and the financial provisions of the Government".

लम्पसम ग्रांट में कोई हेड और सब-हेड की कटौती का प्रस्ताव नहीं हो सकता और कांस्टीट्यूशन में अधिकार मिला हुआ है कि हम हेड और सब-हेड की भी कटौती कर सकते हैं। हमारे सामने अलग से कोई एस्टीमेट वोट आन एकाउन्ट का पेश नहीं है। इसमें, श्रीमन्, आगे चलकर श्री टी०टी० कृष्णमचारी ने भी कंसालिडेटेड बिल का जिक्र किया है पेज ७४१ पर--

"Parliament might make necessary legislation undertaking that such and such shall be the procedure to be followed in such matters. It can lay down that the Executive must present the demand for a Vote on Account, or call it a Consolidated Bill no. I, to cover expenditure for two months".

तो, श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन बनाने वालों का भी आईडिया था कि वोट आन एकाउन्ट कंसालिडेटेड फंड बिल के आधार पर होना चाहिये। इसलिये, श्रीमन्, कम से कम इतना अवश्य करें कि

एडवोकेट जनरल की राय ले लें। श्री नवल किशोर जी ने बम्बई में एडवोकेट जनरल की राय के लिये जाने की बात कही थी। इस प्रश्न पर आप कोई विस्तृत रूलिंग न दें, एडहाक, काम चलाऊ रूलिंग दे दें, पहले काम्ट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया के विचार ले लिये जायं और एडवोकेट जनरल हाउस में स्वयं आकर अपने विचार दें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जैसा नारायणदत्त जी ने कहा, यह अच्छा ही है कि हम एडवोकेट जनरल की राय ले लें। बम्बई वालों ने भी एडवोकेट जनरल की राय ली थी। फिलहाल काम में कोई अड़चन नहीं है, काम तो चलता ही जायगा। आगे हमेशा के लिये हमें जो प्रथा बनानी है उसके लिये हम राय ले लेंगे तो वह उचित ही होगा। इसलिये मैं अपना निर्णय नहीं देता हूं, केवल तात्कालिक निर्णय जरूर देता हूं कि अभी तक मांगों के बारे में लेखानुदान द्वारा स्वीकृत जितना हिस्सा है उसको छोड़ कर और उसके ऊपर, जो मांगें स्वीकार की हैं उसी तरह से रहेगा।

एप्रोप्रिएशन के बारे में जो बिल आयेगा, उसमें यह अड़चन न हो कि दो दो एप्रोप्रिएशन बिल हो जायं और उनका अलग अलग हिसाब रखना पड़े। उसके लिये कोई फैसला तो नहीं है, लेकिन उसके लिये इस तरह की चीज हो सकती है कि शामिल करके बिल पास हो जाय। माननीय नारायणदत्त जी की यह बात न्यायसंगत मालूम होती है कि चीज दोनों तरफ से एक-सी ही हो। उसमें हम यह अड़चन भी देख लेंगे कि अगर एप्रोप्रिएशन बिल दो अलग-अलग पास हुये और बिलकुल सेप्रेट बने रहे तो एकाउन्टिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है। इस बीच में इस विषय पर भी जांच हो जायगी और अंतिम फैसला एडवोकेट जनरल की राय लेने के बाद ही दिया जायगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं भी इस सिलसिले में अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष--उसी वक्त कहियेगा।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या ४--स्टाम्प

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--स्टाम्प के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ८,०२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--स्टाम्प के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ८,०२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६--निबंधन

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १७,७६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६---निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १७,७६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८---बिक्री-कर

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८---बिक्री-कर के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४२,३१,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---बिक्री-कर के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४२,३१,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९---अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन)

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९---अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,०३,२१,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९---अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,०३,२१,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२---पेंशनों की संराशि

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२---पेंशनों की संराशि के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६,६५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२---पेंशनों की संराशि के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६,६५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १९,०६,२४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १९,०६,२४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,४४,६९,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे केवल इतना ही अर्ज करना है कि चूंकि आज केवल आधा ही दिन है, इसलिये शुरू में मैं कोई वक्त न लूं जिससे ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे माननीय सदस्यों को मिले और वे अपने विचार प्रकट कर सकें । उनसे हमें फायदा उठाने का मौका मिलेगा । इस संबंध में तमाम साहित्य भी बांट दिया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कोई साहित्य नहीं बंटा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बजट बंटा तो है । यह क्या है ? बजट भी तो साहित्य ही है ।

(हंसी)

मैं आशा करता हूं कि यह सदन अपनी राय देकर हमें सहायता पहुंचायेगा, हमारे रास्ते पर रोशनी डालेगा ताकि हम लाभान्वित हो सकें । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष—ढाई बजे तक इसको रखा जाय जिससे एप्रोप्रिएशन बिल के लिये समय मिल जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, ३ बजे तक रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—किसी को कोई आपत्ति न होगी तो ३ बजे तक रख दिया जायगा । (कुछ ठहर कर) अच्छा, पौने तीन बजे तक यह रहेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

न्याय का पृथक्करण पूर्ण रूप से न होने, न्याय के महंगे होने, निष्पक्ष न होने, न्यायालयों द्वारा पास किये गये स्ट्रिक्चर्स (strictures) पर सरकार द्वारा कार्यवाही न करने आदि के विषय पर चर्चा करना ।

श्रीमन्, मैं जो आज इस न्याय के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं, वह मेरे द्वारा रखे जाने पर न्याय मंत्री को कुछ आश्चर्य होगा क्योंकि इस न्याय के सम्बन्ध में कोई न्याय का जानकार इस कटौती प्रस्ताव को रखता तो शायद ठीक प्रकार से तर्कना करता लेकिन न्याय के बारे में न जानते हुए भी एक साधारण जन-प्रतिनिधि की हैसियत से आज हमें आज के इस न्याय में अन्याय दीख पड़ता है और इन कचहरियों में परेशानी और देश की तबाही दीख पड़ती है और उसी अनुभव के आधार पर मैं यह कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं । यद्यपि आज हमारे न्याय का प्रशासन हमारे सुयोग्य न्याय मंत्री के हाथ में है, मुझे आशा है कि सारी दिक्कतों को देखते हुए वे इस पर विचार करेंगे । मैं उनकी हाजिर जवाबी और उनके प्रहसन का कायल हूं लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस गम्भीर विषय रर संजीदगी से विचार करेंगे । क्योंकि न्याय का देश और प्रदेश के बनने और बिगड़ने में प्रमुख हाथ होता है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, आज अपने देश और प्रदेश में न्याय एक पहेली-सा बन गया है। आमतौर से जनता को यह कहते हुए देखा जाता है कि आज न्याय इतनी देर से और इतनी कीमत में मिलता है कि न्याय का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। देखा गया है कि जितने भी जजायग होते हैं उनका निर्णय होते होते तक जुर्म करने वाले स्वयं झुक जाते हैं और साथ ही वकील आदि जो होते हैं वे भी यही कहते सुने जाते हैं कि अब जल्दी फैसला हो जाय तो अच्छा है।

आज हमारे सामने १·८७ करोड़ रुपये के व्यय का हिसाब रखा गया है और इसी न्याय प्रशासन में ४१ लाख रुपये की आय भी बतलायी गयी है। इन सारी बातों का विवरण मैं आगे चल कर आपको बतलाऊंगा। एक तरफ तो इस न्याय के सम्बन्ध में तमाम शिकायतें समय समय पर होती रही हैं.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जो थोड़ा बात कह कर बैठ गये, लेकिन माननीय सदस्य ऐसी घसीट भाषा में बोलते हैं जिससे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्री टीकाराम पुजारी से मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वे ध्यान से सुनते तो मेरी बात उनकी समझ में आ जाती। उनकी तरह से मैं हाथ पैर झिटक कर तो बोलता नहीं हूं। लेकिन जो कुछ भी अपनी बात है उसको ध्यान से कहता हूं।

श्रीमन्, पिछले सालों से हमारे सामने यह बात बराबर आती रही है कि इन अदालतों में बड़ा भ्रष्टाचार है और रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है। उसको रोकने के लिये एक जांच कमेटी भी बनी हुई है। और उस कमेटी ने बराबर साल भर तक बहुत-सी बातों की जांच पड़ताल की है। लेकिन उसका क्या परिणाम निकला, वह अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं है। हां, इस आय-व्ययक में बतलाया गया है कि एक ला कमीशन की नियुक्ति हुई है जिसमें एक लाख रुपये का व्यय भी रखा गया है। यह ला कमीशन जो बना हुआ है वह इसलिये है कि जो अधिनियम बनें उन पर वह इस बात पर दृष्टिपात करे कि कानून में किसी प्रकार का नुक्स न रहे और कोई नुक्स होने पर उनको दुरुस्त करने में भी सरकार को प्रेरणा देता रहे। मुझे इस बात के कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ज्योंही सरकार कोई अधिनियम बनाती है उसके बनते ही सरकार को तथा हाईकोर्ट को उसमें नुक्स दिखलायी पड़ने लगते हैं और वह अवैधानिक होकर पुनः वैलिडेटिंग बिल के रूप में सदन के सामने दूसरे रूप में आ जाते हैं और इस दिक्कत को दूर करने के लिये ही सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसका मैं स्वागत करता हूं।

आज हमारे सामने हाई कोर्ट के जजेज, जिला मुन्सिफ, सिविल जजेज इस तरह के तमाम अधिकारी जिनमें बैठे हुये हैं। हाई कोर्ट में २७ जज, जिला जज ५२, सिविल जज १०१, मुन्सिफ १६१ इस बजट से बताये गये हैं। यह लोग अच्छा वेतन पाकर जो काम कर रहे हैं वह अच्छा हो सकता है लेकिन साधारण व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से यह न्याय बहुत महंगा है। आज न्याय का जो ढर्रा है उसको देखा जाय तो गांवों से जो बसें आती हैं उनमें किसानों के झुंड के झुंड भरे आते हैं और सारे दिन कचहरी में भटकने के बाद शाम को अपनी कहानी कहते हुये हाजिरी देकर वापस चले जाते हैं। उनकी संख्या साधारण नहीं होती। वह परेशान और हैरान रहते हैं लेकिन सरकार के द्वारा उस रोग के जमाने का जो ढर्रा चला आता है और जो जुडीशियरी हमें मिली है उसमें कोई तब्दीली नहीं की। सरकार का कहना है कि कचहरियों के बढ़े हुये खर्च को दूर करने के लिये हमारे पास एक तरीका है और वह यह है कि वह कोर्ट फीस और स्टाम्प कर को बढ़ा कर उसको कम करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि लोगों में कचहरियों में आने का एक व्यसन और लग्जरी हो गई है और उसको दूर करने के लिये हम कोर्ट फीस बढ़ाते हैं। मुझे इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है। आज किसान को जब मजबूर होकर,

परेशान होकर कचहरी जाकर न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है तो उसको व्यसन कहा जाता है। मैं क्या कहूं, यह कोई व्यसन नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रकार की बला है, उसको किस तरह से दूर किया जाय ? ऐसी हालत में इन कचहरियों की इस बला को कैसे दूर किया जाय ? मालूम होता है कि जिस अंग्रेजी राज्य से वह न्याय प्रणाली मिली है उसी में सरकार उलझी हुई है। आज लोगों को न्याय नहीं मिलता और न कोई समझ पाता है कि इसका क्या उपाय है और लोगों की परेशानी कैसे दूर की जाय। आज किसान की परेशानी को, उसकी तबाही को न सरकार समझती है और न उसको दूर करने की कोई कोशिश की जाती है। इसका नतीजा यह है कि तमाम प्रकार के झगड़े और बरबादी बढ़ती जाती है, न सरकार रिश्वत को दूर कर सकती है और न गरीब किसान तक न्याय पहुंचा सकती है। अगर सरकार चाहती है कि बढ़ते हुये झगड़े खत्म हों और ठीक ढंग से न्याय मिले तो मैं दो एक सुझाव सदन में देना चाहता हूं।

पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मैजिस्ट्रेटों के द्वारा जो मुकदमे किये जाते हैं उनमें औसत रूप में एक मामला २१ दिन में तय किया जाता है, सेशन जज के यहां १९५ दिन में, हाईकोर्ट में ४४१ दिन में और गवर्नमेंट अपील में ५१८ दिन लग जाते हैं। यह सरकार की जो अपीलें हैं वह सन् १९५८ से १२७ अपीलें पेंडिंग हैं और वह इतने दिन से तय नहीं हो पायीं। हमारी कचहरियों में जो एरियर बढ़ता जाता है और जिसके बारे में मंत्री महोदय कहते हैं कि हम उस एरियर को धीरे-धीरे घटा रहे हैं उसके बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां हाईकोर्ट में १,३३८ मुकदमे एरियर में हैं जो पुराने हैं और ४५,००० पेंडिंग सिविल केसेज हैं और जिलों के कोर्ट स में भी २५९५ केसेज पेंडिंग हैं, जो साल भर से पड़े हैं। मैजिस्ट्रेसी अदालतों में ४३,००० केसेज पैंडिंग हैं। एक तरफ तो जजेज और मैजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ी है, उनकी छुट्टियां भी कम की गई हैं, लेकिन फिर भी काम दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाता है। अब सरकार यह कहेगी कि लोगों में एक आदत सी पड़ गई है। लेकिन इस तरह से जनता को दोष देना उचित नहीं होगा। आज जो न्याय का तरीका है वह उलझा हुआ है, इससे किसान तबाह होता है। मुझे जो बहुत सी सूचना दी गई है उसमें यह है कि किन्हीं किन्हीं जिलों में विशेष तौर से एरियर्स हैं। मंत्री जी कहते हैं कि साहित्य बजट में मौजूद है, हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट तो हमारे सामने आई, लेकिन इस विभाग में उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। एक स्टेटमेंट जो न्याय विभाग के संबंध में है वह मिला है और वह भी सन् १९५९ का है, सन् १९६० का नहीं है। उसमें बताया गया है कि कानपुर, सहारनपुर, बहराइच, वगैरह ऐसे जिले हैं जिसमें ये एरियर्स बहुत ज्यादा हैं। कानपुर का जहां तक संबंध है, ४,०९५ अपीलें एरियर्स में पड़ी हुई हैं। पहले से अधिक, और दूसरा जिला बहराइच जिसके माननीय रईस न्याय मंत्री जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उसमें ४४७ हैं। तो जहां से मैं आता हूं और जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं वहां दोनों ही जगह एरियर्स बढ़े हुए हैं।

आंकड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि न्याय देर से मिलता है और एरियर्स में होता जाता है और लोगों को संतोष नहीं है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सरकार की तरफ से दूसरे आंकड़े पेश कर दिये जायंगे और कह दिया जाएगा कि एरियर्स घट रहे हैं। मैं तो कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ऐसे देश में जहां शिक्षा कम हो, निर्धनता हो, उसमें सुलभ और सस्ता न्याय होना आवश्यक है और वह तभी हो सकता है जब सरकार की तरफ से विकेन्द्रीकरण किया जाय। श्रीमन्, आपने तो वकालत की है, आप जानते होंगे कि किसी भी कचहरी में ऐसी भीड़ होती है जैसी कि गंगा जी पर होती है। किसान दो ही जगह जाता है---कचहरी में या गंगा जी पर। गंगाजी से भले ही कुछ आध्यात्मिक लाभ पाता हो लेकिन कचहरी से तो पाप बढ़ाकर ही लाता है। तो यह समस्या प्रत्येक उस देशभक्त के सामने है जो चाहता है कि ग्रामीण जनता में सम्पन्नता आवे।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे यहां कहा गया है कि गांव का सुलभ न्याय गांव में ही प्राप्त होना चाहिए। पंचायतों की बुनियाद डाली गई। लेकिन हमारे पाश्चात्य सभ्यता के जजों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि पंचायत सिस्टम न्याय प्रणाली के विरुद्ध है। वह नहीं चाहते थे कि पंचायतों को कुछ हिस्सा उसमें मिले। लेकिन वह हिस्सा मिला। प्रारम्भिक कदम तो सरकार ने उठा लिया लेकिन उसके बाद उल्टा कदम उठाने लग गई। पंचायतों को कुछ रेवेन्यू के संबंध में अधिकार थे वह वापस ले लिये। उनको कोई और अधिकार देने की बात आज नहीं सोची जा रही है।

बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय निकाला है? कमेटी मुकर्रर है लेकिन कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जब तक प्रेसाइडिंग आफिसर इस बात में अपना योग नहीं देंगे तब तक वह बन्द नहीं हो सकता। लेकिन प्रेसाइडिंग आफिसर जिन पेशकारों, मोहर्रिरों और नाजिरों से काम लेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना उन लोगों के लिये मुश्किल होता है। वह नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कुछ किया जाय क्योंकि उन्हीं से उन लोगों को काम लेना होता है। तो ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे लोग जो प्रेसाइडिंग आफिसर्स से भी असम्बद्ध हों और जिम्मेदार भी हों, उनको अधिकार हो कि वह रिश्वतखोरी के मामले में दखल दे सकें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम पर अगर जनता के कुछ लाख या कुछ हजार लोगों ने विश्वास किया है तो उन पर सरकार विश्वास करे और उनको अधिकार दिया जाय कि आय दिन जो खुलेआम कचहरियों में रिश्वत चलती है, जिसको बैठे हुये मैजिस्ट्रेट और एस०डी०ओज० जानते हैं, उसको पकड़ने का उनको अधिकार हो उसमें वह कुछ दखलंदाजी कर सकें। वह अगर मौके पर देखें तो उसको रोक सकें और उसकी तरफ किसी अधिकारी का ध्यान दिला सकें। मेरा सुझाव है कि कचहरियों में रिश्वत रोकने के लिये इनविजिलेटर्स हों। मैं पुलिस की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि पुलिस रिश्वत पकड़ने में हाथ नहीं बटावेगी। अगर न्याय विभाग के कुछ इनविजिलेटर्स मुकर्रर हों और सादी ड्रेस में कचहरियों में रहें और खुले आम चलने वाली रिश्वत को पकड़ने में कामयाब रहें तो काफी भय पैदा हो सकता है और कचहरियों में रिश्वत बन्द हो सकती है।

इसके अलावा हम विकेन्द्रीकरण का नारा आये दिन सुनते हैं। लेकिन क्या वजह है कि न्याय विभाग में इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। होता यह है कि कोई मैजिस्ट्रेट नहीं चाहता कि शहर को छोड़ कर देहात में जाय। जब हर जिला परगनों में बंटा हुआ है तो एस०डी०ओ० क्यों न तहसील हैडक्वार्टर पर रहें? इससे जनता को आराम मिलेगा। जो अभी दिक्कत जनता को दूर-दूर से जिला केन्द्र पर आने में होती है वह दूर हो सकेगी। मैं जानता हूं मेरी सभी बातों का जवाब मंत्री जी स्टीरियोटाइप रूप में, जो हमेशा से सुनता चला आ रहा हूं, देंगे और कहेंगे कि हो नहीं सकता कैसे परगनाधीश को वहां भेजें, इमारत बनानी पड़ेगी, देहात में आफिसर व वकील जाना पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन इस न्याय में आमूल परिवर्तन अगर करना है तो कुछ न कुछ बड़ा कदम उनको उठाना पड़ेगा।

एक बहुत बड़ा बवंडर है, कहा जाता है न्याय और प्रशासन को पृथक् करेंगे और इसके लिये संविधान में निर्देश है। आज आय-व्ययक की घोषणा में यह कहा गया कि जो जिले बाकी बचे हैं उनमें न्याय और प्रशासन का प्रथक्कीकरण कर देंगे। लेकिन एक तरफ तो यह ऐलान होता है बजट रखने के दिन और थोड़े दिनों बाद न्याय मंत्री की तरफ से एक नई सूचना निकलती है जिसमें कहा गया कि एस० डी० ओ० को रेवेन्यू और रेन्ट के मामले दिये जायेंगे....

श्री हुकुमसिंह त्रिसेन--एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह बैठ ही नहीं रहे हैं। (श्री मोतीलाल अवस्थी के बैठ जाने पर) अब आप कहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्या एस० डी० ओ० वगैरह का जिक्र इस समय हो सकता है ? वह तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के दिन हो सकता था ।

श्री अध्यक्ष--वह यह कह रहें हैं जुडिशियल अफसर जो हैं....

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने एस० डी० ओ० कहा है ।

श्री अध्यक्ष--वह यह कह रहें हैं कि जो सेपरेशन होना है और जुडिशियल अफसर को जो काम देना है उस काम को उनके हाथ से हटा लिया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनका कहना है १४ जिलों में न्याय का पृथक्करण हो जायगा । और दूसरे दिन कहा कि नहीं एस०डी०ओ० को रेंट और रेवेन्यू के केसेज करने पड़ेंगे । इस पर बहस हो चुकी है उसी का रेफरेंस मैंने दिया । एक तरफ पालिसी कुछ होती है और दूसरी तरफ उसके उल्टे काम किया जाता है और कहा जाता है कि उनको हम टच में रखने के लिये ऐसा कर रहें हैं । पता नहीं जो संविधान से मिले हुये अधिकार हैं उनकी टांग क्यों तोड़ी जाती है ?

हमारे सामने दो आंकड़े हैं । एक तरफ कहा जाता है कि जितने मामले हमारे सामने हैं उसमें से ६० फीसदी फैसल कर लिये गये हैं । लेकिन मैंने उन स्टेटिस्टिक्स को देखा और सोचने की कोशिश की कि क्या क्रमिक रूप से यह बढ़ते जाते हैं कि नहीं ? मुझे तो यह पता चला कि जजेज की, मैजिस्ट्रेट की और हाई कोर्ट के जजेज की तादाद बढ़ती ही गई लेकिन उसी प्रकार से न्याय करने की प्रगति नहीं बढ़ी और उनमें एक ढीलापन आता जाता है । एक तरफ इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि जज जो हैं वह ५ केसेज बड़ी आसानी के साथ महीने में कर सकता है । यह पढ़ कर मैं हैरत में पड़ गया कि ऐसी स्थिति में जस्टिस की क्या हालत होगी ? अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, सारी कचेहरियों की छुट्टियां हो जायंगी और न्यायकी मांग किसी को करनी है तो उसे इन्तजार करना होगा । फिर काम का यह हाल है कि हाईकोर्ट में हफ्ते में साढ़े तीन दिन वह काम करते हैं । १ बजे आयेंगे और साढ़े ३ बजे चले जायेंगे । यह उस समय की प्रथा चली आ रही है जब इस देश में पराधीनता थी । लेकिन आज हमारे देश में गर्मी में एक मजदूर ८ घंटे काम करता है और कानपुर में तो ९ घंटे काम लिया जा रहा है । लेकिन यह न्याय देने वाले अपने पर भी न्याय करें ।

आज जजेज की यह हालत है कि किसी जज का लड़का या दामाद उस कचहरी में प्रेक्टिस करता होगा तो उसकी प्रेक्टिस बहुत अच्छी हो जायगी । लोग कानाफूसी करते हैं कि जज साहब के लड़के को वकील कर लो तो मुकदमा जीत जाओगे । एक आदमी ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दी तो पेशकार को पकड़ा कि यह तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ । मैजिस्ट्रेट मुआयना करने के बड़े शौकीन हैं । चाहे फौजदारी का मामला हो या रेवेन्यु का सब में मुआयना करते हैं । मुआयना करने गये तो सैर सपाटा भी हुआ, बालबच्चों को मोटर में ले गये चनाबूट वगैरह हरियाली भी साथ ले आये । लोगों ने समझा कि अब फैसला ठीक हो जायगा । मैजिस्ट्रेटों के घरों पर दरबार लगते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इस हिन्दुस्तान में न्याय कहां जा रहा है ? कहा जाता है कि गांव के लोग क्या न्याय कर पायेंगे ? उनमें बुद्धि व समझदारी नहीं है । पक्षपात होगा । लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों में बड़ी कमजोरी आ गयी है । अपने दरबार वे कायम किये बैठे हैं । हम सत्याग्रहियों को तो रोज कचहरियों का सामना करना पड़ता है और जेल जाना पड़ता है । अगर सजा और जुर्माना दोनों हुये और हम चाहते हैं कि जुर्माने के एवज में सजा काट लें परन्तु होता यह है कि सजा भी काट लेते हैं और जुर्माना भी वसूल हो जाता है । एक सत्याग्रही राजाराम हमारे साथ थे, उसके बैल वगैरह कुर्क हो गये । पुलिस वाले १५० रुपये भी ले गये और पता नहीं कि वे १५० रुपये कहां जमा हुये । इस तरह से जानवर भी गये, रुपये भी गये और सजा भी काटी । सरकार

[श्री मोतीलाल अग्रवाल]

ने आश्वासन दिया कि जांच करेंगे किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह से फतेहपुर के ३, ४ सत्याग्रही थे। उनकी रिहाई जजेज कोर्ट से हो गई लेकिन रिहाई का आर्डर ४ दिन बाद पहुंचा। जुर्माने के एवज में उन्होंने सजा काटी और चार दिन उस सजा में से मुजरा करने को कहा गया तो नहीं किया गया और कहा कि यह डाक व कम्युनिकेशन की गलती है। न्याय में भी कम्युनिकेशन की गलती होती है यह भी सरकार के सोचने की बात है।

श्री अतीकुर रहमान (जिला बिजनौर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अनुदान पर बोलने की मुझे अनुमति दी। मैं इस मामले में बिजनेस एडवायजरी कमेटी का भी शुक्रगुजार हूं कि पहले के सालों के रिवाज को छोड़ते हुये इस साल इस अनुदान पर डिस्कशन के लिये वक्त रखने की तजवीज की गई। मुझे नहीं मालूम कि जुडिशियल डिपार्टमेंट को इतना ज्यादा अहम क्यों समझा गया है कि इस पर आधे दिन का वक्त दिया गया और इससे पहले यह प्रथा रही है कि वक्त भी नहीं दिया गया।

मान्यवर, एक वेल्फेयर स्टेट में, जैसी कि हमारी स्टेट है स्टेट ऐक्टिविटी यानी रियासत के कामकाज रोजाना बढ़ते जाते हैं और फैलते जाते हैं। उनके फैलने और बढ़ने की वजह से यह बात कुदरती है कि फर्द और व्यक्ति की आजादी रोज-ब-रोज स्टेट के चंगुल में और उसके तहत में आती चली जाती है। फर्द पर और व्यक्ति पर स्टेट की इतनी जबर्दस्त ताकत का बढ़ना इस बात को जरूर महसूस कराता है कि जुडिशरी को मजबूत से मजबूततर होना चाहिये। यह खुशी की बात है कि हमारी स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और एक डेमोक्रेटिक और टोटेलिटेरियन स्टेट में यही फर्क है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में रूल आफ ला होता है और टोटेलिटेरियन स्टेट में नहीं। इसी वजह से हमारे कांस्टीट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। उन बुनियादी हकूक की रक्षा और फर्द की आजादी की रक्षा करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वह न्यायालय है। चूंकि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव पर दो ही अंकुश हैं, एक लेजिस्लेचर और दूसरा न्यायालय, इसलिये लेजिस्लेचर को खासतौर से बहुत ज्यादा जेलस होना चाहिये न्यायालय की स्वतंत्रता और उसकी आजादी की हिफाजत के लिये। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि मुल्क में ऐसे लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स में भी और पालिटीशियन्स में भी जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय का जो अंकुश और ताकत है उसको कमजोर से कमजोरतर किया जाय। इसलिये आज इस बात की सब से ज्यादा जरूरत है कि जब हमारी प्लानिंग और स्टेट ऐक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, उसकी वजह से नयी जिन्दगी बढ़ रही है तो न्यायालय की स्वतन्त्रता को हम जेलसली गार्ड करें।

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

मान्यवर, अंग्रेज ने सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन ऐसा छोड़ा है रेगुलेटिंग ऐक्ट से लेकर १९३५ के ऐक्ट तक, अगर कोई चीज अंग्रेजी रवायत में अच्छी छोड़ी गयी है तो यह जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है और आज इस किस्म की तहरीक होते देख कर सख्त अफसोस होता है कि न्यायालय की आजादी में किसी किस्म का फर्क आये या उसकी कुछ ताकत कम हो। मान्यवर, ला कमीशन को स्थापना कर इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं जिसके लिये १ लाख रुपया रखा गया है। यह एक बहुत ही अच्छा काम है और बजट लिटरेचर में इसका जो मकसद लिखा गया है वह यह है कि स्टेट्यूट बुक पर जो ला हैं उनका इसलाह और रेफार्म किया जायगा। यह काम बहुत अच्छा है और मैं यह सुझाव देता हूं और यकीन उम्मीद करता हूं कि ला कमीशन इस काम को करे कि बहुत से कानून ऐसे हैं कि जो हमारा कांस्टीट्यूशन जब बना उससे पहले के बने हुये हैं, उन कानून में छोटी-छोटी कमियां ऐसी हैं कि जो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं हैं और मैं यकीन करता हूं कि ला कमीशन अपने इस फर्ज को अन्जाम देगा कि उन कानूनों को कांस्टीट्यूशन के मुताबिक बनाये और बार को रिआर्गेनाइज करे और यह देखे कि बार में बेहतरीन दिमाग आयें। कानून ब्राह्मणों का पेशा रहा है। मैं कोई ब्राह्मणवाद के लिये नहीं कहता हूं बल्कि इसलिये कहता हूं कि कानून खिदमते खल्क के लिये है। इंगलिस्तान में तो ऐसे लोगों की एक जेब लगी होती थी और उसमें लोग एक आध गिन्नी डाल दिया करते थे। लेकिन यहां का ब्राह्मण

कानून मुफ्त लुटाता था। कानून एक ऐसा पेशा है कि इसके करने वालों का मियार बहुत ऊंचा होना चाहिये और ऐसे सूरतहाल पैदा करने चाहिये जिससे कानून के पेशे में जो फर्द लगे हुये हैं अगर उनका स्टैंडर्ड कम हो, किसी एतबार से हो, ईमानदारी से या काम करने से हो, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर ईमानदारी और काम के लिहाज से उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो तो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिये। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि ला कमीशन इस चीज को देखे कि बार का इस लाइट में दुबारा रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये।

इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा कि ला कमीशन को अदालतों में फैले हुये करप्शन की तरफ भी गौर करना चाहिये। मैं तो यहां तक सुझाव रखने के लिये तैयार हूं, हालांकि यह अहमकाना काम मालूम होगा कि बरतानिया राज्य से यह अदालतें कायम हैं और तभी से यह चीज चली आती है कि पेशकार का यह हक है, फलां का यह हक है। जब अवाम अपनी जेब से पैसा देता है और बहुत वक्त से देता चला आ रहा है तो इसको कानूनी शक्ल दी जाय या उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। इस किस्म की व्वयस्था होनी चाहिये और करप्शन दूर होना चाहिये।

मौजूदा कई सालों से हाई कोर्ट के जजमेन्ट्स के पढ़ने से यह बात देखने में आ रही है कि जहां तक कानून बनाने का ताल्लुक है, इसमें कोई कमी या खामी है और काम करने वाले खामकार हैं जिसकी वजह से कानून में कोई न कोई लूपहोल रह जाता है और यह चीज हाई कोर्ट के जजमेन्ट्स में देखी जा सकती है। कानून का मसविदा बिल डिपार्टमेंट से बनकर आते हैं, हम उसकी जुबान तैयार नहीं करते इसके लिये मेरी गुजारिश है कि इंस्टीट्यूट आफ लेजिसलेशन कायम किया जाय जिसमें प्रिंसिपल्स आफ लेजिसलेशन और बिलों के ड्राफ्टिंग का तरीका बताया जाय ताकि बिलों के ड्राफ्ट अच्छे हों। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मुझे दो चार मिनट और दे दिये जांय।

श्री अधिष्ठाता---आज समय कम है इसके लिये सदस्य अपने भाषणों को संक्षिप्त रखें तो अच्छा हो।

श्री अतीकुल रहमान---जी हां, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और आज भी नहीं लूंगा। कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल ५० यह बताता है कि हमारा यह ध्येय हो और यह हिदायत हो कि जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया जाय। यह बड़ा मुबारक कदम है कि हमारे पूरे सूबे में जूडीशियरी एक्जीक्यूटिव से अलग कर दी गई है। आज हम एक मंजिल पर पहुंच गये हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और वह यह कि तमाम जुडीशियरी सिस्टम को हाईकोर्ट के नीचे लावें। सेल्स टैक्स, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स सब कुछ और खास तौर से मैं जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के लिये कहता हूं। इनके लिये यह कहा जाता है कि ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और जब मुलजिम जाते हैं तो छूट जाते हैं। यह तो....

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह हम नहीं कहते हैं।

श्री अतीकुल रहमान---तो ठीक है। अगर यह दलील हो कि सबूत न मिलने की वजह से मुकदमे छूट जाते हैं तो यह तो पुलिस के इन्वेस्टीगेशन की खामियोंको एक तरह से छिपाना है, क्योंकि इनवेस्टिगेशन के काम में कमी होने की वजह से सबूत में कमी रहती है और एक इंडिपेन्डेन्ट अदालत उसको नहीं मानती, हालांकि इंग्लिस्तान में इसके बरअक्स सूरत यह है कि तहकीकात को इस दरजे तक ले जाते हैं कि वहां मुलजिम सिवा यह कहे कि मैंने इसलिये जुर्म किया है, यह नहीं कह सकता कि मैंने जुर्म नहीं किया है। जो चीज हमारे यहां चल रही है अगर वह चीज चलती रही तो पुलिस कभी भी एफीशेंटली काम नहीं कर सकती। उसी की वजह से ला ऐन्ड आर्डर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है पुलिस तभी एफीशेंटली काम करेगी जब पुलिस जुडीशल सिस्टम के अधीन हो और इन्साफ आजादी से किया जाय।

इसके अलावा गुजिश्ता साल कोर्ट फीस में इनक्रीमेन्ट हुआ। बेशक बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कोर्ट फीस एक ऐसी चीज है जो फीस है। कोई टैक्स नहीं है। इस पर बहुत-सी हाई

[श्री अतीकुल रहमान]

कोर्टों के, मदरास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं कि कोर्ट फीस का रुपया कहां खर्च होना चाहिये। उन सर्विसेज पर खर्च होना चाहिये जो रेंडर की गई हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि यह रुपया यहां खर्च हुआ या और कहीं खर्च हुआ? अगर इसी पर खर्च हुआ तो कोर्ट्स कितनी बढ़ीं, तादाद क्यों नहीं बढ़ाई गईं? कोर्ट्स के बढ़ाने की जरूरत इसलिये है कि काम काफी बढ़ा हुआ है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। नजीबाबाद की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के सिलसिले में एक रिट दायर कर दिया गया। तीन चार आदमी बिला मुकाबला मुन्तखब हो गये। डेढ़ साल तक रिट तय नहीं हो सका। उसमें आनरेबिल हाई कोर्ट की खता नहीं है। महज इस वजह से काम ज्यादा है, और काम करने वाले कम हैं। देर होती है जब कोर्ट फीस बढ़ायी जाती है तो मैं तवक्को करूंगा कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' वाली बात नहीं होनी चाहिये। इन्साफ बहुत जल्द होना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का खैर मुकद्दम करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत कलील वक्त है। इस थोड़े से अरसे में इस अनुदान पर मुझे अपने विचार प्रगट करने हैं।

जहां तक जुडीशियरी का वास्ता है, मैं यह कह सकता हूं कि अगर थोड़ा बहुत इंसाफ कायम है तो जजेज की वजह से है वहां इतना मौका मिलता है कि क्रास कर सकते हैं। किसी जुडीशिल मैजिस्ट्रेट की अदालत में क्रास करने में बड़ी दिक्कत होती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ में देरी होती है तो वह इंसाफ नहीं है। आज हाई कोर्ट के जजों की तादाद बहुत काफी बढ़ गयी है। ताहम एरियर्स बहुत पड़े हैं। कई-कई साल के मुकदमे पड़े हैं। मैं इस सिलसिले में यही कह सकता हूं कि वही देश अच्छा माना जायगा जहां इंसाफ सस्ता हो और आसान हो। अगर इंसाफ सस्ता और जल्द नहीं होता तो वह इंसाफ नहीं है।

कोर्ट फीस में जितना इजाफा हुआ है उसका बोझ उस शख्स पर पड़ता है, मान लो किसी ने डिग्री करायी, तो जिस पर डिग्री हुई उस पर पड़ता है। उसका बार डिफेंडेंट पर पड़ता है, प्लैंटिफ पर नहीं पड़ता है। इस तरह से इंसाफ मंहगा किया जा रहा है।

दूसरे हायर जुडीशल सर्विस में अजीब दिक्कत पैदा हो गयी है। मुंसिफ और जुडिशल मैजिस्ट्रेट एक कम्पेटीशन में बैठ कर आते हैं। मुंसिफ वह होते हैं जो ज्यादा नम्बर पाते हैं। उनसे कम नम्बर पाने वाले जुडीशिल मैजिस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन आज हायर जुडीशल सर्विस में वह लिये जाते हैं जिन्होंने या तो बार में सात साल तक वकालत की हो या जुडीशल मैजिस्ट्रेट रहे हों। मुंसिफ को हायर जुडीशल सर्विस में जाने का कोई मौका नहीं है, हालांकि मुंसिफ जुडीशल मैजिस्ट्रेट से सुपीरियर है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ भी एक दिक्कत है। सात साल तक जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहा हो वह उसमें लिया जाता है, लेकिन मान लीजिये कि उसके पहले उसने चार पांच साल तक वकालत भी की है तो वह ड्यूरेशन उसमें शामिल नहीं किया जाता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिये यह लाजिमी है कि वह सात साल तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरह काम किये हुये हो, इसके बाद ही वह जा सकता है। इसलिये यह चीज दूर होनी चाहिये और मुंसिफ को भी यह मौका होना चाहिये कि वह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से पहले एलिजिबिल हो सके इस कम्पटीशन में जाने के लिये।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि अवध ताल्लुकेदारी ऐक्ट जो सन् १८६९ में पास हुआ था, आज ताल्लुकेदारी खत्म हो गई, जमींदारी नहीं रही, लेकिन वह कानून अभी भी कायम है। न तो वह हिन्दू ला से गवर्न होता है, न मुस्लिम ला से गवर्न होता है। उसमें सिर्फ यह है कि जो बड़ा लड़का होगा वह मालिक होगा। यह ऐक्ट रिपील हो जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यहां की अदालतों के करप्शन के सम्बन्ध में है। मुमकिन है कि करप्शन के नाम से हमारे न्याय मंत्री जी को कुछ घबराहट हो, और कुछ परेशानी हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी मुकदमा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां होता है उसमें अगर वह मुकदमा छूट जाता है तो पी० पी० यह कहता है कि हमारा रुपया लाओ, मैंने पैरवी ठीक से नहीं की, इसलिये मुकदमा छूट गया, और अगर सजा हो गई तो भी अपना मेहनताना वह लेता है। बेल अप्लीकेशंस में जब तक रुपया नहीं दिया जाता तब तक दरख्वास्तें पेश नहीं होतीं और कोर्ट में पेशकार रुपया लेते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि १००, १५० रुपये का मुलाजिम और मैजिस्ट्रेट को भी मैं चार्ज करता हूं, वह भी चाहे जज हों चाहे मैजिस्ट्रेट जिनके पेशकार एक एक दिन में दस, दस बीस, बीस, पच्चीस-पच्चीस और पचास पचास रुपया रिश्वतें लेते हैं क्यों नहीं वह उनको पकड़ पाते हैं? या तो वह उनके नालेज में लेते हैं और अगर नालेज में लेते हैं तो क्या उसमें उनकी भी कनाइवेंस है? आखिर यह करप्शन क्यों दूर नहीं होता है? खाली महात्मा गांधी की तस्वीर लगा देने से या यह कह देने से कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना पाप है, यह रिश्वत बन्द नहीं हो सकती। पहले तो रिश्वत लेना ही पाप था अब रिश्वत देना भी पाप है।

इसी सिलसिले में एक बात और भी अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट जो हैं इनकी भी डेमोक्रेसी के जमाने में कोई आवश्यकता नहीं है। यह जितने भी मैजिस्ट्रेट हों वह स्टाइपेंडेयरी मैजिस्ट्रेट्स हों। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के काम को ही इन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स से लिया जाता है। लेकिन इनके लिये न कोई वक्त का तायुन है और न क्वालीफिकेशन है कि इस खास क्वालीफिकेशन के लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जायेंगे। बहुत से आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स ऐसे हैं, यह माननीय न्याय मंत्री जी के भी इल्म में होगा क्योंकि वह भी काफी दिनों तक वकील रह चुके हैं, कि जो इस काम के लिये बिलकुल ठीक नहीं हैं। जैसा कि उनको होना चाहिये वैसे ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट नहीं होते। इसलिये इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को आप स्टाइपेंडिअरी बनाइये जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, और उनकी क्वालीफिकेशंस वगैरह को भी रुकर्रर कीजिये, वरना इससे भी बहुत ज्यादा उलझन पैदा हो गई है। यह मैंने एक इशारा इस तरफ किया। इससे ज्यादा मैं और इस पर नहीं कहना चाहता।

वकील–सरकार के अप्वाइंटमेंट में भी एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। ऐसे-ऐसे वकील जो बेहतर क्रिमिनल वकील हो सकते थे, उनका अप्वाइंटमेंट नहीं हो पाता। दूसरी चीज यह है कि यह ज आपके डी० जी० सी० हैं वह भी बेल अप्लीकेशंस और दूसरी चीजों में रुपया लेते हैं। यह भी एक बड़ी हैरत की बात है कि डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट प्लीडर भी पाक साफ न हों .....

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि किसी एक जिले के गवर्नमेन्ट प्लीडर का नाम आप मुझे बता दीजिये कि जो रिश्वत लेता हो।

श्री शिवराजबहादुर—मैं आपके पास नाम भेज दूंगा। मुझे हैरत है कि गवर्नमेन्ट प्लीडर का नाम आया तो आपने बड़ा इसरार किया। लेकिन इससे पहले मैंने और बातें कहीं तो नाम नहीं पूछा। तो आज इतनी दिक्कतें हैं। जहां इंसाफ की बात कही जाती है वहां इस तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आज भी इस देश में ऐसी परम्परा कायम है जिससे जनता को तकलीफ होती है। वह दिक्कत दूर होनी चाहिये। जहां तक हो सके इंसाफ को अच्छा बनाया जाय जिससे सरकार का भी नाम ऊंचा हो। जहांगीर का नाम आज भी लोग इसी वजह से याद करते हैं कि वह इंसाफ पसन्द आदमी था। नौशेरवां को भी इसी वजह से लोग याद करते हैं। लेकिन इस दौर में इंसाफ के लिये किल्लत हो गई है। ऐसी सूरत में हमारी सरकार को इस तरफ अपनी तवज्जह देनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि ज्यादा वक्त न होने

[श्री शिवराजबहादुर]

की वजह से मैं बहुत सी बातें आपके सामने नहीं रख सका। उम्मीद करता हूं कि और साहबान उन बातों को आपके सामने रखेंगे और कोई न कोई अमली कदम माननीय न्याय मंत्री की तरफ से उठाया जायगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस मांग को उचित मानता हूं। मान्यवर, मैं इस शुभ अवसर पर न्याय के सम्बन्ध में जो विचार हो रहा है उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे न्याय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

न्याय के सम्बन्ध में इतना कहना कर्तव्य मानता हूं कि इस उत्तरीय प्रदेश में जुडिशियल सिस्टम को यदि अलग किया जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काफी प्रशंसनीय काम किये जा रहे हैं। इस उत्तरीय प्रदेश में जुडिशियल अफसरों के अप्वाइंटमेंट का जो सिस्टम है यह भी सन्तोषजनक है और वह बहुत काम कर रहे हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं हैं कि एस० डी० ओ० और एस० डी० एम० क्या काम करते हैं और क्या नहीं करना चाहिये इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो केसेज हों वह एस० डी० ओ० के यहां भेजे जायं और वहां पर एस० डी० ओ० देखे। यह भी एक अच्छा कदम है लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं। एडीशनल कमिश्नर की जो पोस्ट है इस पोस्ट को अबालिश ही जाना चाहिये। एडीशनल कमिश्नर की पोस्ट का अब कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया है। अब जुडिशियल अफसरों के निर्णय की अपील का प्रश्न उठता है तो वह सिविल जज के यहां जाना चाहिये। जिलों में जब अपील होती है तो वह सिविल जज के यहां जानी चाहिये। कमिश्नर के यहां जाने में क्लायेन्ट को अधिक व्यय करना पड़ता है। इसलिये यदि उनको वहां अवसर दिया जाय तो अधिक उद्देश्यपूरक होगा। यह अवश्य है कि सिविल कोर्ट में ड्यूटी बढ़ानी होंगी लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह सिस्टम बहुत उपयुक्त होगा। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वह इधर ध्यान देने की कृपा करें। यदि सिविल कोर्ट में कुछ और ड्यूटी बढ़ायें तो यह भी एक उद्देश्यपूरक होगा। जुडिशियल अफसरों के निर्णय की अपील सिविल जज के यहां जिले में होनी चाहिये। जिन जिलों में काम बढ़ा हुआ है और जहां पर काम ज्यादा है वहां पर रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेज को सिविल जज के सामने जाना चाहिये। वहां पर अभी सिविल केसेज सफर करते हैं। यह भी एक सिस्टम वहां पर हो जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि मेरे इन सुझाव पर विचार किया जाय कि धारा १०९ और ११० तथा प्रिवेन्टिव सेक्शन १४४ के केसेज जुडिशियल अफसर के यहां ट्राइ होने चाहिये। जब एस० डी० एम० जुडिशियल अफसर हो गये और जुडिशियल में भाग लेते हैं, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का काम करते हैं और एक्जिक्यूटिव में भी काम करते हैं तो उनके मातहत ये नहीं रहने चाहिये। यह बात ठीक नहीं जंचती है। उन केसेज को यदि जुडिशियल अफसर के यहां भेज दिया जाय तो अच्छा होगा और एस० डी० ओ० के हाथ से उनको निकाल दिया जाय तो यह उद्देश्य पूरक काम होगा।

जहां तक आनरेरी मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध है, हमारे मित्र को सम्भवतः यह बात मालूम न हो कि अब आनरेरी मजिस्ट्रेट हाईस्कूल से कम नहीं लिये जाते हैं। जिले में एक कमेटी है। एस० एल० ए० तथा और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें हैं। उसमें जज भी होता है और कलेक्टर भी होता है। बहुत छानबीन के बाद उनका अप्वाइंटमेन्ट होता है। यह ऊंचे वंश के भी होते हैं वह काम भी करें और उनपर आक्षेप भी लगाया जाय, यह उद्देश्यपूरक नहीं होगा। यदि सरकार के पास पैसा हो तो उन को कम से कम आने जाने का खर्च अवश्य मिलना चाहिये। यह उनका त्याग है और उसे अगर त्याग न माना जाय और कल्पनाशक्ति के बल पर सारे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को लक्षित किया जाय यह उचित न होगा। कहीं लोग काम न करते होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर वे बड़ा अच्छा काम करते हैं।

इसके साथ साथ न्याय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वह समय आ गया है कि जब साक्ष्य कानून में कुछ संशोधन लाना चाहिये। इसकी बड़ी आवश्यकता है। डाइरेक्ट एवीडेंस और सरकम्सटांशियल इवीडेंस में कोई एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अब जब गांव पंचायतें बन गयी हैं, हम प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, तो सेशन कोर्ट में साक्ष्य के लिये कोई पढ़ा लिखा आदमी जाना नहीं चाहता और बहुत से साक्षी फूट जाते हैं। इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा और क़ानून को मजबूत बनाना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे नहीं तो जुडिशियरी न्याय नहीं कर पाती। बड़े बड़े हीनियस क्राइम हो जाते हैं और क़ानून शहादत की छाया में वे छूट जाते हैं। बियान्ड रीजनेबिल डाउट कभी ठीक ठीक लागू नहीं होता। सिद्धांत चाहे वही रहे, लेकिन साक्ष्य के सम्बन्ध में हमें विचार करना होगा नहीं तो संभव नहीं है कि यह ठीक से चल सके।

समय के अनुसार जुडिशियल आफिसर्स को भी जिस तरह से हाईकोर्ट के जजेज ठीक १० बजे पहुंच जाते हैं, उसी तरह से आना चाहिये और नीचे के अधिकारियों में नियमन होना चाहिय। एसा न होने से नतीजा यह होता है कि बहुत सी तारीखें पड़ जाती हैं और लड़ने वालों का जुडिशियरी से विश्वास उठ जाता है। जिन जिलों में वकीलों में ठेके का सिस्टम नहीं है और जो तारीखवार रुपया लेते हैं फीस का, उन जगहों पर स्वभावतः दोनों पक्ष के वकील मिल कर इस प्रकार मुक़दमे का विस्तार करते हैं और ऐसे अड़ंगे डालते हैं कि विचारपति को विवश हो कर द्रोपदी के चीर की तरह से मुकदमे का विस्तार करना पड़ता है और लड़ने वालों का विश्वास जुडिशियरी से हटता जाता है। इस ओर भी माननीय न्याय मंत्री को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके द्वारा न्याय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का पहला कर्त्तव्य यह है कि न्याय और सुरक्षा जनता को मिले। आज समाज में हम देख रहे हैं कि दिन प्रति दिन न्याय और सुरक्षा जनता को नहीं मिल रही है और न्याय इतना महंगा होता जा रहा है कि वह किसी गरीब क लिये प्राप्त करना असंभव हो गया है। वह मुकदमा दाखिल ही नहीं कर सकता। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा आप किया करते हैं, महात्मा गांधी की बहुत सी बातों का आप रोज उल्लेख करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जो पहली बात कहीं थी वह यह थी कि अगर स्वराज्य हुआ तो कोर्ट फीस नहीं ली जायगी। लेकिन आज कोर्ट फीस इतनी ज्यादा है कि अगर ५० रुपये की जायदाद के लिये कोई आदमी मुकदमा दाखिल करना चाहे तो उस पर इब्तदायी कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में और उस से ऊपर के कोर्ट में, कोर्टफीस देनी पड़ेगी और उसे क़रीब १५० रुपया तो कोर्टफीस का ही अदा करना पड़ेगा और उसके बाद खर्च मुक़दमा और वकील की फीस आदि भी और दूसरे खच भी उसे करने पड़ेंगे। जितने की जायदाद उसे नहीं मिलेगी उससे ज्यादा उसे उस पर खर्च करना पड़ता है। तो, मान्यवर, देखना यह है कि क्या हम गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या आज हम जनता को ठीक न्याय दे पा रहे हैं? कोर्टफीस बढ़ाने के समय एक तर्क इस सरकार की तरफ से पेश किया गया था कि हम इसको इसलिये बढ़ा रहे हैं कि मुक़दमे बाजी कम हो। यह तो ठीक उसी प्रकार से हुआ कि अगर कोई बीमार आदमी हो और उससे यह कहा जाय कि हम दवा तुमको इसलिये अधिक कीमत पर देते हैं ताकि तुम बीमार न पड़ सको। श्रीमन्, बीमारी और मुक़दमेबाजी यह अनायास ही आदमी पर आ पड़ती हैं और उसे मजबूर होकर क़ानून की शरण लेनी पड़ती है, अपनी जायदाद आदि की रक्षा के लिये तथा अपनी रक्षा के लिये। न्याय को एक आमदनी का जरिया बना देना सरकार के लिये शोभा नहीं देता। जिस समय हमारा समाज असभ्य था उस समय भी उसने अपनी रक्षा और न्याय के लिये एक संगठन बनाया था। आज तो हम कहीं अधिक सभ्य हैं। आज हमारे लिये एक ऐसी बाडी होनी चाहिये जो हमें सस्ता न्याय दे सके और हमारी सुरक्षा कर सके।

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

जो इस समय बाड़ी हमारी सरकार ने बनायी है वह ठीक तरह से अपना फंक्शन नहीं कर रही है। अगर आप को न्याय नहीं दे सकते, तो आप कम से कम सस्ता न्याय तो दीजिये ही। मैं समझता हूं कि बहुत सी मुक़दमेंबाजी तो इसलिये बढ़ जाती है कि अगर किसी ने किसी केस में ठीक कोर्टफीस अदा नहीं की तो जो डाकूमेंट्स वह प्रस्तुत करता है कोर्ट में वह इनएडमिसिबिल हो जाते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अगर कोई ऐसा केस हो तो उसमें कुछ पेनाल्टी आदि लगा कर उसकी कोर्ट फीस को ले लेना चाहिये। इससे मुक़दमें बाजी कम होगी।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और मेरे पूर्व वक्ता ने भी उसी बात को कहा है कि फौजदारी कानून के अनुसार फौजदारी के मुक़दमों में कोर्ट के सामने तीन जगह बयान लिये जाते हैं। इस तरह किसी भी फैक्ट्स को कितना ही कहा जाय, जिरह के अन्दर उसमें कहीं न कहीं अन्तर पड़ ही जाता है। दूसरी बात यह कि लोअर कोर्ट का बयान सेशन कोर्ट में नहीं पढ़ा जाता है, किन्तु अगर अपराधी को कोई फायदा पहुंचने वाला होता है तो उसकी तरफ से उसे पढ़ा जाता है। नतीजा यह होता है कि संदेह का लाभ उठा कर अपराधी छूट जाता है। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जो बयानात नीचे की कोर्ट में हों उनका भी एक मूल्य हो और उसको भी सेशन कोर्ट में पढ़ा जा सके क्योंकि नीचे की कोर्ट में भी बयान आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होते हैं। ऐसी सूरत में उनको अमान्य नहीं समझना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं समझता हूं उसका प्राविजन है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—वह प्राजीक्यूशन के लिये नहीं है, अपराधी के लिये है। जहां अपराधी को फायदा पहुंचता है वहां उसको पढ़ा जाता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कन्ट्राडिक्शन हो सकता है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बात सही और प्रूफ के साथ कह रहा हूं।

दूसरी बात यह कि मैंने एक पत्र जो पूर्व न्याय मंत्री थे उनको लिख कर भेजा था कि बहुत से मजिस्ट्रेट लंच से पहले ही एक्स-पार्टी आर्डर्स पास कर देते हैं। जिसको वे चाहते हैं उसे तो लंच के बाद लेते हैं और जिन्हें नहीं चाहते उन केसेज को लंच के पहले ही लेकर उन पर एक्स-पार्टी फैसला कर देते हैं। एक दफा पुकार डलवाई और एक्स-पार्टी आर्डर कर दिया। बहुत लोगों की बसेज छूट जाती हैं और बहुत सी बातें हो जाती हैं जिससे लोग साढ़े दस बजे कोर्ट में पहुंच नहीं पाते हैं। मैंने उनको पत्र लिखा तो उत्तर मिला कि मुझसे परसनली आकर डिस्कशन करो। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के भी इंस्ट्रक्शन हैं और सरकार भी चाहती है कि जो एक्स-पार्टी आर्डर्स किये जायं वह लंच आवर्स के बाद कोर्ट के उठने के आध घंटे पहले तीन दफा पुकार डलवा कर किये जायं। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ११ बजे आर्डर्स हो जाते हैं या सवा ११ बजे हो जाते हैं। मैं एक केस आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरी आंख में खराबी आ गयी थी। मैं जांच कराने के लिये डाक्टर के यहां गया हुआ था। ११ बजकर २० मिनट पर मैं लौटा तो मालूम हुआ कि सवा ग्यारह बजे मुक़दमा खारिज हो गया। तब मैंने उसको रेस्टोर करने के लिये दरख्वास्त दी और फिर वह रेस्टोर हुआ। इस प्रकार से परेशानी की बात होती है। तो मैं आपके द्वारा न्याय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखकर भेजें। अगर हाई कोर्ट के और गवर्नमेन्ट के ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं तो क्यों नहीं उन पर अमल किया जाता है। मैंने मालूम किया है और उत्तर मिला है कि ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। तो यह इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिये कि अब जो आर्डर्स एक्स-पार्टी किये जायं वह लंच के बाद कोर्ट उठने के आध घंटे पूर्व हों और यह भी आर्डर निहायत जरूरी है कि कोर्ट साढ़े दस बजे से मुकदमा लेना शुरू कर दे और

डेढ़ बजे तक लें। लंच आवर आध घंटे का हो और फिर दो बजे से ४ बजे तक ही कोर्ट मुकदमे लें, क्योंकि ५-६ बजे तक अगर केस लेते रहते हैं तो बहुत से लोगों की बसेज छूट जाती हैं और वकीलों को केस प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता, इसलिये बार बार ऐडजर्नमेंट पर ऐडजर्नमेंट लेना पड़ता है। इस तरह से आप न्यायालय में कुशलता ला सकते हैं।

एक चीज और न्याय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोर्ट के सामने जो बयान दिये जाते हैं और जो हलफनामे दिये जाते हैं, वह अगर झूठे साबित हो जायं तो उनके लिये ४७६ दफा बनी हुई है और वह बड़ा अपराध माना जाता है और उस पर ७ वर्ष की क़ैद हो सकती है। लेकिन उस ४७६ दफा पर अमल ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसलिये झूठे बयानात और झूठे हलफनामे आ रहे हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे उन दो मिनटों के अलावा दो मिनट और देने की कृपा की जाय।

श्री अधिष्ठाता--आज समय की बहुत कमी है। खैर, आप बोलिये।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ४७६ दफा पर ऐक्शन लेना कोर्ट्स के लिये डिस्क्रिशनरी है। वह डिस्क्रिशनरी न रह कर मैंडेटरी होना चाहिये और जहांपर यह बात सिद्ध हो जाय वहां कोर्ट के द्वारा निश्चय ही ऐक्शन लिया जाना चाहिये ताकि इस प्रकार की बुराइयों में कमी हो जाय।

मान्यवर, आज जो सरकारी वकीलों की नियुक्तियां हो रही हैं वह ऐसी हो रही हैं कि उनको देख कर बड़ी तकलीफ होती है। मैं अपने जिले के एक सरकारी वकील की बात जानता हूं जिन्होंने हाई कोर्ट के एक जजमेंट के खिलाफ अपनी ओपीनियन दे दी है। ऐसे लोगों को अगर सरकारी वकील बनाया जाय तो उसका जो परिणाम होगा वह जाहिर है।

भ्रष्टाचार रोकने की अगर आप चेष्टा करते हैं और सचमुच भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि आप जिस तरह से न्यायाधीशों का जनता से सम्पर्क रखना अवैध किये हुए हैं उसी तरह से वकीलों का भी न्यायाधीशों से सम्पर्क बन्द कर दीजिये वरना यह होता है कि उन्हीं के माध्यम से इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि अब सिविल कोर्ट्स में भी लेन-देन शुरू हो गया है और न्याय बिकने लगा है।

मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री महोदय से यह सादर निवेदन करूंगा कि अगर वह इन सुझावों पर अमल करें तो प्रैक्टिकल रूप में बहुत सी बुराइयों को दूर किया जा सकता है और वह जनता को सही और सस्ता न्याय दिलाने में सफल होंगे। उससे आपका विभाग ऊंचा उठेगा और उस पर जनता की श्रद्धा की भावना बढ़ेगी।

श्री बदलूराम (जिला बहराइच)--अधिष्ठाता महोदय, आज जो मुख्य प्रश्न है, वह यह नहीं है कि न्यायालयों में किस प्रकार से कानून बरता जाता है बल्कि मुख्य प्रश्न यह है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेप्रेशन होना आवश्यक है और इस दिशा में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किये हैं। स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे आन्दोलन का यह एक प्रमुख भाग रहा था कि शासन और न्याय की व्यवस्था एक दूसरे से अलग होनी चाहिये। सन् १९३७ में जब प्रथम बार कांग्रेस मंत्रिमंडल शासनारूढ़ हुआ तो डाक्टर काटजू यहां के न्याय मंत्री थे। उनके समय में यहां पर मुंसिफ और मैजिस्ट्रेट बनाये गये थे और वह हाई कोर्ट के अधीन थे लेकिन फिर बाद में मुंसिफ और मैजिस्ट्रेट से वह पावर ले ली गई। मालूम नहीं इसका क्या कारण था कि आया वह अपने कार्य में असफल हुये या उनके कार्य-सम्पादन से सरकार असंतुष्ट हो गई या भयभीत हो गई या दूसरे ढंग से जो प्रभावित करने की प्रथा चलाई गई थी उसमें गवर्नमेंट पार्टी वाले प्रभावित नहीं हुये।

[श्री बदलूराम]

एक बात मुझे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में कहनी है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट हाई स्कूल पास होते हैं। वह चिट्ठी तक लिख नहीं पाते है जजमेन्ट क्या लिखेंगे। आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का उन्मूलन होना चाहिये। ये बोर्ड में बिलकुल निरर्थक हैं। इनको कुछ आता जाता नहीं है। खास तौर से जब हम जुडीशियरी को कोर्ट फीस के रूप में इतना ज्यादा टैक्स देते हैं जिससे गवर्नमेंट को बचत होती है। जुडीशियरी के टैक्स को गवर्नमेंट दूसरे कामों में खर्च करती है। कोई वजह नहीं है कि अगर हम दवा के लिये दाम अधिक देते हैं तो अच्छी दवा हमें न मिले। अगर आप कोर्टफीस का भार कम नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम दक्ष, कुशल, निष्पक्ष और ईमानदार जुडिशल आफिसर्स हमको दीजिये। हम आपसे न्याय की भीख नहीं मांगते हैं। यह कहां तक मुनासिब है कि आप कोर्टफीस तो इतनी लें और ऐसे आदमी के पास मुकदमा भेज दें जो अनाप शनाप लिखे और ५० रुपया जुर्माना कर दे जिसकी अपील भी नहीं होती।

दूसरी बात मुझे कलेक्टर्स की पावर्स के सम्बन्ध में कहनी है। कलक्टर के शासन में स्वेच्छाचारिता चरम सीमा को पहुंच गई है। आपने सेप्रेशन का कोई कानून बनाया नहीं, आप विज्ञप्ति के द्वारा जुडीशियरी को अलग करना चाहते हैं। आज होता यह है कि जिन जिलों में आपने सेप्रेशन की स्कीम लागू की है वहां पर महीने के शुरू में जितने मैजिस्ट्रेट हैं, चाहे वह जुडिशल मैजिस्ट्रेट हो या एस० डी० एम०, आनरेरी मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार मैजिस्ट्रेट कहा जाय, वह सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कमरे में इकट्ठा होते हैं और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी इकट्ठा होते हैं और इस बात का लेखा जोखा लगाया जाता है कि कितने मुकदमे किसके यहां आये और कितने छोड़ दिये गये। यह भी नहीं पूछा जाता कि मेरिट पर छोड़े हैं या कैसे। बस तरक्की रोक दी जाती है। जहां भृकुटी टेढ़ी हुई कि आप समझिये तरक्की रोक दी गई। तो आपने जो यह सेप्रेशन की स्कीम चलाई है वह बिलकुल विडम्बना है, उपहास है। इस प्रकार से आप कभी भी पृथक्करण नहीं कर सकते। इस तरह से आप जनता को धोखा दे रहे हैं और कांस्टीट्यूशन के प्रति आपकी यह बेवफादारी है। कांस्टीट्यूशन के निर्देशनीय सिद्धान्त, डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी सीमा के अन्दर न्याय और प्रशासन व्यवस्था का सेप्रेशन करे। आप सदन में तो दुहाई देते हैं कि हम सेप्रेशन करना चाहते हैं लेकिन कलेक्टर की पावर्स पहले से अब ज्यादा हो गई हैं। दूसरी ओर आप देखें कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट पास होने से पहले कलेक्टर जमींदारी और रिआया के बीच में न्याय व्यवस्था करता था लेकिन अब कलेक्टर स्वयं पार्टी है। गांव सभा की जितनी संपत्ति है, जितनी जमीन है उस सब का शासन करने वाला, संरक्षण करने वाला कलेक्टर होता है। उसी के मातहत तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर होते हैं और जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के मातहत ३६ प्रतिशत मुकदमों में गांव सभा या राज्य सरकार पार्टी होती है। जब वही पार्टी है और वही फैसला करने वाला तो आप कैसे समझ सकते हैं कि दूसरी पार्टी के साथ न्याय होगा। धारा १४५ जाब्ता फौजदारी के अंदर एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी की भी प्रापर्टी को अटेच करके दूसरी पार्टी को दिला सकता है। २० आने की दरख्वास्त देने पर रेंट कन्ट्रोलर किसी के घर को लेकर दूसरे को दे सकता है। जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के ११५ रूल के मुताबिक समरी प्रोसीजर करके किसी को भी बेदखल कर सकता है और किसी की जमीन को भी ले सकता है। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की भी सारी पावर्स कलेक्टर में निहित हैं? उनको भी वह किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि न्याय व्यवस्था है?

डेमोक्रेसी का तरीका संतुलन का तरीका है। वह चैक्स एण्ड बेलेंसेज से होती है। एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का चैक होता है और जुडीशियरी और लेजिस्लेचर का चैक होता है। लेकिन हमारे यहां तो सारी शक्ति कलेक्टर के हाथ में चली जा रही है। कलेक्टर

जिलों में गवर्नमेंट की ओर से शासन करता है और विभागों को संतुलित करता है। जो ट्रेन्ड चल रहा है उसमें यही है।

कोर्ट फीस के बारे में सीतलवाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंग्रेजों के काल में कोर्टफीस इसलिये लगायी जाती थी कि झूंठे मुकदमे न दायर हों, उनके ऊपर नियंत्रण रहे। लेकिन इस गवर्नमेंट का उद्देश्य कुछ दूसरा ही है। वह तो समझती है कि जिस प्रकार से आबकारी टैक्स और सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है उसी प्रकार से कोर्ट फीस से भी वह अधिक से अधिक आमदनी करना चाहती है जिस से उसकी दूसरी योजनायें चल सकें। इसके लिये तो मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ गया है—

'उन्हीं की मंजिल संवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी,
उन्हीं की बातें संवारता हूं, जबान मेरी है बात उनकी।'

यही बात आपकी है, यह जो आपने जुडीशियरी का सेपरेशन किया है। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट वही करता है जो कलेक्टर चाहता है और कलेक्टर वही करता है जो मिनिस्टर साहब चाहते हैं। इस प्रकार से सारा शासन कलेक्टर के द्वारा हो रहा है।

मेरा विचार है कि लखनऊ बेंच का विस्तार होना चाहिये। फैजाबाद और सुल्तानपुर के जिले जो चीफ कोर्ट के अधीन थे उनको फिर से इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जाय। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा काम है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह कौन कर सकता है?

श्री बदलूराम—यह गवर्नमेंट कर सकती है। यह गवर्नमेंट हर काम कर सकती है। हम प्रस्ताव करें, वह उस पर अपनी सिफारिश करके आर्ग भेजे और इस तरह से प्रेसीडेंट से इस आर्डर को बदलवाना चाहिये और लखनऊ बेंच के सीमा क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और अवध चीफ कोर्ट का अमलगमेशन होने के बाद हाईकोर्ट की एक बेंच लखनऊ में केस डिसाइड करती है उसको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि आसपास के जो जिले हैं उनकी अपीलों की सुनवाई भी लखनऊ में हुआ करें। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक हमारे जिले के एम० एल० एज० और जनता की ओर से गवर्नमेंट के पास रेप्रेजेंटेशन भी गये हैं और इस रेप्रेजेंटेशन को गये करीब चार पांच साल हो गये, तब से अब तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह नितान्त आवश्यक है कि समय की बचत के लिये और रुपये पैसे की बचत के लिये लिटिगेंट पब्लिक को यह सुविधा सरकार की ओर से अवश्य प्रदान होनी चाहिये और जिन लोगों को लखनऊ बेंच में उनकी अपील व रिवीजन की अपील की सुनवाई के लिये सहूलियत है, उनको यह सुविधा अवश्य प्रदान होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सिविल ऐंड सेशन जज कोर्ट के लिये भी हमारे बजट में प्रोविजन रखा गया है कि पौड़ी में सिविल ऐंड सेशन जज कोर्ट की बिल्डिंग बनायी जानी चाहिये। पौड़ी में इस बिल्डिंग के बनाने का बजट ७–८ साल से बराबर चला आ रहा है। परन्तु अभी तक वहां उस बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण वहां की लिटिगेंट पब्लिक को बहुत ही असुविधा है और जिसके कारण वहां की जनता को बहुत समय तथा रुपया पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता है। वहां बिल्डिंग बना कर जनता को उस खर्च से बचाया जा सकता है। चूंकि पौड़ी हमारे उस इलाके के सेंटर में पड़ता है जहां तक सिविल ऐंड सेशन जज का जुरिस्डिक्शन है, इसलिये वहां अदालत की बिल्डिंग का निर्माण होना

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

अत्यन्त आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस ओर कदम उठायेगी कि वहां बिल्डिंग का निर्माण हो।

तीसरी बात मैं कोर्ट बिजनेस की बाबत कहना चाहता हूं। अदालतें आजकल बहुत धीमी चाल से चल रही हैं। लोगों के मुकदमे जो अदालतों में हैं उनकी सुनवाई ठीक समय से नहीं होती है। मैं समझता हूं कि ब्रिटिश काल में अदालतें बहुत जाग्रत रहती थीं और लोगों के मुकदमे की सुनवाई में इतनी देर नहीं हुआ करती थी। अक्सर यह पाया जाता है कि जब मुकदमा बहुत देर तक चलता रहा है तो उस बीच में बहुत से गवाह मर जाते हैं, कई भाग जाते हैं और कई नौकरी पर चले जाते हैं और वकील बराबर अपनी फीस लेते रहते हैं जिससे मुवक्किलों को पैसे का बड़ा नुकसान होता है। जनता को उस नुकसान से बचाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम अदालतों को सतर्क करें कि जो अदालतों की कार्यवाही है वह ठीक टाइम से होनी चाहिये और जब अदालतों में पेशियां होती हैं तो उनका पोस्टपोनमेंट अधिक नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी बतला दूं कि बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेलों में वर्षों से सड़ते चले आ रहे हैं। हमने ब्रिटिश काल में यह कभी नहीं देखा कि मामूली जुर्म में जो लोग बन्द कर दिये जायं, ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स साढ़े पांच पांच साल तक जेलों में सड़ते हुए नजर आये हों। यह बड़े दुख की बात है कि आज हिन्दुस्तान में जुडिशियल तरीके से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स साढ़े पांच पांच साल तक जेल में रहते हैं। क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता? हमारी सरकार की यह ड्यूटी है कि जो कोई भी जुर्म करता है अगर उसको सजा करानी है तो उस पर मुकदमा चलाया जाय और जल्दी उसका फैसला होना चाहिये। अब किसी आदमी के लिये प्रिज्यूम कर लेना कि जो जेल में बन्द हो गया उसको सजा हो ही जायगी, मैं समझता हूं कि यह अपने दिमाग में प्रिजुडिस को रखना है और उस शख्स के साथ बेइन्साफी करना है। हम समझते हैं कि जो आदमी पहले ही से प्रिज्यूम कर ले और उस बात को कहे कि उसको सजा होगी ही, वह इन्सान उस मुकदमे का फैसला करने के लिये कतई नाकाबिल है और कानून में यह चीज है कि उस अदालत से उस मुकदमे को फौरन हटा दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट में जो बहुत बड़ी तादाद में मुकदमे इकट्ठे हो गये हैं और वर्षों तक उनके फैसले नहीं हुए हैं, उनके लिये तो चलती फिरती अदालतें हो जानी चाहिये। जैसे मेरठ के इलाके में, गोरखपुर के इलाके में और पहाड़ी इलाके में दो दो हाईकोर्ट के जज और उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट जज का एपाइंटमेंट होना चाहिये और वे उन इलाकों में जाकर वहां जितनी अपीलें व रिवीजन हैं उनका फैसला जल्दी करें तो इस तरह से हाईकोर्ट का काम बहुत हल्का हो जायगा। और लोगों को जो परेशानियां उनकी अपीलों, रिवीजनों और दूसरे अदालती कामों में हो रही हैं उनको दूर करके हम उनके दुख और दर्द को दूर करने में सहायक बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी नहीं है कि जो परम्परा पहले से चली आ रही है वही चलती रहे, अगर उस के चालू रहते हुए हमारे मुल्क का काम ठीक से न चलता हो तो हमें उसमें समय के अनुसार तब्दीली करनी होगी। जो लोग यह समझते हैं कि इस की तब्दीली पहले नहीं हुई तो वह गलती करते हैं। पहले का समय और परिस्थितियां कुछ और थीं और उस समय का समाज पिछड़ा हुआ था, अब इधर मुल्क में कुछ जागृति आई है, लोग अपने हक-हकूक को, अपने कर्तव्यों को कुछ अधिक समझने लगे हैं इसलिये जनता में स्वतः असन्तोष होना स्वाभाविक है जबकि उनको मुकदमों में परेशानी होती है और वह हाईकोर्ट में बरसों तक पड़े रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सरकार को कोई न कोई नया कदम अवश्य उठाना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिये जिस से इन मुकदमों का निबटारा जल्द से जल्द हो जाय।

इसके आगे चलकर मैं बताना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में एक नई बात हमें और मालूम होती है। आज जरूरत है कि जजेज की इन्डिपेंडेंस और इम्पारशियेलिटी इन्श्योर करनी चाहिये। आज हाई कोर्ट के जजेज पब्लिक फन्कशन्स में भी पारटिसिपेट करते हैं, यह चीज उन की इन्डिपेंडेंस को खतरे में डालती है और उससे जनता का न्याय में जो विश्वास है वह डिग जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में न्याय और इन्साफ हो तो हमें इन हाई कोर्ट के बड़े-बड़े जजेज की इन्डिपेंडेंस और इम्पारशियेलिटी को इन्श्योर करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन का जनता के साथ अधिक सम्पर्क न रहे। इसको हम मानते हैं कि सरकार का अधिक सम्पर्क जनता से रहे, लेकिन जजेज का सम्पर्क जनता से न हो तो अच्छा है क्योंकि उस से न्याय में प्रभावित होने का डर रहता है। यह इन्सानों की दुनिया है, जिससे अधिक सम्पर्क होता है उस से दिल दिमाग में हमदर्दी की सम्भावना हो जाती है। इसीलिये पहले के इन्सानों ने इस तरह की व्यवस्था रखी थी सोच समझकर कि जुडिशियरी को इन्डिपेंडेंट रखा जाय और जनता के सम्पर्क में अधिक न आने दिया जाय। इसलिये मैं अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि इस इन्डिपेंडेंस को मेनटेन करने के लिये सरकार को कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

इससे आगे चलकर मैं बतलाऊंगा कि हमारे सारे देश में जो डेमोक्रेसी है उस में जनता का हर व्यक्ति चाहता है कि जुडीशियरी को सेपरट रखा जाय, हमारे सारे सदस्यगण और बाहर के तमाम पढ़े लिखे लोग और जितने लोग अपने को जिम्मेदार समझते हैं, वह सब चाहते हैं और सब की राय है कि जुडीशियरी अलग होना चाहिये। तो जब सारे सूबे के लोगों की एक राय है और सब एक मत के हैं तो मैं समझता हूं कि इस में कोई हिचक या दिक्कत नहीं रह जाती। जब एक मांग है और आम जनता उस को चाहती है तो वह चीज हो जानी चाहिये। इन बातों को कहते हुये मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, अब ५ मिनट बोल लें, अधिक समय नहीं है। उनके बाद ५ मिनट में एक सदस्य और बोल सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---५ मिनट में क्या कहा जा सकता है, इस से तो इतना भी न दिया जाय तो ठीक है। कांग्रेस के कोई न बोलें मुझे ज्यादा समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता---कांग्रेस के कोई नहीं बोलेंगे, २ सदस्य ५-५ मिनट बोल सकते हैं, उस के बाद अवस्थी जी और मिनिस्टर साहब बोलेंगे। इतना ही समय है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, पार्टी की तरफ से मैं ५ मिनट में क्या कह सकता हूं। इस से तो समय ५ मिनट भी न दिया जाय और मैं कुछ न कहूं वही ठीक है।
श्रीमन्, ५ मिनट में तो कुछ होगा नहीं इसलिये ऐज ए प्रोटेस्ट मैं बैठा जाता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय न्याय मंत्री जी शायद इस बात से सहमत हैं कि वह काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बोलने में कम। मैं समझता हूं कि गोविन्दसिंह जी को समय दे दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---कुछ टाइम तो देंगे ही आप।

श्री चन्द्रजीत यादव---१० मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि आप आर्गूमेंट में वक्त खराब कर रहे हैं, अपनी बात कह लें।

*श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, यह सर्वमान्य बात है कि न्याय प्रशासन की तीन बातें हैं---शीघ्रता, सस्ता और निष्पक्षता। अगर इन बातों की कसौटी पर हम अपने प्रदेश के न्याय प्रशासन को कसें तो वह पूर्णतः अकसल साबित होता है। यह सही है कि पिछले दिनों सरकार ने प्रयास किया है कि उसमें जल्दी हो। कुछ जजेज बढ़ाए गये हाईकोर्ट में और कुछ कोर्ट्स बढ़ाई गईं। लेकिन जो प्रोसीजर है और जिस प्रकार मुकदमे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज यह संख्या अत्यन्त अपर्याप्त है।

दूसरी बात यह है कि सरकार का प्रयास होना चाहिये कि न्याय कम खर्चीला हो, सस्ता हो। तो जिस प्रकार से कोर्ट फीस बढ़ाई गई, हाई कोर्ट में रिट की फीस ५ रुपये से ५० रुपये तक कर दी गई, और भी इस तरह से जो काम हुए हैं, उनसे न्याय पहले की अपेक्षा महंगा हो गया है।

जहां तक निष्पक्षता की बात है, हमारे लोअर-कोर्ट्स में आज भी न्याय पूर्णतः पक्षपात-पूर्ण होता है। जिलाधीश हर ऐसे मामले में जो पोलिटीकल होते हैं या जिनमें उसकी दिल-चस्पी होती है, उसमें सीधे तौर से दखल देता है और इसकी शिकायत भी सरकार से यदा-कदा की जाती है।

एक उदाहरण मैं बेल के संबंध में दे देना चाहता हूं। एक केस में खादी आन्दोलन के सिलसिले में मैं अभियुक्त था। हाईकोर्ट ने बेलेबिल वारंट जारी किया और हमारे जिलाधीश महोदय ने १,५०० और २,००० रुपये की जमानत लेकर अभियुक्त को हफ्ते भर जेल में रखा। उसका मकसद ही फोरफीट कर दिया। जो सही माने में इसका परपज है वह यह है कि अगर बेल दे सकता है तो छोड़ देना चाहिये। बाद में कहा गया तो बिना बेल लिये छोड़ दिया। तो यह हालत पैदा हो गई है जो बहुत खतरनाक है।

एग्जीक्युटिव और जुडीशियरी का जो सेपरेशन किया गया है वह स्वागत की चीज जरूर है, लेकिन जैसा कि श्री सीतलवाड की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन एक फार्स है। सही माने में जुडीशियल आफिसर आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेन्ट के अन्डर में है। नतीजा यह है कि उससे कोई फायदा नहीं। इसलिये हाईकोर्ट के अन्डर जुडीशियरी को होना चाहिये, यह जो मांग की गई है वह बिल्कुल सही है और सरकार यदि सही माने में चाहती है कि दोनों का सेपरेशन हो तो उसे इसको लागू करना चाहिये।

जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां आजकल बिल्कुल मैस हो गया है। खासतौर से गरीब जनता का लोअर कोर्ट से वास्ता रहता है चाहे वह मुन्सिफ की हो या मैजिस्ट्रेट की हो। न्याय मंत्री स्वयं वकील रह चुके हैं। उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जब महीने का आखीर आता है तो मैजिस्ट्रेट केस के वकीलों को बुलाकर कहते हैं कि आप गैरहाजिर हो जाइये या समझौता हमें दे दीजिये ताकि हम खारिज कर दें और डिस्पोजल ज्यादा हो जायं....

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसे भी वकील होते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---बदकिस्मती है कि होते हैं। कभी कभी यह होता है कि बिल्कुल अर्ली इन दि मार्निंग, जब कोर्ट शुरू होती है तो उस वक्त इस तरह पुकार डलवाते हैं कि सही माने में मुवक्किल को पता नहीं पड़ता है और केस खारिज हो जाता है। अगर जांच की जाय कि महीने के आखीर के दिनों में कितने डिस्पोजल्स होते हैं तो मालूम हो जायगा कि मैजिस्ट्रेट किस प्रकार से काम करते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसको रोकना चाहिये।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, ने आसन ग्रहण किया।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोअर कोर्ट के खासतौर से क्रिमिनल केसेज के बारे में कहना चाहता हूं। जो प्रासीक्यूशन डिपार्टमेंट है उसे बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिये। यह मांग बड़े अर्से से की जा रही है। जिस प्रकार एक ऐडवोकेट जनरल होता है, इसी प्रकार एक डायरेक्टर आफ प्रोसीक्यूशन हो पूरे प्रदेश का जिसके मातहत प्रोसीक्यूशन ऐजेन्सीज हों ताकि वह निष्पक्ष रूप में अपना काम कर सकें, उनका जिलाधिकारियों से कोई ताल्लुक न हो। आज डी०जी०सी० कलेक्टर के अधीन है और ए०पी०पी० पुलिस कप्तान के अधीन है। नतीजा यह होता है कि जिलाधीश और पुलिस कप्तान के इनफ्लूऐंस में आ कर केसेज कराये जाते हैं। एक तो मुवक्किल को परेशानी होती है और दूसरे सरकार का भी अनावश्यक रूप से खर्चा होता है। इसलिये प्रोसीक्यूशन विभाग को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रखना चाहिये जैसे इंगलैंड या और दूसरे समाजवादी देशों में है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी न्याय प्रणाली जो इस समय है उसके अन्दर बावजूद इसके कि सरकार ने इधर सुधार की कुछ घोषणा की, लेकिन आज यह बात सत्य है कि जिस प्रकार से करप्शन न्याय प्रणाली के अंदर फैला हुआ है वह हमारे प्रदेश और देश की जनता के लिये शर्मनाक चीज है। पिछले दिनों इस बात को इतना अधिक उठाया गया था कि अदालतों में अधिकारियों के सामने करप्शन हो तो फिर यह आशा नहीं की जा सकती कि वह करप्शन को रोकने में सहायक हो सकेंगे।

सरकार ने जस्टिस मुकर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी को बैठाया। मैं नहीं जानता उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या होने वाला है ? लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार को वाजिब तरीके अपनाने चाहिये ताकि जो बड़े पैमाने पर करप्शन फैला हुआ है और बढ़ता हुआ चला जा रहा है जिससे न्याय व्यवस्था के अन्दर आम जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है वह विश्वास उसमें इसका पैदा हो इसके लिये सरकार को मुस्तैदी के साथ कदम उठाना चाहिये।

आज हमारे प्रदेश की गरीब जनता के अन्दर, खास तौर से हरिजनों के अन्दर, बड़ी बेचैनी है। उनके संबंध में मैं दो, एक बातें कहना चाहता हूं। उनकी आर्थिक दशा खराब है अगर उनको परेशान करना होता है तो झूठा फौजदारी या माल दीवानी के मामलों में उनको फंसाया जाता है, झूठे मुकदमें उन पर दायर किये जाते हैं। अगर एक भी ऐसा मुकदमा दाखिल हो गया तो आने जाने का खर्चा, वकील का मेहनताना वह बरदाश्त नहीं कर सकते और इस तरह की टेक्टिक्स अपना कर उनकी मिल्कियत के साथ और जिन्दगी के साथ अन्याय किया जाता है। सरकार को इधर देखना चाहिये और खास कर हरिजन भाइयों और अनुसूचित जाति के लोगों के मुकदमों का खर्चा सरकार खुद बर्दाश्त करें, उनको फ्री लीगल एड मिल सके, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। जब सरकार अपने को कल्याणकारी सरकार समझती है तो उसका फर्ज है कि समाज का जो सबसे गिरा हुआ तबका है और जो आज बावजूद सारी गारन्टी के अपनी गरीबी के कारण न्याय को नहीं पा सकता है, उसका उचित प्रबन्ध सरकार करे ताकि उनको उचित न्याय मिल सके।

इन बातों के साथ मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री जो जो काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं और फौरी कदम उठाते हैं, इस प्रदेश के अन्दर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी, आप १० मिनट ले लें।

***श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--श्रीमन्, सरकार आजकल दिन रात बड़े जोरों से कहती है कि हम बाकी जिलों में सेपरेशन आफ जुडीशियरी कर रहे हैं। इसकी सदन में भी बड़े जोरों से घोषणा की जाती है, लेकिन उसके बारे में श्रीमन्, कोई दो रायें नहीं हैं। आपने देखा होगा इसको एक किस्म से केवल फ़ार्स कहा गया है। होता क्या है ? जितने जुडीशियल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

मैजिस्ट्रेट्स हैं वे कमिश्नरों के मातहत हैं प्रोमोशन के लिहाज से भी, और उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह लोग शासन व्यवस्था में भी देख रेख करें । इसलिये वह उनके अन्डर रखे जाते हैं । तो हमेशा जो वह काम करते हैं उसके लिये कमिश्नर का मुंह ताकते रहते हैं । इस वजह से इसका पृथक्कीकरण नहीं हो सका । न सिर्फ आज की बात है, १७९३ से अंग्रेजों को यह बात लगी थी कि होना चाहिये और जिस कांग्रेस पार्टी के माननीय मंत्री जो सदस्य हैं १८८६ में जब उसका निर्माण हुआ तो मुख्य उद्देश्य में यह रखा गया कि हम जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव को सेपरेट करेंगे और इसके बाद हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में यह रखा गया । इतना सब होने के बावजूद क्या वजह है कि नहीं हो सका । सरकार की तरफ से पिछली बार कहा गया कि खर्च की कमी हो जाती है । बम्बई जैसे प्रान्त में यह किया गया लेकिन वहां खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है । प्रशासन में ढिलाई आ जाती है यह बात भी निर्मूल साबित हुई है । बंगाल में चल सकती है, मद्रास में चल सकती है और वे इतना आगे बढ़ गये हैं कि २१०, १४५ के अलावा फौजदारी के सारे केसेज कांकरेंट जूरिस्डिक्शन में रखे गये हैं जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तथा एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के मातहत । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सेपरेशन होना चाहिये ।

जहां तक ला कमीशन की बात कही गयी, जब इसका गठन हो और जिसमें एम० सी० सीतलवाड, पातंजली और महाजन जैसे विद्वान, जिनके प्रति सन्देह नहीं है, उनको रखा जाय तो पिछले एजुकेशन कमीशन जैसा हाल न हो कि मंत्रिमंडल बदला तो सारे के सारे उसके पर्सोनेल बदल दिये गये क्योंकि सरकार उनसे खुश नहीं थी ।

मुझे एक शिकायत यह भी है कि जुडीशियल डिपार्टमेंट की जो एनुअल रिपोर्ट है वह इस आदरणीय सदन को नहीं मिली और प्रेस को पहले चली गयी । प्रेस ने उसे छाप दिया । एक किस्म से ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाता हूं । किसलिये उसे छिपाया गया यह माननीय मंत्री जी बतलायेंगे ।

सिविल केसेज के लेटेस्ट फीगर्स मेरे पास नहीं हैं । माननीय मंत्री उन्हें सोचनीय रखना चाहते हैं । १९५४ में १५१ लाख सिविल केसेज थे और १९५९ में ८२ लाख घटा कर ले आये । कुल सूट्स ४८२ हजार १९५४ में थे वे घट कर २८९ हजार हो गये हैं । इस तरह से घटोत्तरी अवश्य हुई है लेकिन अगर १०० क्रिमिनल और १२ जजेज दो साल के लिये कोलस एमरजेंसी के लिये रख लें तो यह सब डिस्पोज आफ हो जायं । इलाहाबाद हाई कोर्ट में अकेले से केसेज ९ वर्ष से ऊपर के हैं । फर्स्ट अपील के और सैकिंड अपील के ४ वर्ष से ऊपर के हैं अगर हमें इनको डिस्पोज आफ करना है तो स्टाफ बढ़ाना ही होगा ।

ऐसे भी बहुत से अनुभव हुये हैं कि अगर किसी अभियुक्त को जेल हो गयी और वह जेल में है परन्तु अपील की न्यायालय में उसका एक्विटल हो गया फिर भी १८, १८ महीने उसे जेल में सड़ना पड़ा है । यह माननीय मंत्री जी के दामन पर दाग है जिसे उनको धुलना है ।

जहां तक जजों की नियुक्ति की बात है, चीफ जस्टिस सिफारिश करते हैं किसी व्यक्ति की तो वह गवर्नर साहब के यहां आती है और वहां से मुख्य मंत्री के पास वह सिफारिश आती है और मुख्य मंत्री उसे होम मिनिस्टर के पास भेजते हैं । अगर मुख्य मंत्री इत्तिफाक करते हैं तब तो ठीक है । अगर नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट को कोई रेफरेंस बैक नहीं होता कि दूसरा नाम बतलाया जाय । होता यह है कि वह अपनी ओपीनियन अलग भेज देते हैं और चीफ जस्टिस अलग भेज देते हैं और चीफ मिनिस्टर को इस प्रिवेल करती है । इस तरह से एक्जिक्यूटिव जुडीशियरी पर हावी हो जाती है । एम० सी० सीतलवाड जो ला कमीशन के प्रेसीडेन्ट हैं उन्होंने कहा था एक सेमिनार में जो अंग्रेजी में है :

"Mr. M. C. Seetalvad, Attorney-General, yesterday expressed concern at the recent trends in the High Courts and the Supreme Court which, he

said, threatened to unduly restrict the advantages of quick and adequate remedies for enforcement of fundamental rights under Articles 226 and 32 of the Constitution."

तो यह हालत हो गई कि हाई कोर्ट के जजेज में भी हमारे ऊंचे-ऊंचे लोगों को अब शक पैदा होने लगा है। इसका कारण यह है कि जजेज की जो नियुक्ति होती है उसमें उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किये हैं कि—"for considerations of political expediency and regional or communal sentiments" होती है। यानी साम्प्रदायिकता के आधार पर अगर जजेज की नियुक्ति हो, जो कि तस्दीक हो चुकी है, इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है। यह मेरी अपनी राय नहीं है बल्कि ला कमीशन जो नियुक्त हुआ था उसी की राय है। इसको रेमेडी करने की कोई कोशिश नहीं की गई।

इसके अलावा, श्रीमन्, कभी कभी मुकदमा हो जाने के बाद भी फैसले बहुत देर में सुनाये जाते हैं। तो फैसला सुनाने में इतनी देर नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा सेल्स टैक्स है और दूसरे तरह के ऐक्ट्स हैं जिनमें एकाउन्ट्स इन्वाल्व्ड होते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि कुछ ऐसे टेक्निकल साइड के लाइयर्स भी जजेज के पद पर नियुक्त किये जायं, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि साधारण जजेज एकाउन्टिंग के मामलों में फैसला करने में देर करते हैं।

हमने, श्रीमन्, यह भी देखा कि एक एक जज के कोर्ट में ४०-४०, ५०-५० मुकदमें एक दिन में लगे हुये हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि कुछ को ऐडजस्ट करना होता है, कुछ का पोस्टपोनमेन्ट होता है इसलिये इतने मुकदमें लगे हैं। मेरा सुझाव यह है कि इतनी ज्यादा मुकदमों को तादाद न लगा कर सिर्फ उतने ही लगाने चाहिये जितने कि एक दिन में हो सकें।

इसके अलावा दफा १४५, जाब्ता फौजदारी में हमने एक सुधार किया कि अब रिटेन एविडेन्स होगा, दोतरफा हलफनामे लिये जायेंगे और अगर कोई प्वाइंट आफ डिस्प्यूट हुआ तो मुन्सिफ के यहां तय कर लें। तो जिस लम्बे प्रोसीजर से हम बचना चाहते थे उसी में जाकर फंस गये। तो पुरानी पद्धति को रेस्टोर कीजिये, उससे बड़ा फायदा था। अब क्या होता है कि कोई आदमी बिना किसी तरह का बयान दिये हुये एक हलफनामा पेश करता है और उसमें गलत फैसला हो जाता है या चार हलफनामें एक तरफ से पेश हो गये और चार दूसरी तरफ से पेश हो गये, तो उसमें फैसला करने में दिक्कत होती है।

एक बात, श्रीमन्, और कहनी है कि अभी माननीय रामलखन जी मिश्र कह रहे थे कि एविडेंस ऐक्ट में सुधार होना चाहिये। तो जिस तरह की हमारी पुलिस है और जिस तरह के रोज स्ट्रक्चर्स पास होते हैं उसको देखते हुये अगर एविडेन्स ऐक्ट में कोई तरमीम हुई तो किसी भी आदमी की जान और इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर क्रास-एग्जामिनेशन का जो प्राविजन है वह नहीं रहेगा तो बड़ा खतरा पैदा हो जायगा।

इसके अलावा करप्शन को रोकने के लिये जस्टिस खुखर्जी या किसी की सदारत में एक कमेटी बैठी थी, उसका क्या हुआ, उसके क्या रेकमेन्डेशन्स थे उनको जानने से हम बिल्कुल महरूम रह गये।

जहां तक मैजिस्ट्रेट्स का सवाल है यह जरूर है कि फौजदारी के केसेज कुछ घटे हैं; लेकिन यह सुधार आगे चलता रहे इसके लिये वहां भी कुछ लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामले तो एस० डी० एम्स० के पास रख लें लेकिन बाकी के मामले जुडीशरी को सौंप दिये जायं यह मंत्री जी से दरख्वास्त है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अनेक सज्जनों ने, इधर के और उधर के बैठने वालों ने, अपने विचार प्रकट किये हैं और बहुत सी बुनियादी बातें भी बताई हैं, उनके लिये मैं उनका आभार प्रकट करते हुये न्याय मंत्री जी को दो, एक बातों की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

याद दिलाना चाहता हूं । आपके यहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की रिपोर्ट है उसमें निर्देश दिया गया है कि २५० सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत फ्रिवलस केसेज जो चला देते हैं उनके लिये मजिस्ट्रेटों को चाहिये कि पहले ही साधारण जांच में उनको खारिज कर दिया करें । लेकिन इस तरीके को अपनाया नहीं गया है । मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह के निर्देश जारी हो जायं तो बहुत अच्छा होगा ।

आनरेरी मजिस्ट्रेटों के लिये भी यहां पर राय जाहिर की गई । उनके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जो नियुक्ति व सलाहकारी कमेटी मुकर्रर होती है उसमें कभी भी सिवाय कांग्रेस के मेम्बरों के विरोधी दल का कोई आदमी नहीं रखा जाता है ।

इसके साथ ही साथ दफा७ के सिक्योरिटी के जो मामले चलते हैं उनमें बहुत लम्बी तारीखें पड़ती हैं और मुकदमें बहुत लम्बे घसीटे जाते हैं । इससे न्याय का गला घोटा जाता है । इस मामले में भी अगर जल्दी की जायगी तो अनुचित नहीं होगा ।

हाई कोर्ट की कार्यवाही के बारे में सरकार की तरफ से एलान किया गया है कि वह हिन्दी में बहस करने की आज्ञा देने के लिये तैयार हैं और प्रेसीडेंट की स्वीकृति के आने की केवल देरी है । मैं याद दिलाऊं कि मजिस्ट्रेट जो चार्ज शीट (फर्द अहकाम) देते हैं उसमें सारी कार्यवाही अंग्रेजी में ही लिखते हैं । एक डी० एम० से मेरी बातचीत हुई थी उन्होंने बताया कि इसको प्रदेशीय भाषा में नहीं लिखा जा सकता है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का आदेश देगी कि मजिस्ट्रेट चार्ज शीट लिखते समय हिन्दी में लिखने का यदि प्रयत्न करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी । मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो कार्यवाही होती है वह भी हिन्दी में ही होनी चाहिये ।

मैं केवल मंत्री जी का ध्यान सुझावों की तरफ दिलाना चाहूंगा जो मैंने पहिले दिये थे । मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि रिश्वतखोरी जो खुले रूप में चलती है उसको रोकने के लिये उपाय काम में लाए जांय । एक तो जनता के प्रतिनिधियों का साहस बढ़ाया जाय जिससे वह भी अपना हाथ इस काम में बटा सकें । यहां उन्हें कानूनी अधिकार न हो तो कम से कम यह होना चाहिये कि अगर वह किसी को रिश्वत लेते हुये देख लें और किसी अधिकारी का ध्यान दिलाया जाय तो उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाय । इसके अलावा ऐसे केसेज में समरी ट्रायल्स होने चाहियें और सीधे उनका संबंध जज से होना चाहिये । इससे लोगों में भय पैदा हो सकता है और जो कोर्ट्स में रिश्वत चलती है उसकी रोक हो सकती है ।

मैं नहीं चाहूंगा कि जो सारी बातें कही गई हैं उन सबको श्रीमान मंत्री महोदय एक, दो अल्फाज में ही काट दें कि हमारे पास किसी ने लिखकर नहीं दिया है । इस तरह का जवाब नहीं होना चाहिये और यह उचित नहीं होगा । उनको चाहिये कि जो बातें लोगों की तरफ से कही गई हैं उनका उचित जवाब दें । आजकल अदालतों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और न्याय में पक्षपात, यह मानी हुई बात हो गई है और सभी लोग खूब खुलकर कहते हैं । मंत्री लोग जब दौरे में जाते हैं तो लोग उनसे भी उनके मुंह पर कह देते हैं कि आपकी कचहरियां ऐसी हैं । जब यह बातें उनके सामने आ गई हैं तो उस पर मंत्री जी ध्यान न दें और नजरन्दाज कर दें तो बड़ा आश्चर्य होगा । वह दूर करने के लिये सही कदम उठायें और जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दें और जो रिश्वतखोरी के मामले हैं जो दो, चार रुपये के भी हो सकते हैं और जिनसे वह जहर फैला रहे हैं, उनकी समरी ट्रायल द्वारा जांच हुआ करे । ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो तुरन्त डिस्मिस कर दें, सजा कर दें या जुर्माना कर दें तो इसमें सुविधा हो जायगी और कचहरियों में कुछ आतंक या रोब पैदा हो जायगा ।

इसके साथ जो न्याय में विलम्ब के संबंध में कहा गया है उसमें तारीखें बढ़ाने का एक अजीब तरीका बन गया है । वह द्रौपदी का चीर बनता जा रहा है । उसको दूर करने के लिये अगर सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेटों के पास आदेश जायं तो उचित होगा ।

अब मैं सरकार का ध्यान मूलभूत चीज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो आपका ला है यह विदेशी ला हो चुका है जैसे विदेशी भाषा विदेशीपन को कायम करने में सहायक है उसी प्रकार यह विदेशी ला भी विदेशीपन को कायम रखने में बड़ा सहायक हो रहा है। हमारे देश में फूट, लड़ाई, झगड़े, दरिद्रता जो है उसका कारण यह ला है जो विदेशी है। इस विदेशी ला को तो आद्योपान्त बदलने की जरूरत है। केन्द्र में ला कमीशन कायम हुये। लेकिन उनमें वही लोग रखे गये जो पुराने ला मेकर्स थे। उनके दिमाग में कोई नई बात आ ही नहीं सकी। जिस प्रकार शिक्षा सुधारकों में वही लोग होने चाहिये जो नये क्रान्तिकारी विचार रखने वाले हों, ठीक उसी प्रकार अगर कानून में सुधार करने की बात हो तो ऐसे ला कमीशनों में ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो विदेशीपन से अछूते हों, जो नयी विचारधारा के हों और जो इस ग्रामीण देश के उपयुक्त सादे कानूनों को बनाने में समर्थ हों।

न्याय के संबंध में विशेष रूप से विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। छोटे से छोटे काम में, चाहे नाम की दुरुस्ती की बात हो, या मामूली सी मारपीट हो या मामूली झगड़ा हो, सब को केन्द्रीय अदालतों में भेजने की कोशिश करना हितकर नहीं होगा। मुकदमें स्थानीय रूप से अधिक से अधिक संख्या में फैसल हो सकें, इसकी कोशिश करनी चाहिये इसके लिये पूरा पूरा विकेन्द्री-करण करना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं सरकार उन पर विचार करेगी और रिश्वत-खोरी को दूर करने के लिये विशेष कदम उठायेगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर अफसोस है कि मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने जिन्होंने इस अनुदान के सिलसिले में विवाद में भाग लिया, वह इस गलतफहमी में थे कि गोया जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ग्रांट पेश हो। ऐसी बहुत सी बातें कही गयीं जिनका इस ग्रांट से कोई ताल्लुक नहीं। खैर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल दो, एक बातें कहनी हैं जिसका संकेत हमारे माननीय मित्रों ने किया।

उस तरफ के बैठने वाले एक मित्र ने यह कहा कि न्याय मंत्री को वकीलों और कोर्ट के दरमियान जो सम्पर्क है उसको बैन कर देना चाहिये। जब हमारे मित्र बदलूराम जी खड़े हुये तो मुझे आशा थी कि वह इस बारे में कहेंगे। लेकिन वह बिलकुल गोल कर गये। यह कैसे सम्भव हो सकता है? न तो मैं यह कह सकता हूं कि वकील बेईमान होते हैं और न मैं यह कह सकता हूं कि अदालतें बेईमान होती हैं। अगर इससे सम्पर्क होता है और उससे कोई करप्शन होता है तो उसको वकील समाज समझे। लेकिन हम बैन नहीं कर सकते।

श्री इन्दुभूषण गुप्त––जनता से सम्पर्क कैसे बैन कर दिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जनता से सम्पर्क रख सकते हैं। आज कल डेमोक्रेसी में कोई बैन नहीं कर सकता। आप कांस्टीट्यूशन का प्राविजन बतला दीजिये जिससे मैं बैन कर दूं। इस तरह की बात कह देना बहुत आसान है लेकिन कार्य रूप में परिणत कर देना संभव नहीं है। एक बात और हमारे भाई मोतीलाल जी ने कही थी कि इनके जिले में कोई ऐडवोकेट हैं जो अपने बाप की इजलास में अपीयर होते हैं। हाईकोर्ट का एक सर्क्यूलर है कि अगर कोई शख्स अपने किसी रिलेशन की इजलास में अपीयर हो तो वैसा करने के पहले वह परमीशन ले। अगर वह परमीशन नहीं लेता है तो हाईकोर्ट के उस सर्क्युलर का उल्लंघन करता है। वह इसका पता लगाकर मुझे बतायें कि आया वह इजाजत लेकर अपीयर होते हैं या बिना इजाजत लिये अपीयर होते हैं।

बदलूराम जी ने यह कहा कि कोर्ट फीस से हम बहुत ज्यादा आमदनी करते हैं और उस कोर्ट फीस की आमदनी से दूसरे काम चलाये जाते हैं। मैं आशा करता था कि वह इसकी कोई फिगर भी कोट करेंगे। हमारा जो खर्चा है इस पर, वह

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

है २ करोड़ ४२ लाख ५६ हजार ९ सौ रुपये और आमदनी कुल कोर्टफीस तथा स्टाम्प वगैरह से जो है वह २ करोड़, २८ लाख १८ हजार रुपये। तो खर्चे से तो आमदनी कम है। तो कैसे हम दूसरे काम में उसे लगा सकते हैं और कहां वह रिलीफ के कामों में लगाया जाता है ?

एक सदस्य--अली जहीर साहब ने स्वीकार किया था।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझसे बात कीजिये। अली जहीर साहब से बात बाहर कीजियेगा। मैं तो फिगर दे रहा हूं कि इतनी हमारी आमदनी है और इतना हमारा खर्चा है। आमदनी खर्चे से कम है। तो यह तर्क किसी तरह से नहीं ठहरता है कि उससे आमदनी निकालकर के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं।

यह भी कहा गया कि यह गवर्नमेंट जो है यह कांस्टीट्यूशन के प्रति डिसलायल है। खुद को धोखा देती है, जनता को धोखा देती है। लेकिन न हम अपने को धोखा देते हैं, न जनता को धोखा देते हैं, और न कांस्टीट्यूशन के प्रति डिसलायल हैं। कांस्टीट्यूशन सन् १९५० में लागू हुआ। १९४९ में इस सरकार ने अपनी नीति निर्धारित कर ली थी जूडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की। तो हम तो कांस्टीट्यूशन लागू होने के एक साल पहले से इसे करना शुरू कर दिये थे। सन् १९६२ तक तेरह और जिलों में करके ४७ जिलों में हम उसे करना चाहते हैं। लिहाजा यह कहना कि कांस्टीट्यूशन के हम डिसलायल हैं, जब कि कांस्टीट्यूशन न होते हुये भी हमने यह नीति अपना रखी थी। तो यह डिसलायलटी का सबूत है या लायलटी का ? उसके आदेश देने के पहले ही हमने वह काम शुरू कर दिया। तमाम बाम्बे को भी कोट किया गया और और जगहों को भी कोट करते रहे। मैं तो यह कहता हूं कि मैं किसी स्टेट से पीछे नहीं हूं और जो स्कीम हमने निकाली है, मैंने कभी दावा नहीं किया कि यह बिलकुल परफेक्शन पर पहुंच गई और बिलकुल कम्प्लीट है, यह दावा हमने कभी नहीं किया। यह पहला कदम हमने अभी उठाया है और इस कदम को उठाकर हम पहले सारे स्टेट में इसे फैला रहे हैं और अबकी इस मार्च तक बाकी स्टेट में इतना हो जायगा। उसके बाद हम और सोचेंगे। हमारे पास तमाम और अखराजात हैं, विकास के काम हैं, थर्ड फाइव ईयर प्लान है, सारी आमदनी प्लांड है डेवलपमेंट के कामों में, तो बहुत से जरूरी काम होते हैं, उसमें पहले लगाया जाता है, प्रायरिटी होती है, उन कामों को सम्पन्न करने के बाद जैसे ही हमारे देश में धन का अभाव कम हो जायगा, हमारे पास पैसा होगा, हम दूसरा कदम भी इस सिलसिले में उठायेंगे। जिस तरह से आप लोग चाहेंगे, उसको भी हम पूरा कर देंगे बल्कि उससे भी एक कदम और आगे जाने के लिये हम तैयार होंगे। लेकिन उसके लिये एक मौका होता है।

करप्शन के बारे में, और डिले के बारे में कहा। मैं मानता हूं, मैं यह नहीं कहता कि सब दूध के धोये हैं। लेकिन मैं समझता हूं और जैसा कि बहुत से मित्रों का खयाल है कि हमारा वकील क्लास भी हमसे कोआपरेट करे तो हम बहुत कुछ करप्शन मिटा सकते हैं जो रोजमर्रा वहां अदालतों में हुआ करता है। मैं कोई रेपलेक्शन वकील क्लास पर नहीं करता, मैं भी वकील क्लास का ही हूं, लेकिन मेरी यह धारणा है कि वह अगर कोआपरेट इस मामले में करें तो बहुत हद तक छोटे छोटे करप्शन को हम मिटा सकते हैं।

डिले भी काफी होती है, एरियर भी हमारे यहां हैं। लेकिन हमने मुकर्जी कमेटी इसके लिये बैठा रखी है। उस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। आशा की जाती है कि जुलाई तक वह आयेगी। जब वह रिपोर्ट फाइनल आ जायगी तब हम देखेंगे कि क्या उनका सुझाव है, क्या हमको करना चाहिये और क्या हम कर सकते हैं। क्या हमारे फाइनेंसेज अलाउ करते हैं, इन सब बातों को देखकर हम कदम उठाना चाहते हैं। हमारी सरकार की ख्वाहिश है कि अगर करप्शन है तो उसको मिटाया जाय। डिले को भी हम दूर करना चाहते हैं। हमने इसके लिये कुछ स्टैप भी लिये हैं जिनकी

वजह से हम यह चाहते हैं कि करप्शन हमारे यहां से हटे। जब हमारे यहां चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट का अमलगमेशन हुआ था उसके पहले हमारे यहां जजेज की संख्या केवल १९ थी। सन् १९४८ में उसको २२ किया गया। १९५१ में वह सख्या २४ हुई। सन् १९५७ में वह संख्या २६ हुई। सन् १९५८ में २७ हुई और इस समय भी वह संख्या २७ है। इस तरह से हमने जजेज की तादाद को भी बढ़ाया है। उसकी वजह से एरियर भी कम हुआ है।

उसके बाद से हमारे यहां जजेज का जो डिस्पोजल था वह भी बढ़ा है। सन् १९५६ में जज डिस्पोजल ८७० था। सन् १९५७ में ९२५ हुआ। सन् १९५८ में ११६३ हुआ। १९५९ में ११२६ हुआ और सन् १९६० में वह १०५६ हो गया। इस तरीके से हर एक जज का डिस्पोजल भी बढ़ा है। हाईकोर्ट के वर्किंग डे भी बढ़े हैं। अब वह २१० दिन काम करते हैं। पहले इतना नहीं करते थे।

इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन भी केसेज का बढ़ा है। वह इस तरीके से बढ़ा है कि :--

१९५६	में	२४,९५८
१९५७	में	२५,४१५
१९५८	में	३०,५१५
१९५९	में	३०,०५७
१९६०	में	२९,९१४

इस तरह से इंस्टीट्यूशन बढ़ा है और उसके साथ-साथ डिस्पोजल भी बढ़ा है। उसकी वजह से एरियर बढ़ा है तो उसकी दवा भी हम कर रहे हैं। बहुत सी तरकीब हमने की है। बहुत से लाज में हमने अमेंडमेंट किया है। हमने यह किया है कि अब जिला जज के यहां ५ हजार से १० हजार तक के केसेज जायेंगे। उनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया है। १० हजार तक की अपील जिला जज के यहां जायगी। हाईकोर्ट के सिंगिल जज का हमने १० हजार तक का जुरिस्डिक्शन कर दिया है। पहले दो जज बैठते थे लेकिन अब १० हजार तक सिंगिल जज कर सकते हैं। यह भी किया है कि स्माल काज कोर्ट की रिवीजन जो पहले हाईकोर्ट में होती थी वह अब यहीं होगी। सिंगिल जज को फर्स्ट और सेकिंड अपील सुनने की भी पावर रहेगी।

पहले प्रिंटिंग में बहुत समय लगता था। अब १० हजार तक वैल्यू के केसेज को प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इन इन्तजामात का नतीजा यह हुआ है कि हमारा क्रिमिनल वर्क बिल्कुल अपटुडेट है। उसके केसेज दायर होने के बाद २ महीने के अन्दर खत्म हो जाते हैं। अब हमारा ध्यान सिविल की तरफ जाने वाला है। मुझे आशा है कि मौजूदा जजों की संख्या से सिविल कोर्ट का एरियर भी जल्द खत्म हो जायगा।

जहां तक हमारी लोवर कोर्ट का संबंध है यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस की संख्या १९४७ में ४५ थी। सन् १९५१ में वह ८२ हो गई और १९५५ में संख्या ८४ हो गई। इस तरह से उस तादाद को भी हमने बढ़ाया है।

जहां तक यू० पी० सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच का संबंध है उसमें भी सिविल जज और मुंसिफों की संख्या को बढ़ाया गया है। १९५५ में वह संख्या २१७ थी। सन् १९५६ में वह २२२ हो गई और अब वह संख्या २६६ है। उस संख्या को भी बढ़ाया गया है। बहुत सी टेम्पोरेरी कोर्ट भी खोली गई हैं जिससे जहां पर केसेज जो ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं उनका निपटारा हो जाय।

हमारे मित्र ने कहा कि हाईकोर्ट में जजेज बहुत देर से आते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि हाईकोर्ट के जजेज १० बजे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जो जिले की अदालतें हैं उनको इंस्ट्रक्शन्स गये हैं कि सब इन टाइम आयें और ठीक वक्त पर काम खत्म करें। अगर जरूरत

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

होगी तो फिर प्रदेश जायेंगे। लेकिन मैं वकीलों से कैसे कहूं कि पेशी मत बढ़वाइये। रामलखन जी ने कहा कि जो डेली फीस पर हैं वे दोनों वकील मिल कर पेशी बढ़वाया करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इटेलिजेंशिया क्लास को बिलांग करते हैं और इसलिये जनता की तकलीफ को समझ कर हमारी मदद करेंगे।

कोर्ट फीस के बारे में बहुत कहा गया लेकिन कोर्टफीस केवल रिट के लिये ३.७५ रुपये से ५० रुपये तक बढ़ी है। हम इस से अपनी आमदनी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अब तक अगर कहीं मियां बीवी में झगड़ा हो जाता था तो रिट दाखिल हो जाता था और इस तरह से वहां काफी काम हो जाता था। इसको चेक करने के लिये यह फीस बढ़ायी गयी है। मोतीलाल जी ने कहा कि न्याय पंचायतों की पावर्स ले ली गई हैं। जहां तक मेरी याददाश्त है, ५०० रुपये तक के वैचुयेशन के केसेज उन के यहां जायेंगे और उन पर गांव के गरीब भाइयों को कोई कोर्टफीस भी नहीं देनी पड़ेगी और उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जो पावर्स मुंसिफ को नहीं होती थीं वह उन पंचायतों को दी गयी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—फौजदारी हक दिलवाइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें कोर्ट फीस का क्या सवाल है? उसमें क्या कोई डिक्लेरेटरी सूट होता है जिसमें रकम लगती है? जहां तक लैण्ड रेवेन्यू के मुकदमों का ताल्लुक है, उनमें कोर्टफीस बहुत कम है, ठीक तो याद नहीं लेकिन दीवानी के मुकाबले में बहुत कम है। जहां पापर सूट दायर होते हैं उनका खर्च सरकार बरदाश्त करती है। अण्डर सेक्शन ९ आफ दि कोर्ट फीस ऐक्ट, ऐसा प्राविजन कर दिया गया है कि डिजर्विंग केसेज में कोर्टफीस से रेमिशन दी जा सकती है। इस धारा की रू से उनकी कोर्ट फीस भी माफ की जा सकती है। तो सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि गरीब पर ज्यादा बोझ न पड़े। हम भी चाहते हैं कि कोर्टफीस बिलकुल अबालिश कर दी जाय और वह दिन प्रदेश के लिये बड़ा सुन्दर दिन होगा जब कोर्टफीस बिलकुल हट जायगी, और इंदुभूषण जी ने जैसा कहा, महात्मा गांधी की बात हमारे ध्यान में है, लेकिन मौजूदा सिस्टम में जब विकास का काम चल रहा हो और पैसे की जरूरत हो, उस सूरत में कोर्टफीस माफ करना संभव नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला जानता है कि क्या दिक्कतें हैं, बाहरी आदमी उन दिक्कतों को महसूस नहीं कर सकता। जिस वक्त यह संभव होगा, उस वक्त सरकार पीछे नहीं रहेगी। रावत जी चाहते हैं कि मैं लखनऊ के जूरिस्डिक्शन के बारे में कुछ कहूं। जब चीफ कोर्ट और हाईकोर्ट का अमलगमेशन हुआ था तो हमने ही प्रस्ताव पास किया था कि लखनऊ की बेंच जरूर कायम रहे, ऐसा एश्योरेंस हमने दिया था, मैं उस एश्योरेंस पर अब भी कायम हूं। लेकिन अमलगमेशन के आर्डर पैरा १४ में दिये हुये हैं जिसके अनुसार उसके जूरिस्डिक्शन को बढ़ाने या घटाने का चीफ जस्टिस को ही अधिकार है, हमें नहीं है।

फिर चीफ जस्टिस जब सुल्तानपुर गये थे तो वहां उनसे लोगों ने यह मांग की थी कि सुल्तानपुर और फैजाबाद को लखनऊ बेंच से मिला दिया जाय, किन्तु वहां के लाइयर्स ने उसकी मुखालफत की। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइयर्स ने भी इसकी मुखालफत की।

हां, पहाड़ के लोगों को सुविधा हो सकती है क्योंकि उनको वहां तक जाने में काफी खर्चा करना पड़ता है और समय भी काफी खर्च होता है। लखनऊ वे जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हम उसके लिये कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं, लेकिन उसको शायद केंद्रीय सरकार ही कर सकती है।

लखनऊ बेंच के बारे में भी ला कमीशन की रिपोर्ट में है उसे खत्म करना चाहिये। वे तो किसी बेंच को रखना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं। मैंने तो जो एश्योरेंस दिया है उस पर हमेशा कायम रहूंगा। लखनऊ बेंच का रहना जरूरी है।

कुछ बातें माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने कहीं। मैं उनकी बातों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझता। उन्होंने एक बात यह कही कि जजों का जो एप्वाइन्टमेंट होता है वह साम्प्रदायिक भावना और पोलिटिकल कंसीडरेशन्स के आधार पर होता है और कुछ उन्होंने स्ट्रिक्चर भी कोट किया कहीं से। किन्तु यह बात बिल्कुल असत्य है, निराधार है। अभी इसके बारे में स्वर्गीय पंत जी ने जो कहा था अगर उसको उन्होंने पढ़ा होता तो उनका शक दूर हो गया होता और वे ऐसी बात न करते। उसके लिये तो चीफ जस्टिस नाम भेजता है और हम उसको केंद्रीय सरकार के पास भेजते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे इस अनुदान को स्वीकार करें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--एक्सपार्टी आर्डर्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--जो देर से आयेगा उसके खिलाफ एक्सपार्टी फैसला जरूर होगा। किन्तु मुझे अभी अभी बताया गया है कि हाई कोर्ट ने ऐसे आदेश दे दिये हैं कि एक्सपार्टी आदेश लंच के बाद दिये जाया करें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

न्याय का पृथक्करण पूर्ण रूप से न होने, न्याय के महंगे होने व निष्पक्ष न होने, न्यायालयों द्वारा पास किये गये स्ट्रिक्चर्स (strictures) पर सरकार द्वारा कार्यवाही न करने आदि के विषय पर चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,४४,६६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब जरा विधेयक सदन में बट जाय।

(विनियोग विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गयीं।)

श्री हुकुमसिंह बिसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--प्वाइंड आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष--विचार करने की स्थिति में आप कोई प्रश्न उठायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अब तक तो हमने इसे पढ़ा ही नहीं था, हमें तो इसके पुरः स्थापित करने में भी आपत्ति है। यह पुरःस्थापित ही नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो अनुज्ञा हो गयी और पुरःस्थापित कर दिया गया। जब विचार करने के लिये रखे उस समय आप अपना आब्जेक्शन रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी आपने पुरःस्थापित किया कहां है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री अगला प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर! श्रीमन्, जो एप्रोप्रिएशन बिल माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं यह बिल्कुल अवैधानिक है। कोई अधिकार माननीय मंत्री जी को नहीं है क्योंकि वह जो उन्होंने २,५८,८८,८४,१०० रुपये की धनराशि विधान सभा द्वारा स्वीकृत बतलाई है, वह स्वीकृत हमने नहीं की है और जो ग्रेड्यूल दिया गया है, यह बिलकुल गलत है। एक डिपार्टमेंट को ले लें। आज का ही डिपार्टमेंट है न्याय प्रशासन का, जिसके लिये अभी अनुदान संख्या १६ पास की गयी है, श्रीमन्, आप इसको मिलायें तो इसमें लिखा हुआ है कि न्याय प्रशासन में विधान सभा द्वारा स्वीकृत धनराशि १,५७,८४,२०० रु० है। अब आप आज के एजेंडा को देखें जिसमें १,४४,६६,२०० रुपया दिया हुआ है। जब डिमांड ही १४४ लाख की थी तो इसमें १,५७ लाख की धनराशि कहां से आ गई? अब मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल २०४ की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"As soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet (*a*) the grants so made by the Assembly—".

जैसे ही अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत मांगें मंजूर कर ली जायं असेम्बली द्वारा, तो विधेयक लाया जाय संचित निधि से धनराशि निकालने के हेतु जिसमें उन धनराशियों का उल्लेख होगा जिनकी मांग असेम्बली ने मंजूर की है। इस तरह से जब असेम्बली ने न्याय प्रशासन के लिये १४४ लाख की डिमांड मंजूर की है तो उतना ही एप्रोप्रिएशन ऐक्ट में आना चाहिये।

इस विधेयक की धारा २ में लिखा हुआ है "उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६१ (उ० प्र० अधिनियम संख्या १२,१९६१) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके' तो इसे सम्मिलित करने का अधिकार संविधान की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं मिला है। मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन्हें अधिकार दिया गया है कि जिस एप्रोप्रिएशन ऐक्ट को मंजूर कर चुके हैं, जिस धनराशि को उस धनराशि को सम्मिलित किया जाय। यह कहीं भी संविधान के अनुसार अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि उपनेता सदन ने यह कहा था कि डबल वोटिंग न हो जाय इसलिये वोट आन एकाउन्ट की धनराशि को एक्सक्लूड किया गया। उन धनराशियों का एप्रोप्रिएशन ऐक्ट हमने १७ मार्च को पास कर दिया जिस दिन कि बजट पेश हुआ। उसी दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने गवर्नमेंट को २,१५७ लाख रुपये लेने की इजाजत दे दी थी। तो सवाल यह उठता है कि एक धनराशि जिसकी डिमांड्स सदन मंजूर कर चुका है, एप्रोप्रिएशन का अधिकार भी ऐक्ट के द्वारा दिया जा चुका है, गवर्नर ने उस ऐक्ट को मजूर कर लिया है और उसी के मुताबिक पहली अप्रैल से खर्चा हो रहा है, तो क्या हम दोबारा उसी धनराशि को एप्रोप्रिएट करने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। यह संविधान के बिल्कुल विपरीत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कहीं कोई रिट हो गया तो गवर्नमेंट को जो बजट की व्यवस्था हुई है वह सब खत्म हो जायगी।

एक बात और है वोट आन एकाउन्ट वाला जो एप्रोप्रिएशन ऐक्ट है, वह अभी रिपील भी नहीं हुआ है। वह अभी मौजूद है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सदन ने जो २१ करोड़ मंजूर किया वह २१ करोड़ और ज्यादा हम मंजूर कर लेंगे। यह भी संविधान के अनुसार असम्भव है। कल माननीय मन्त्री जी ने कहा कि डबल वोटिंग न हो जाय इसलिये डिमान्ड में क्यों जोड़ें। और आज डबल वोटिंग करायी जाय। इस डबल वोटिंग का अधिकार संविधान में हमें नहीं है इसलिये आज की बैठक स्थगित कर दी जाय। एडवोकेट जनरल साहब इस संबंध में बुलाये जायं और तब आप व्यवस्था करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहां हैं, उनको यहां आना चाहिये, तब इस पर विचार हो। तब तक के लिये बैठक स्थगित कर दी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उम्मीद ही करता था कि हमारे मित्र ऐसा एतराज करेंगे। मैं इसको जानता था। जो आज रकम बतायी गयी है उसमें वोट आन एकाउन्ट को और चार्ज्ड को जोड़ लीजिये पूरा हिसाब हो जायगा। इसमें कोई गलती नहीं है। अब सवाल यह है कि वोट आन एकाउन्ट इसमें शामिल हो या न हो। अगर वह इसमें शामिल नहीं की जाती है तो अप्रैल के पहले का जो हिसाब है वह स्पिलिट (split) हो जायगा, दो हेड आफ एकाउन्ट हो जायेंगे। वह हमें नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी भारी गलती और हो जायगी अगर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। जब हम वोट आन एकाउन्ट पास कर रहे थे तब यह कहा गया था कि नयी सर्विसेज पर हम खर्चा नहीं करेंगे, पुरानी सर्विसेज पर ही खर्च करेंगे। इसलिये जब तक उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक नयी सर्विसेज पर मार्च तक खर्चा करने के अधिकारी हम नहीं हो पायेंगे।

फिर यह हम ही नहीं कर रहे हैं। बाम्बे, मद्रास और पार्लियामेंट में भी यही होता है। इस पर अगर हम या तिवारी जी ही यह दावा करें कि हम ही केवल अक्लमंद हैं तो यह गलत होगा। पार्लियामेंट में भी यही परिपाटी है। बिल के सेक्शन दो में हमने यह लिख दिया है कि वह पहले वाला बिल भी इसमें मर्ज हो गया है। इसलिये हमने कोई नयी बात नहीं की है। १९५७ में भी ऐसा ही किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कांस्टीट्यूशन के किस आर्टिकिल के मुताबिक आप यह कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई काम चलाऊ काम भी तो होता है। परम्परा भी तो कुछ चीज होती है, सब कान्स्टीट्यूशन ही नहीं होता। पार्लियामेंट और मद्रास भी तो किसी कांस्टीट्यूशन के मातहत काम करते हैं। क्या वे कान्स्टीट्यूशन के विरुद्ध काम करते हैं? हमें यह देखना चाहिये कि काम चले। आप काम में अड़ंगा डालना चाहते हैं और हम काम को चलाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय जिससे काम आगे का चले।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं जिस बात को कल खुद कह रहा था, मुझे खुशी है, उसी बात को आज मंत्री जी कह रहे हैं। कल अड़ंगा वह डाल रहे थे और आज कहते हैं कि मैं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

डाल रहा हूं। कल मैंने कहा था कि आप दो एकाउन्ट्स रख रहे हैं और अगर वोट आन एकाउन्ट को इसमें आप शामिल नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। उस समय मंत्री जी ने कहा था कि हाउस आफ कामन्स की प्रेक्टिस यही है कि वह डिमान्ड में शामिल नहीं होती। लेकिन आज जब असली मौका सामने आया तो उन्होंने उसी बात को रख दिया।

अब श्रीमन्, आप संविधान के आर्टिकल २०४ को देखें जिसके अनुसार यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है। यह बात आपके स्टेटमेंट आफ रीजन्स में भी बतायी गयी है। आपने स्वयं अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है--इस विनियोग विधेयक के उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है--"संविधान का अनुच्छेद २०४ इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय"।

इस विधेयक में उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

अब सारा प्रश्न यह है कि आप अपने रेकार्ड को देखें जो कि असेम्बली का सर्टिफाइड रेकार्ड है कि विधान सभा ने पिछले २४-२५ दिनों में कितने अनुदान किस किस ग्रांट के बारे में मंजूर किये हैं और यह भी देखें कि जितनी धनराशि हमने मंजूर नहीं की है वहीं उससे ज्यादा धनराशि तो इस विनियोग विधेयक के द्वारा हमसे नहीं मांगी जा रही है। श्रीमन्, इस विधेयक के शेड्यूल में जो वर्णन है उसके अनुसार तो एक सेकेंड के लिये भी इस विधेयक पर यहां विचार नहीं होना चाहिये। हम गवर्नमेंट की मदद करना चाहें तो भी इसमें उसकी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए हैं और हमने यहां शपथ खायी है संविधान के प्रति, तो उसके विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, लेकिन चेयर की व्यवस्था भी तो होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा कहना यह है कि इस विधेयक पर आज विचार स्थगित कर दिया जाय और तार द्वारा एडवोकेट जनरल को इस पर राय देने के लिये बुलाया जाय। फिर इस पर कल डिबेट हो जायगा, एक दिन में कोई नुकसान तो हो नहीं जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने श्री नाराणदत्त तिवारी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार हम जो अनुदान स्वीकार कर चुके हैं उनको सम्मिलित करके एक विधेयक पेश होना चाहिये, लेकिन एक विशेष अवस्था में इस साल ऐसा किया गया है जैसा कि सन् १९५७ में भी हुआ था और लोक सभा में भी होता है। संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार तो १/१२ हिस्सा धनराशि का पहले ही लेखानुदान के रूप में पेशगी कर दिया गया है और अनुच्छेद २०३ के अनुकूल पूरी ग्रांट पेश करते हैं। तो इस तरह से अगर अनुच्छेद २०३ के अनुसार मेन ग्रांट के सम्बन्ध में पूरी धनराशि पर एप्रोप्रिएशन बिल न लावें तो संविधान के इस अनुच्छेद के खिलाफ बात हो जाती है। श्री नारायणदत्त जी को यह भ्रम मालूम होता है इस विनियोग विधेयक से वे यह समझते हैं कि जो धनराशि है उस पर मतदान दो मर्तबा हो रहा है। वास्तविकता यह है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार को एक धनराशि निकालने की व्यवस्था की जा रही है। तो यह मतदान अनुदानों की तरह नहीं हो रहा है, बल्कि हम इस विधेयक के जरिये सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद २६६ के अनुसार इतनी धनराशि कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सके। तो यह अधिकार देना और मतदान दोनों को नारायणदत्त जी एक ही समझते हैं। वे समझते हैं कि मतदान दोबारा हो रहा है और उनको आशंका है कि इससे अनियमितता हो जायगी। जहां तक दोबारा वोटिंग का सम्बन्ध है, इस विधेयक के खंड २ में इसको स्पष्ट

कर दिया गया है और उस स्पष्टीकरण के बाद यह मालूम हो जाता है कि दो मर्तबा वोटिंग का सवाल नहीं है। विधेयक की अनुसूची के स्तम्भ ३ को देखिये जिसमें लिखा है कि "इससे अनधिक धनराशि" उसका मतलब यही है कि सरकार इससे अधिक धनराशि नहीं निकाल सकती। यदि किसी धनराशि पर मतदान होता तो अनधिक शब्द का प्रयोग नहीं होता।

मैं न्याय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में भी ऐसी व्यवस्था है। कम से कम लोकसभा की तो मुझे जानकारी है और वेस्ट बंगाल तथा और कई जगह भी ऐसी प्रथा है। इस परम्परा के बारे में नारायणदत्त जी का एक प्वाइंट तो अपनी जगह पर है ही जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि एडवोकेट जनरल से इस पर राय ली जायगी। इस समय चूंकि सदन को अपना काम चलाना है इसलिये माननीय मंत्री जी को मैं इजाजत देता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करने के प्रश्न पर अपना भाषण दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, कई रोज तक जनरल विवाद बजट पर हुआ और उसके बाद तमाम ग्रान्ट्स पास हुईं और हर एक ग्रान्ट पर काफी विवाद दोनों तरफ से हुआ है और उसका इधर से जवाब भी दिया गया है और अब उसमें कुछ और इजाफा करना मेरे लिये असम्भव है। मैं सदन का वक्त भी ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं बहुत कम समय हमेशा लेता हूं। हर पहलू पर काफी विस्तार से बजट पर बहस हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, समय कितना मिल सकेगा?

श्री उपाध्यक्ष--अब देखूंगा कि कितने सदस्य बोलने के लिये इच्छा प्रकट करते हैं, उस समय जैसी आवश्यकता होगी, तय करूंगा, लेकिन समय क्योंकि कम है इसलिये दस मिनट से ज्यादा समय कोई न ले तो उचित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इस बिल के द्वारा हम सरकार को अधिकार देने जा रहे हैं कि वह २ अरब ५८ करोड़ रुपया आगामी वित्तीय वर्ष के लिये हमारे राज्य के कन्सालिडेटेड फंड से व्यय करे और उन उद्देश्यों के लिये व्यय करे जिनका कि वर्णन अनुसूची में किया गया है और उन विभागों के लिये व्यय करे--चूंकि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम साल का बजट है उससे सम्बन्धित यह विनियोग विधेयक है--तो मैं यह अवश्य चाहूंगा कि जब यह सदन राज्य सरकार को इसके खर्च करने का अधिकार जनता की ओर से दे तो इस बात का भी संकेत कर दे कि यह धनराशि जो सरकार को दी जा रही है वह ठीक प्रकार से खर्च हो, वह उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च की जाय जिनका कि उल्लेख विधानमंडल में जो बजट साहित्य बड़े बड़े पृष्ठों वाली पोथियों में दिया गया है, उसका खर्च उन्हीं मदों के लिये किया जाय जिनका उल्लेख विस्तार से आय-व्ययक के सैकड़ों पृष्ठों के ब्यौरों में किया गया है। जब मैं कहता हूं कि उसका व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाय जो बजट में दिये गये हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार सामान्यतः उन मदों के लिये रुपया व्यय नहीं करती। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है कि सरकार का जो बजट कंट्रोल है, इस खर्च की जाने वाली धनराशि के ऊपर, यह कंट्रोल भली प्रकार विभागाध्यक्ष नहीं कर पाते और इसका नतीजा यह होता है कि सदन का जो धनराशि देने का उद्देश्य है, जो योजना को समय से पूरा करने का उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पाता। एक तरफ तो हम सदन में संतुष्ट हो जाते हैं कि बजट पास हो गया अब बड़ा काम होगा। लेकिन वह योजनायें कार्यान्वित नहीं होतीं। बड़े दुख का विषय है कि वर्षों से इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं हुई। एस्टीमेट कमेटी, पी० ए० सी० व सदन के सदस्यों की चर्चा के कारण मैं बधाई दूंगा कि यह पहला अवसर है जब कि इस साल आडिट रिपोर्ट के अनुसार बचत कम हुई है और अब उसका प्रतिशत ७.७ घटकर रह गया है। मैं सदन के सदस्यों को इसके लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने इस दिशा में सरकार की लगाम को कसा रख कर इस बचत की रकम को कम किया है। लेकिन ७.७ भी बहुत ज्यादा रकम है, आंकड़ों के हिसाब से यह बचत १६ करोड़ ९९ लाख या १७

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करोड़ के करीब आती है। २ अरब १९ करोड़ के बजट में इतनी बचत का होना कोई शोभा की बात नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि बचत कंट्रोल की प्रणाली के आधार पर यह उचित नहीं है कि खर्च ज्यादा हो और यह भी उचित नहीं है कि बचत अधिक हो जाय। तो जहां एक ओर मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल सख्त हुआ वहां दूसरी ओर मैं इस बात को भर्त्सना भी करना चाहता हूं कि जहां तक चार्ज्ड एक्सपेंडीचर का संबंध है, उसमें ९ करोड़ ५ लाख रुपया एक्सेस हो गया। यह आश्चर्य की बात है। जहां तक चार्ज्ड एक्सपेंडीचर का संबंध है, उस पर सदन को विवाद करने का तो अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो सन् १९५९-६० के वर्ष में ९ करोड़ ५ लाख का एक्सेस हो गया चार्ज्ड एक्सपेंडीचर में, यह अभूतपूर्व है। खैर, इसकी तो जांच पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी करेगी कि क्यों एक्सेस हुई। खर्च हो जाने के बाद जो जांच है उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन सरकार को इस बात का नियम बनाना चाहिये कि चार्ज्ड एक्सपेंडीचर जो है इस पर ज्यादा सख्ती और कंट्रोल हो और इस प्रकार का व्यय हमारे राज्य के मत्थे न पड़े।

इस संबंध में मैं पिछले वर्ष जो सरकार द्वारा गलती की गई उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले वर्ष क्या हुआ? रेवेन्यू रिजर्व फंड में ४ करोड़ रुपया सरकार के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया और इसी प्रकार लगभग ३ करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में डाल दिया गया। इसी तरह से ढाई करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कर्ज अदायगी में दिया गया। दिया गया, अच्छा किया, लेकिन सदन से स्वीकृति नहीं ली गई और जो विनियोग विधेयक था उसमें भी उसका उल्लेख नहीं था। सरकार ने स्वयं अपने ब्रह्मचर्य को भंग कर दिया क्योंकि हमने एक परिधि रख दी और आपने लांघ दी, श्रीमन्, कि एप्रोप्रिएशन बिल में जितना उल्लेख है उसके अलावा नई ग्रान्ट सरकार नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने नई ग्रान्ट बढ़ा दी। मुझे ताज्जुब होता है, श्रीमन्, कि फायनेन्स डिपार्टमेंट ने कैसे उसे कर दिया। नई ग्रान्ट बढ़ गई, सदन की कोई मंजूरी नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऐक्ट में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व फंड से ४ करोड़ रुपया स्थानान्तरित कर दिया गया, कंसालीडेटेड फंड से ड्रा कर लिया गया। आनरिक की जो रोक है उसको भी भंग कर दिया गया। जो वित्त मंत्री जी का इस साल का बजट भाषण है उसमें भी हम देखते हैं कि ६ करोड़ रुपया सिंकिंग फंड का ड्रा किया गया जिसका कोई उल्लेख पिछले वर्ष के बजट में नहीं है और न कोई सप्लीमेंट्री बजट इस हेतु आया। दो दूसरे बजटों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है और ६ करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? बजटीय कंट्रोल ठीक नहीं है। सरकार को पता ही नहीं कि कितनी सेविंग्ज होंगी इसलिये सप्लीमेंट्री में उसे नहीं ला सकी। अगर सरकार को समय से पता होता कि इस साल के बजट में ६ करोड़ या ७, ८ करोड़ की बचत होने जा रही है, तो सप्लीमेंट्री बजट जो फरवरी में आता है उसमें लिख देते कि ६ करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में डालेंगे। लेकिन बजटीय पद्धति को तोड़ मरोड़ कर केवल बजट भाषण में वित्त मंत्री का यह बतलाना कि ६ करोड़ हमने पिछले वर्ष के बजट से ड्रा कर लिया, और सदन से इस बात की स्वीकृति न लेना बजटीय नियमों का बड़ा भारी उल्लंघन है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि सही माने में पार्लियामेंट्री पद्धति कायम हो तो मैं चाहता हूं कि वह कैबिनेट में सख्त आदेश दें कि एक भी रुपया इस प्रकार से ड्रा न किया जाय जिसकी कि कोई ग्रान्ट नहीं है और सदन की कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। और इस बात का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। नहीं तो, अगर बजटीय घपला रहा और असंतुलन रहा तो एक तरफ टैक्सेज ज्यादा होने वाले हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने हैं, अगर हमारे साधनों का इस प्रकार संतुलित और नियोजित उपयोग न हो पाया तो इससे सारी वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस हेतु एक सुझाव देना चाहता हूं। हमने यहां पर हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया अपनायी। वहां की सारी बजटीय पद्धति हमने अपनायी। लेकिन जो ऐप्रोप्रिएशन ऐक्ट के बाद वहां पर एक नियंत्रण रखा है वह हमने अपने यहां नहीं रखा। और मैं सुझाव दूंगा कि इस साल से या अगले साल से, जब सम्भव हो, हमें वह पद्धति अपनानी चाहिये। हाउस आफ कामन्स

में यह होता है, जैसे २ अरब ५८ करोड़ रुपया हमने ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट में पास कर दिया तो कितना रुपया ड्रा किया जाय इसका अधिकार वित्त विभाग को नहीं होगा कि वह ड्रा करने का अधिकार दे दे बल्कि एकाउन्टेंट जनरल की मारफत वह रुपया ड्रा किया जाय। हाउस आफ कामन्स में कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल जो है उसको ट्रेजरी की ओर से हर विभाग के सम्बन्ध में दरख्वास्त दी जाती है कि फलां-फलां मिनिस्ट्री के लिये इतना रुपया हमें दे दिया जाय। और कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल यह देखते हैं कि आया इस ऐक्ट के मातहत इतना रुपया उस मिनिस्ट्री के एकाउन्ट में सदन के द्वारा मंजूर किया हुआ बचा है कि नहीं। अगर इतना रुपया है तो वह फौरन मंजूर कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एक्सेस नहीं होती है। जितना रुपया हाउस ने मंजूर किया है उससे ज्यादा खर्च नहीं हो पाता।

अगर प्लानिंग विभाग के लिये १० करोड़ रुपया हमने इस एप्रोप्रिएशन ऐक्ट के द्वारा मंजूर किया है तो फिर अगर प्लानिंग विभाग कल को इस बात की अरजी दे कि उसको ११ करोड़ रुपया दिया जाय तो वह कहेंगे कि नहीं सदन ने तुम्हारे लिये १० करोड़ से आगे रुपया मंजूर नहीं किया है इसलिये हम नहीं दे सकते। तो यह कंट्रोल कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल हाउस आफ कामन्स में करते हैं और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। हमारे यहां यह पद्धति नहीं है। तो हमारे यहां भी यह परम्परा होनी चाहिये...

(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---समय बट जायगा क्योंकि काफी बोलने वाले हैं और १०, १५ मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया जायगा। समय कम है और विधेयक के लिये अगर निर्धारित समय न होता तो एक बात थी। पर जब समय निर्धारित है तो अन्य पार्टियों को समय नहीं मिल पायेगा। इसलिये विशेष व्यवस्था में विशेष तौर से व्यवस्था की गई है। अगर आप २, ४ मिनट लेना चाहें तो ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक तो बजट पर मैं कुछ नहीं बोल पाया और इस बार मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी का समय फोरगो करता हूं, वह समय तिवारी जी को दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है आप १० मिनट और बोल लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो मेरा सुझाव यह है कि एकाउन्टेन्ट जनरल जो हमारे राज्य के हैं और जो कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल के प्रतिनिधि हैं, उनको वित्त विभाग हर विभाग की तरफ से अरजी दे और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि ए० जी० इस बात के आदेश जारी करें कि फलां-फलां मिनिस्ट्री के लिये इतना रुपया दे दिया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि कल को अगर किसी विभाग में ऐक्सेस हुआ, जिसकी किसी को पता नहीं होता, तो उस पर चेक रहेगा। ए० जी० के यहां से लिखा जायगा कि सदन ने इससे ज्यादा रुपया फलां मिनिस्ट्री के लिये नहीं दिया है। इससे सदन के हाथ भी मजबूत होंगे और सरकार भी अनजाने में गलती नहीं कर पायेगी। और अगर ज्यादा खर्चे की जरूरत हुई तो सदन में सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के द्वारा सरकार मांग कर सकती है। इस प्रथा से ऐक्सेस नहीं होगा और सदन का कंट्रोल रहेगा जो पार्लियामेंट्री खर्चे पर होना चाहिये। तो पहला सुझाव तो यह है कि हाउस आफ कामन्स की अगर पद्धति अपनायी है तो उसको पूरा अपनायें और एप्रोप्रिएशन की स्टेज में भी ए० जी० का और हाउस का कंट्रोल रखें।

दूसरी बात यह है कि रीऐप्रोप्रिएशन पर जो कंट्रोल होना चाहिये, इस समय यह होता है कि आपने देखा हाउस के सामने जो ए० जी० की रिपोर्ट आयी है उसमें दिया हुआ है कि देहाती क्षेत्रों में जो पीने के पानी के लिये रुपया हाउस ने मन्जूर किया वह तीन साल बाद

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मालूम हुआ कि माताटोला डैम में चला गया। यानी हाउस ने मन्जूर किया रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिये। तो रिएप्रोप्रिएशन का यह अर्थ नहीं होना चाहिये। एक बहुत बड़ा रुपया जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने केवल इस प्रयोजन के लिये दिया गांव-गांव में पानी पीने की योजना के लिये। वह माता टोला डेम के लिये रिएप्रोप्रियेट कर दिया गया। उसका पता नहीं चीफ इंजीनियर ने खुद अपने आर्डर्स से उसे रिएप्रोप्रियेट कर दिया। इस रिएप्रोप्रियेशन पर कंट्रोल ठीक से होना चाहिये। यहां तक देखा गया कि ३१ मार्च को रिएप्रोप्रियेशन होते हैं और खुद ही अर्जी दे दी और खुद ही मंजूर कर लेते हैं, विभागीय आर्डर्स तक नहीं होते। तो जहां तक नीति सम्बन्धी रिएप्रोप्रियेशन होता है उसे अवश्य चेक किया जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि एस्टिमेटस ठीक बनने चाहिये। बजट मैनुअल यह कहता है कि जो हमने यह रुपया मंजूर किया है इसके ठीक एस्टिमेट्स बने हुए हैं। मेमोरेंडम हमारे सामने उस समय आता है जब सारे प्राक्कलन ठीक से जांच कर लिये जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस साल का एप्रोप्रियेशन एकाउंट बतलाता है कि १८ करोड़ रुपये की योजनाओं के लिये एस्टिमेट्स नहीं, उनकी रिपोर्ट ही नहीं बनी। हाउस ने मंजूर कर लिया है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हाउस से ज्यादा फाइनल अथारिटी कौन हो सकता है। तो पहले प्राक्कलन बनने चाहिये विभाग में। उसके बाद फायनेन्स डिपार्टमेंट को उन्हें मंजूर करना चाहिये। फिर उनको हाउस में आना चाहिये। लेकिन होता क्या है? कहा जाता है कि ये डिटेल्ड एस्टिमेट्स हैं। लेकिन वास्तव में डिटेल्ड एस्टिमेट्स बाद को बनते हैं। इसीलिये एस्टिमेट्स कमेटी के सामने ये दिक्कतें हैं। और एस्टिमेट कमेटी के जो सुझाव हैं उनका कार्यान्वयन इसलिये नहीं हो पाता क्योंकि एस्टिमेट्स वे बने ही नहीं हैं और हाउस से मजूरी ले ली जाती है। तो इस प्रणाली को बदलना चाहिये। इसमें लिखा है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में १८ करोड़ रुपये के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ८ करोड़ १७ लाख के, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ५ करोड़ ३९ लाख के एस्टिमेट्स नहीं बने हैं और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में २ करोड़ ७१ लाख का ज्यादा खर्च हुआ। इस तरह टोटल ३१ करोड़ रुपये के एस्टिमेट्स नहीं हैं और हाउस उन्हें मंजूर कर चुका है। हमारे एप्रोप्रियेशन ऐक्ट की मंशा तथा सिद्धान्त के बिल्कुल यह विपरीत है कि जिस चीज के एस्टिमेंट्स न हों उसे खर्च करने का अधिकार हम एक्जिक्यूटिव को दे दें और यह पार्लियामेंटरी कंट्रोल ऐंड एक्सपेंडिचर के बिल्कुल विरुद्ध है।

मैं यह भी मांग करता हूं कि जो बजट मैनुअल को शीघ्रातिशीघ्र पेश करने की बात कही गयी थी वह हमारे सामने अब तक नहीं आई। उस बजट मैनुअल में न्यु सर्विस की परिभाषा होनी चाहिये। न्यु सर्विस के अन्दर क्या आना चाहिये उस पर हाउस की राय ली जानी चाहिये, यह एक्जिक्यूटिव के फैसला करने की चीज नहीं है कि न्यु सर्विस में कोई पोस्ट आयेगी या नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि न्यु सर्विस की डेफिनीशन तै नहीं हुई और सरकार ने उत्तर दे दिया कि न्यु सर्विस क्या है। मैं कहूंगा कि न्यु सर्विस को अगर हम डिफाइन कर देंगे तो जितनी भी न्यु सर्विस होंगी उनकी स्वीकृति सदन देगा और जो उस परिभाषा के अन्दर नहीं आयेगा उसको विभाग या सरकार मंजूर नहीं कर पायेगा। लिहाजा न्यु सर्विस की परिभाषा अवश्य होनी चाहिये।

इसके साथ कंसोलिडेटेड फंड को इस्तेमाल करने के क्या नियम होंगे? कांटिंजेंसी फंड बना तो है लेकिन उसके नियम नहीं बने हैं। ये सारे मामले ऐसे हैं जिन्हें चाहे टेक्निकल या संवैधानिक माना जाय लेकिन मेरा यह नम्र निवेदन है कि अगर हमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इस देश में रखना है तो पार्लियामेंट का कंट्रोल फिनेन्सेज के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, एक्सपेंडीचर के ऊपर रखना होगा और इस सदन को एग्जीक्युटिव के ऊपर प्रधानता देनी होगी। और इसके लिये हाउस आफ कामन्स ने वहां इतने बड़े अधिकार होते हुये भी ब्लाउडन कमेटी बिठायी है कंजरवेटिव गवर्नमेंन्ट ने। हमारे माननीय चन्द्रभानुजी गुप्त

की सरकार तो अपने को सोशलिस्ट सरकार बताती है। तो अपने को एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कहने वाली सरकार को तो और भी सतर्क होना चाहिये इस मामले में कि प्रापर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडीचर इन ए सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हो। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था और श्रीमन् आपको भी लिखा था कि एक कमेटी बिठाई जाय तीन, चार आदमियों की जिसमें सेक्रेटरी हों, आप हों, स्पीकर साहब हों .....

श्री हुकुमसिंह विसेन—और आप भी हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे भी रख लीजिये तो बहुत अच्छा, उसके लिये धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कम से कम यह घोषणा जरूर करेंगे कि पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंडीचर की जांच करने के लिये, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का काम किस प्रकार ठीक तरह से चल पाये इसकी जांच करने के लिये वह एक कमेटी बनायेंगे।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय खर्चे का आडिट तो जरूर होता है, लेकिन इन्कम का आडिट नहीं होता है। केन्द्र में यह प्रणाली बनायी गयी है कि कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल इन्कम टैक्स के जरिये और एक्साइज के जरिये जो रिसीट्स होती हैं उनका आडिट करें। हमारे यहां सेल्स टैक्स है और तमाम प्रकार की आमदनी है जिसका कोई आडिट नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई बड़ा घपला होता है लेकिन रिसीट्स का आडिट नहीं होता है, जिसकी वजह से यह पार्लियामेंटरी पद्धति की एक ही पहिये की गाड़ी हो गयी है कि खर्चे-खर्चे की ही केवल जांच होती है, आमदनी की कोई जांच नहीं होती। तो मेरी यह भी मांग है कि वित्तीय कंट्रोल को और मजबूत करने के लिये रिसीट्स का आडिट होना चाहिये एकाउन्टेन्ट जनरल के द्वारा ताकि हम उस पर विचार कर सक।

इन शब्दों के साथ यह जो विनियोग विधेयक है इसके पारित करने के विरोध में सिद्धान्ततः तो नहीं हूं लेकिन उसूलन इन परिवर्तनों और परिवर्धनों के साथ आंशिक समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ हमारे सामने पेश हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पिछले कई हफ्तों से इस सदन में, जो भिन्न-भिन्न हमारे विभाग हैं उन्होंने, जो अनुदान पेश किये उन पर वाद विवाद हुआ। उस सम्बन्ध में हमारे साथियों ने बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। अब उन सब अनुदानों के पास हो जाने के बाद सरकार इस बात की आज्ञा चाहती है कि उसको २५८ करोड़ रुपया कंसालिडेटेड फंड से निकाल कर खर्च करने का अधिकार दिया जाय जो कि निहायत मुनासिब है। मैं आशा करता हूं कि इस बीच में जितने भी सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार बड़े ध्यानपूर्वक गौर करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि जहां तक सम्भव हो सके उनको कार्यान्वित किया जाय।

मैं माननीय तिवारी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बजट के सम्बन्ध में आज विशेष-तौर से बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव रखे। इसमें शक नहीं कि उनमें से बहुत कुछ टेक्निकल थे जिनको काफी संजीदगी और शान्ति के साथ सरकार को सोचना चाहिये। मैं उन सब बातों को इसलिये नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय कम है और मैं दोबारा उनको कहना भी नहीं चाहता। हम सब जानते हैं कि जब बजट हमारे सामने पेश होता है तो उस वक्त समय बहुत कम होता है इसलिये अनुदान की डिटेल्स के संबंध में सोच नहीं पाते हैं और उसके हर पहलू पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अनुदान तो हाउस ने अवश्य पास किये लेकिन गवर्नमेंट का फर्ज है कि एक एक पाई को खर्च करने के पहले उसके डिटेल्स पर ध्यान दे कि उनके अन्दर

[श्री नवलकिशोर]

कहां-कहां शिकायत की जा सकती है और क्या क्या कमी की जा सकती है। मेरा यह अनुभव है कि विभागीय कर्मचारी एस्टीमेट्स बनाते वक्त जितना उनको सतर्क होना चाहिये उतने नहीं होते क्योंकि वह समझते हैं कि हम जो बना कर भेज देंगे वह पास हो ही जायगा।

माननीय तिवारी जी ने जो कहा सो सही बात है कि पहले मामूली एस्टीमेंट्स बनाकर भेज दिये जाते हैं। और विभागों की बात छोड़ भी दें लेकिन जो विभाग कंस्ट्रक्शन में लगे हुये हैं जैसे इरीगेशन, पी० डब्लू० डी० और हाइडिल विभाग हैं उनकी आदत है कि वह रफ एस्टीमेट बनाकर भेज देते हैं और जब हाउस अनुदान पास कर देता है तब कहीं विवरण के साथ एस्टीमेट बनाते हैं जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने मातातीला बांध की मौजूद है। देहली में दो करोड़ का एस्टीमेट दे दिया गया, देहली गवर्नमेंट को, और नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल को एस्टीमेट दे दिया गया जिससे स्वीकृति मिल जाय। इसके बाद श्रीमन्, एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार एस्टीमेट बने और बदले गये। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे कामों के अन्दर विभागीय इंजीनियरों का फर्ज है कि जब कोई अनुदान हाउस में आये तो उसका डिटेल्ड एस्टीमेट भी आना चाहिये। एक बात मानता हूं कि डेवलपमेंट के कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनके बनाने की जल्दी जरूरत हो उनको बना लें। लेकिन यह एक परम्परा बना लेना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि सेक्शन से पहले डिटेल्ड एस्टीमेट्स आने चाहिये।

एक चीज और भी देखनी है कि जब योजना बनती है तो यह पहले ही तय हो जाता है कि कितना स्टाफ चाहिये। योजना चाहे चले या न चले लेकिन स्टाफ कम्पलीट कर लिया जाता है। सही तरीका यह है कि ज्यों-ज्यों योजना आगे बढ़ती जाय उसके अनुपात से ही स्टाफ भी बढ़ना चाहिये। इस संबंध में एक चीज और तिवारी जी ने कही कि इस साल ७७ प्रतिशत बचत दिखाई गई है जो और सालों से कम है। यह एक बड़ा मिसनोमर है क्योंकि सही माने में बचत नहीं होती है। जो सेविंग दिखाई जाती है यह सेविंग नहीं होती बल्कि खर्च न हुआ धन (अनस्पेंट मनी) होता है। जब सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश करते हैं तो विभाग लिख देता है कि इतने लाख रुपये की आवश्यकता है और इतना विभाग में बच जायगा लिहाजा १०० रुपये की टोकिन ग्रान्ट दे दी जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पेश की जांय तो गवर्नमेंट डिटेल्स दे कि किन किन आइटमों पर बचत हुई है और कैसे असल में बचत नहीं होती बल्कि पैसा खर्च नहीं होता है। इस्टैब्लिशमेंट में तो बचत होती ही नहीं है बल्कि वहाँ तो पैसा बढ़ ही जाता है। डेवलपमेंट की जो स्कीमें होती हैं उनमें बचत होती है। यह बचत नहीं होती बल्कि उस रुपये को वह खर्च नहीं कर पाते और इसे अनस्पेंट मनी को बचत कह देते हैं। यह चीज डिटेल्स में हमारे सामने आनी चाहिये। कभी कभी यह होता है कि यह रकम करोड़ों के ऊपर पहुंच जाती है और हाउस को इसका पता नहीं होता और वह समझता है कि बचत हुई है। जो असल में बचत नहीं होती। मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी-बड़ी धनराशियां हैं उनका रिएप्रोप्रियेशन (Reappropriation) हाउस की सेंक्शन के बगैर नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि एक अनुभव यह है कि फायनेन्स डिपार्टमेंट से सेंक्शन बहुत देर में आती है। मैं एक ही मिसाल पेश करूंगा। इस साल कोआपरेटिव विभाग को ११ लाख रुपये की सेंक्शन २९ मार्च को गई कि आप इस रकम को विदड्रा कीजिये। मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आती है कि जिस रुपये को २९ मार्च को सेंक्शन मिलती है तो उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन ३१ मार्च तक सम्भव है परिणाम यह होता है कि बेतरतीब खर्च करने से पैसे का अपव्यय होता है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस बात की कोशिश की जाय कि जो साहब जिम्मेदार हों, चाहे उनको दंडित भी करना पड़े, सेंक्शन २८ फरवरी तक पहुंच जानी चाहिये और मार्च के तीसरे हफ्ते में उसका यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट आ जाना चाहिये।

बजट के सम्बन्ध में इन बातों को कह कर मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री के प्रति आभार प्रगट करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि उन्होंने इस बजट के दौरान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और हम सब को कुछ आश्वासन दिये हैं। मैं सब का जिक्र न करते हुए, दो, तीन बातों की तरफ खास तौर से, जिनका सम्बन्ध इकोनामी से है, जिक्र करना चाहता हूं।

उन्होंने इस बात की घोषणा की कि उनकी सरकार पहाड़ पर नहीं जायेगी। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं इसलिये नहीं कि इससे बहुत बड़ी बचत होगी, बल्कि इसलिये कि उन्होंने जो बचत का एक मूवमेंट स्टार्ट किया है उसको एक मनोवैज्ञानिक शक्ति मिलेगी, एक आधार मिलेगा।

मैं इस बात के लिये भी उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी बचत केवल ५२ लाख तक सीमित नहीं, बल्कि वह इस ओर बढ़ते रहेंगे और ८६ लाख की बचत की स्कीम उनके पास और भी है। मुझे विश्वास है कि अगर कोशिश की जाय और पांच परसेंट ओवर आल हम बचत कर लें तो वह धनराशि करोड़ों रुपये में पहुंच जायगी।

यही नहीं, रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि उनकी नीति यह है कि ५५ साल की रिटायरमेंट एज होगी। इस सम्बन्ध में एक बात जरूर है, यद्यपि जो कुछ उन्होंने कहा मेरी समझ में वह बहुत स्पष्ट है, मगर ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोगों को वह स्पष्ट नहीं हुआ। मैं उनसे एक ही बात चाहूंगा कि जिस नीति की उन्होंने घोषणा की है उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की कोशिश करें और वह लोग भी जो ५६ या ५७ साल की उम्र के हों या वह लोग जो इस बीच में भरती किये गये हों, जिनके बारे में वह कानूनी मशविरा लेना चाहते हैं, जो कि उचित भी है, उसे जल्दी लेना चाहिये, और उस पर तेजी के साथ काम होना चाहिये। मेरा अपना मत है कि ५५ साल का नियम उन सभी पर लागू होना चाहिये।

सेक्रेटेरिएट के सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करके एक कमेटी बैठाएं। वह हाई पावर कमेटी होनी चाहिये जो इस बात पर गौर करे कि हम सेक्रेटेरिएट का पुनर्संगठन किस प्रकार कर सकते हैं मेरा विश्वास है कि अगर सही मानी में विकेन्द्रीयकरण किया जाय और डिपार्टमेंटल हेड्स और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को उचित अधिकार व शक्ति दे दी जाय तो जो छोटी-छोटी बातों के लिये लिखा-पढ़ी होती है, वह बन्द हो जायगी और जो सेक्रेटिएट का मेन फंक्शन है कि वह गवर्नमेंट को नीति निर्धारण में सलाह और गाइडेंस दे वह वहीं तक सीमित रहे, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिस समय यहां सेक्रेटरीज बनाये जांय तो कोशिश इस बात की करें कि जो फील्ड के अन्दर सबसे सीनियर आफिसर्स हों, उनको यहां सेक्रेटरीज बनाना चाहिये, उनको छोड़ कर जो कि किसी कारण अनफिट हों। अगर ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उसके अन्दर बहुत काफी सुविधा और फायदा होगा और जो यह बेडौल ढांचा हो गया है वह सुडोल हो जायेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों का सवाल था कि जो हम बचत की बात कहते हैं, उसके बरखिलाफ समाजवाद में बचत की परिभाषा कोई दूसरी है। मैं उस बात की बहस के विवरण में तो जाऊंगा नहीं, केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। मैं जानता नहीं कि समाजवाद की परिभाषा उन साथियों के दिमाग में कौन सी है। एक समाजवाद सोविएट रूस में है जहां तानाशाही है। किसी की कोई इंडिविजुअल प्रापर्टी नहीं है। हर चीज स्टेट की है। कारखाने और फार्म्स सब स्टेट के हैं। जो उनमें काम करते हैं सब की एक तरह से स्टेट एम्प्लाइज की हैसियत बन जाती है। अगर ऐसा कोई कन्सेप्शन हो तो मैं मान सकता हूं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन होगा। लेकिन जब कि अपने देश में हमने

[श्री नवल किशोर]

समाजवाद के साथ साथ जनतंत्र को भी माना है और हमने अपने देश के अन्दर इंडिविजुअल प्रापर्टी को भी लिक्विडेट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सर्विसेज का एक्सपेंशन होना विकास के कामों को देखते हुए कुछ तो आवश्यक है लेकिन उसके ऊपर एक नियंत्रण का होना भी आवश्यक है। और अगर एक हैपेजर्ड वे में एक्सपेंशन हुआ तो उससे हमारे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर एक बोझ बढ़ जायगा और एफिशियेंसी भी हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ेगी, साथ ही समाजवाद में प्राप्ति तथा व्यय के अधिकांश साधन उत्पादक ही होते हैं।

मान्यवर, कृषि के सम्बन्ध में मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री ने यह घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसी कमेटी बैठायी है जो कि हमारे मेकेनाइज्ड फार्म्स का अध्ययन कर रही है कि उनमें किस तरह से सुधार हो सकता है? हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कोई सोशलिस्ट कमेटी बैठी है। मुझे पता नहीं कि वह सोशलिस्ट कमेटी है या कम्युनिस्ट कमेटी है या कौन सी कमेटी है, मुझे मालूम नहीं। मगर एक कमेटी जरूर है। मैं आशा करता हूं कि वह कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी देगी क्योंकि खेती के अन्दर, जो कि बिल्कुल आधारशिला है हमारे प्रदेश की प्रगति और उन्नति की, उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे ये फार्म्स हैं चाहे वह मेकेनाइज्ड फार्म्स हों, चाहे एग्रीकल्चर के फार्म्स हों, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें बहुत से फायदे हुए, मैं उनके आंकड़ों को तो डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन अगर उनके हिसाब-किताब के ढांचे को जांचा जायगा तो शायद उसके अन्दर कोई खास मुनाफा है नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज है और हमारे जो ऐग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनके ऊपर जो एक्वायरी कमेटी बैठी है उसको चाहिये कि वह उनके पूरे डिटेल्स में जाय, डिटेल्स में जाकर देखे कि उसमें नुकसानात के कारण क्या हैं और क्या तरीके इस्तेमाल किये जांय जिससे कि वह नुकसानात कम हो जांय क्योंकि मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की है और उसको जांचा है, उसके अन्दर अब तक लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है।

पी० डब्लू० डी० के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे इस साल के बजट में करीब ७१ करोड़ रुपये नियोजन के विभिन्न आइटम्स पर खर्च होंगे। इसके अलावा और भी करोड़ों रुपये भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा खर्च होंगे। मानी हुई बात है कि इसमें से बहुत बड़ी धनराशि निर्माण के कार्यों पर खर्च होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर साहबान इस बात को अपना एक फर्ज समझें और वह इस बात में अन्वेषण करें कि किस तरह से सस्ती और मजबूत तथा सादी इमारतें बन सकती हैं? क्योंकि इमारतों पर अनावश्यक व्यय बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ-साथ जो हमारे तरीके हैं अब तक कांट्रेक्ट के और स्पेसिफिकेशन के, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं चाहता हूं कि उसके अन्दर भी कुछ तब्दीली की जाय। इमारत कहां पर बननी है यह निश्चित करने के बाद ही उसका डिजाइन वगैरह बनना चाहिये ताकि धन और परिश्रम का अपव्यय न हो।

मुझे इस बात की खुशी है कि रुड़की विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि वह फुल टाइम वाइस-चांसलर है। तब भी मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को सोचे कि जो वहां के प्रो.वाइस-चांसलर की पोस्ट है उसको रखना कहां तक उचित और आवश्यक है। मेरी राय में उसको समाप्त कर देना चाहिये।

मान्यवर, मैं एकाध बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हम सही माने में एकोनामी इस प्रदेश में अगर करना चाहते हैं तो मान्यवर, हमको उसे आन्दोलन का रूप देना चाहिये और जितना जोश माननीय मुख्य मंत्री जी में है बचत के सम्बन्ध में, मैं चाहता हूं कि उतना ही जोश उनके तमाम साथियों में, तमाम कर्मचारियों में और हम सबके अन्दर भी पैदा हो और उसके लिये एक हैपेजर्ड ढंग से कुछ पोस्टें इधर काट दीं, कुछ उधर काट दीं, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिये जरूरत इस बात की है कि वह चाहे कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनायें या कोई और कमेटी बनायें जिसमें वह यदि उचित समझें तो और लोगों

को भी रखें जो कि इस बात की जांच करे कि किन किन विभागों में किस किस स्तर पर कितना स्टाफ अधिक है और उसका क्या और कहां उपयोग हो सकता है ? इसके अलावा एस्टीमेट्स कमेटी और पी०ए०सी० तथा एकोनामी कमेटीज की जो रिपोर्टें हैं उनका भी फायदा उठाया जाय। उनके तथा कर्मचारियों के भी अनुभवों के आधार पर बचत करने की एक व्यापक स्कीम वह बनायें।

अन्त में मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र को मजबूत करने तथा प्लानिंग को सफल बनाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जहां सरकार की मशीन अपनी जगह पर सही हो और क्षमता पूर्ण हो वहां यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि नान-आफिसियल-एजेन्सीज काफी रूप में विकसित हों। जनता के जो प्रतिनिधि हों उनका हर कदम पर और हर जगह सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाय। यह तभी हो सकता है जब कि हमारे मौजूदा जो कर्मचारी हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, वह बहुत अच्छी होते हुये भी, उसमें आमूल परिवर्तन हो। यदि इस प्रकार का आदेश दिया गया भी हो तो उनको दोबारा फिर आदेश भेजा जाय कि जितने गांव के प्रधान हैं, सरपंच हैं या और भी जो जिला परिषद् या टाउन एरिया वगैरह के चेयरमैन हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान होना चाहिये। उद्घाटनों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उनको उचित सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिये।

एक बहुत पुरानी मांग, जिसका बहुत विशेष सम्बन्ध इस एप्रोप्रियेशन बिल से नहीं है, उसको मैं फिर दोबारा मुख्य मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं और वह है "आर्डर आफ प्रीसिडेंस" की बात। ९ साल हो गये हम आर्डर आफ प्रीसिडेंस की मांग कर रहे हैं। वह सेंटर में भी है। कुछ स्टेट्स जैसे बम्बई और मद्रास हैं जिन्होंने अपने यहां इसको बना दिया है। मैं चाहता हूं कि वह चीज यहां भी बननी चाहिये। अंत में मुझे कहना है कि अब यह हमारा बजट पास हो गया है और एक साल के लिये हम सब को मिलजुल कर जुटना है और जो हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको पूरा करना है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ना है। उसके लिये आवश्यकता है कि हम सब मिलजुलकर सरकार के साथ सहयोग करें ताकि हम अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। मुझे आशा है कि हम सभी, जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है बावजूद इसके कि आम चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है उस तरफ तवज्जह देते हुये, कम से कम नियोजन में सहयोग करके स्वयं आगे बढ़ने तथा प्रदेश को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में जो यह विधेयक आया है इसको पारित नहीं होना चाहिये। यह पूछना सही है कि सरकार का खर्चा कैसे चलेगा ? लेकिन जब सरकार का खर्चा जनता का अहित करने में चले तो फिर इससे क्या लाभ हो सकता है ? माननीय नारायणदत्त तिवारी ने उन विषयों को उठाया है और बतलाया है कि जिनसे बजटिंग में खराबी आती है और जन-धन का विनियोग अच्छी तरह से नहीं होता है। उन्होंने जो आंकड़े दिये वे शायद सरकार पर थोड़ी सी-दया करके कम कर दिये क्योंकि यह जो १९५९–६० का विनियोग लेखा आया है और जो आडिट रिपोर्ट है उसमें मैंने देखा तो उसमें २७,०८,२७,००० रुपये की ४० ग्रान्ट्स के अन्दर सेविंग हुई है। ४० अनुदानों के अन्दर यह २७ करोड़ रुपये की बचत की गई। १० ग्रान्ट्स ऐसी थीं जिनमें १०,०९,००,००० रुपया ज्यादा खर्च हो गया।

अब श्रीमन्, देखा जाय तो दोनों तरफ मुसीबत है। कहीं तो बच रहा और कहीं पर हमारा ज्यादा रुपया खर्च हो गया। कहीं अन्दाजा नहीं लगा कि कितना खर्च होना है तो कहीं सप्लीमेंटरी में लाने के बावजूद भी रुपया ज्यादा खर्च कर दिया गया। तो आखिर सरकार कहीं कोई सही तरीके पर काम करने का इरादा रखती है या हर जगह यही गलती करेगी कि या तो रुपया खर्च नहीं होगा या कहीं ज्यादा खर्च कर दिया जायगा ? अगर इस बात को देखा जाय कि किन विभागों में बचत की गई है तो श्रीमन्, जान कर ताज्जुब होगा कि ऐसे-ऐसे विभाग हैं जिनमें सरकार बराबर दावा करती है कि हम बहुत कृत संकल्प हैं ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करने के लिये। उन विभागों में पैसा बच जाता है। खासतौर से पब्लिक हेल्थ (जन-स्वास्थ्य), उद्योग और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अकाल निवारण फंड में पैसा बच जाता है जिसके लिये न्याय मंत्री कहते हैं कि हर जगह हम मदद पहुंचा देते हैं जहां पर अकाल पड़ता है। सोशल वेलफेयर इतना आवश्यक है, कहा जाता है कि उसमें खर्च करने के लिये पैसे की कमी है, लेकिन उसमें भी बचत होती है। खेती में भी इसी प्रकार बचत हुई है। तो इन विनियोग लेखों को देखने के बाद सरकार की स्पष्ट नीति पता नहीं लगती और इसी कारण इसके पर्सोनल भी अच्छे नहीं हैं। प्रदर्शनी के तौर पर खर्च लिख देते हैं, यहां हम बजट पास कर देते हैं और फिर उसमें बचत हो जाती है। २७ करोड़ ४० विभागों में बचत और इस विभागों में सप्लीमेंटरी और एक्सेस ग्रान्ट के बावजूद दस करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई, यह एक अजब बात है, अजीब स्थिति है।

मैं नारायणदत्त जी द्वारा दिये गये सुझावों को दोहराऊंगा नहीं, वह अपनी जगह पर अच्छे होंगे, लेकिन वह एक पक्ष है। खर्च बिना सोचे समझे होता है, पूरी तरह से समय पर नहीं हो पाता, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, यह एक पक्ष है। लेकिन दूसरा एक व्यावहारिक पक्ष भी है और मैं खास तौर पर उसी की बात कहना चाहूंगा। उस दृष्टि से यह विधेयक पास नहीं होना चाहिये। यह रुपया गांव पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटियों में, अंतरिम जिला परिषदों में जायगा और इसका असर उन पर भी पड़ेगा, अवश्य नहीं है नहीं तो सप्रमाण बतला सकता हूं कि सरकार किस तरह भयंकर रूप से बुरे खर्च करती है। ९०० एकड़ का बांध लगाने के लिये १९५१ में केवल ६ लाख रुपया मांगा गया और १९५९ तक वह केवल ४४० एकड़ का बांध लगा पाये। उसमें भी कोई मुनाफा नहीं हो रहा है और उस पर १३ लाख रुपया खर्च हो गया। तो अगर सरकार की इस प्रकार की योजनायें चलेंगी तो उन से देश का हित होगा अथवा अहित? सरकार को रुपया खर्च करने के लिये सदन इसलिये देता है कि वह उसे ठीक से खर्च करेगी, जनता ने जो उसमें विश्वास निहित किया है उसका विश्वासघात नहीं किया जायगा, इस आशय से हम सरकार को यह मंजूरी देते हैं, लेकिन अगर वह आदरणीय सदन के पवित्र विश्वास के साथ विश्वासघात करे तो ऐसा कौन सदस्य होगा कि जो उसे इस धन के विनियोग करने की स्वीकृति दे देगा? मैं नारायणदत्त जी की बात दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अगर वह कमेटी बैठे और खर्चों का हिसाब हो जाय तो जनता के अहित के लिये जो खर्च होते हैं वही ज्यादा बैठेंगे। मान लीजिये कि किसी जिले में १० हजार या १ लाख रुपया मुकदमों की पैरवी के लिये खर्च होना है सरकार की तरफ से, तो सदन यह समझेगा कि यह ठीक है। किन्तु यदि उसका उपयोग जनता के हित के विरोध में किया जाय तो यह आदरणीय सदन क्या सोचेगा?

मैं सदन को यह जानकारी कराना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सी धनराशि इस प्रकार के जनता विरोधी कार्यों में खर्च हो रही है। अभी हाल ही की बात है कि झांसी जिले के समथर टाउन एरिया के चेयरमैन के खिलाफ सरकारी धन को गबन करने का मुकदमा चलाया गया। नीचे की अदालत ने मामला सेशन को दे दिया। सरकार ने यह दरख्वास्त दी कि हम जनहित में मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। पैरवी करने एडवोकेट जनरल गये। वहां जज ने सरकारी वकील झांसी से कहा कि क्या आप के पास सबूत नहीं है? आप मुकदमा क्यों वापस लेना चाहते हैं? तो सरकारी वकील साहब झांसी ने कहा कि सबूत तो हैं, लेकिन हम जनहित में इस मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं। जनहित शब्द के साथ जितना बड़ा व्यभिचार इस सरकार ने किया है शायद ही दुनियां के इतिहास में कहीं और हुआ हो। जनहित के नाम पर वह मुकदमा वापस लेने की बात कही गयी। वहां के जज ने इन्कार कर दिया। तब दूसरी बार फिर एडवोकेट जनरल साहब गये और दुबारा दरख्वास्त दी। वह भी इन्कार कर दी गयी। तब तीसरी बार उन जज के अतिरिक्त दूसरे जज के यहां दरख्वास्त दी गयी। उसके लिये फिर लखनऊ से कोई सरकारी वकील गये। तब वह मुकदमा पहली अप्रैल, १९६१ को वापस हो गया। मूर्ख दिवस बड़ा अच्छा दिन था ऐसे काम के लिये। करीब ढाई हजार रुपया तो उस मुकदमे के वापस लेने में खर्च किया गया और पहले मुकदमा चलाने में जो खर्च किया गया वह अलग है। आश्चर्य तो यह है कि जज ने दो बार वापसी के लिये आपत्ति की और आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया।

तो श्रीमन्, जिस काम के खर्च के लिये हम सरकार को रुपया दें और वह उसे उस काम में ठीक तरह से खर्च न करे तो उसका बहुत बुरा असर होता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे श्रीमन्, १५ मिनट तो दिये जायं। अभी १२ मिनट ही हुये हैं, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात कह कर बैठ जाता हूं।

मैं यह कह रहा था कि इसका असर क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि बाराबंकी की अन्तरिम जिला परिषद् में सन् १९५६ में एक स्कूल के लिये कुछ संगीत का सामान खरीदा गया जो इस प्रकार था--मजीरा १४ रुपये, चिमटा २५ रुपया, करताल १४ रुपया, ढोल २० रुपये, विगुल (अंग्रेजी) ९० रुपये। तो इन सब पर १६३ रुपये खर्च किये गये जबकि वही सामान करीब ४०-५० रुपये में मिल सकता था। इस तरह से रुपये की बरबादी होती है। इसलिये सवाल हमारे सामने यह होता है कि हम रुपये को खर्च करने की मंजूरी तो दे दें, मगर जब वह ठीक तरह से खर्च न हो तो जनता क्या सोचेगी, उसका हम पर क्या विश्वास रहेगा। इसलिये हमें आज इसकी टेक्निकल साइड को, और जो इसका व्यावहारिक पक्ष है, दोनों को ही देखना चाहिये कि कहां पर क्या खराबी है। उस खराबी का पता लगाकर हमें उसे दूर करना चाहिये।

दूसरा उदाहरण मैं और देता हूं। हमारे यहां पुखरायां उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक हरिजन विद्यार्थी को सन् १९५९ में वजीफा मिला। पहले दो महीना पढ़ने के बाद वह विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुका था, वह कहीं कांस्टेबिल हो गया था। वजीफे की ग्रांट आठ महीने बाद में अप्रैल, १९६० में पहुंची थी, उसके स्कूल छोड़ने के बाद। उस ग्रांट को वहां के प्रिंसिपल महोदय फर्जी तौर पर लेकर किसी तरह से पचा गये। बाद को किसी तरह उस विद्यार्थी को उसका पता चला और फिर उसने एक दरख्वास्त दी। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि एक छोटी-सी जांच हुई और उसके बाद उस मामले को दबा दिया गया। इस तरह से आज पता नहीं कि कितना रुपया ठीक तरह से मद में खर्च नहीं हो पा रहा है या गबन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में काफी शोर हो रहा है, माननीय सदस्य सदन से लाबी का काम न लें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पर बड़ा जोर दिया है। हर विकास खंड में प्रौढ़ पाठशाला खोलने का विधान किया गया है। इस सम्बन्ध में एक जगह की शिकायत मेरे पास आई थी और मैंने उसे माननीय मुख्य मंत्री के पास भी भेजा था कि वहां प्रौढ़ पाठशाला का कोई वजूद ही नहीं था और उसके नाम से रुपया लिया जाता रहा। वहां के गांव सभा के सभापति की शिकायत प्रमाणित रूप में प्राप्त होने से उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। जब ऐसी चीजें देखने में आती हैं तो हमको सोचना पड़ जाता है कि आखिर किस काम के लिये रुपया हम सरकार को दें, और क्यों दें।

अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि विनियोग लेखों में जो शिकायतें आई हैं उन पर ध्यान दें। उसमें जो उत्तर दिया गया है वह भी संतोषप्रद नहीं है। आखिर हम बराबर खर्च के लिये रुपये की स्वीकृति देते चले जायं और सरकार उसकी टेक्निकल और व्यावहारिक पक्ष की ओर भी ध्यान न दे, तो यह प्रदेश के साथ न्याय न होगा। जनता उसके लिये हमको कोसेगी और कहेगी कि तुमने अपना फर्ज अदा नहीं किया है।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को पास न करे जब तक कि सरकार हमको इस बात का आश्वासन न देदे कि हम उसकी टेक्निकल और व्यावहारिक साइड दोनों को ही देखेंगे और रुपये का सही प्रयोग करेंगे।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा विधेयक के अनुसार आज सरकार हमसे बहुत ज्यादा रुपया मांग रही है। आपको तो विदित ही होगा कि जिस समय सन् १९६२ में यह वित्तीय वर्ष पूरा होगा तो ३,२३,४१,७१,००० रु० इस उत्तर प्रदेश पर कर्जा हो जायगा लेकिन और इस वर्ष मार्च ३१,१९६१ तक २,७८,०८,८८,००० था यानी एक साल में ४५,३२,८३,००० रु० का अतिरिक्त कर्जा और बढ़ गया। कर्ज इस दर से आये दिन बढ़ता ही जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—एक सदस्य के ऊपर एक करोड़ तो बढ़े।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जी हां। इतना ज्यादा हो गया है कि अब आगे टैक्स बढ़ाना "(It is the last straw on the camel's back)" होगा। अगर एक तिनका और रखा जायगा तो गरीब किसान, मजदूर जो इस बोझ को ढो रहा है उसकी कमर टूट जायगी। जब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मर जायगी तो सोने का अंडा कौन देगा? इसलिये यह उचित नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी के इस सिद्धांत को कबूल करता हूं कि बचत होनी चाहिये, लेकिन वह दर हकीकत बचत हो। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूं, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक्सट्रेनुअस चीजों में वह फंस जाते हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह ठीक है कि आय घटी है, लेकिन मुख्य मंत्री जी को अपने आफिसर्स पर भरोसा डालना चाहिये। उन्होंने एक काल्पनिक स्वर्ग का चित्र हमारे सामने खींचा कि सादा खाओ, भूखे रहो और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो ताकि आने वाली पीढ़ी खुश हो, आराम से रहे। किसान देखता है कि ज्यों-ज्यों हमारी योजनायें बढ़ती गयीं त्यों-त्यों गरीबी बढ़ी है और हालत गिरी है, लोगों के जीवन का स्तर गिरा है। यह मेरे कहने की बात नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साफ तौर से सरकार ने तसलीम किया है कि पर-कैपिटा इनकम में और प्रोडक्शन में हम हर जगह पीछे गिरे हैं, आगे तरक्की नहीं की है। तो इन नतीजों को देखते हुये जनता इस हैवी टैक्सेशन से घबरा चुकी है। साथ ही टैक्सेशन का उल्टा असर पड़ता है। जितना टैक्सेशन होता है उसका तीन हिस्सा हर साल एडजस्ट में हो जाता है। हम तो अब भी कहते हैं कि पिछले १० साल में जो योजना में की हैं उनका कंसालिडेट होने दो, उनकी गलतियों की जांच करने का मौका दो ताकि जो योजना बाद को आये तो हम अपने को अच्छी तरह से असेस कर सकें कि कहां-कहां हमारे पिटफाल थे। एक योजना खत्म नहीं हो पाती, दूसरी शुरू हो जाती है और रात-दिन वर्क होता है। चूंकि फिगर्स इकट्ठी नहीं हो पातीं तो वह टेबिल पर मैनुफैक्चर की जाती हैं। जब फाइनल एस्टीमेट आते हैं तो उनका कोई सिर से आंकड़ों से सम्बन्ध नहीं होता है, यहां तक कि जब वास्तविक आंकड़े आते हैं कि कितना काम हुआ तो कोई सामंजस्य नहीं होता।

वन के अनुदान में आप देखें कि १९३ क्वार्टर २१ लाख रुपये में बनने वाले थे। बाद को कहा गया कि २० लाख रुपये में ही २६९ क्वार्टर बन गये, सैकड़ों मील टेलीफोन लाइन लग गयी और उसके बाद भी रुपया बचा। यह एस्टीमेट कैसा है? एक फर्म एस्टीमेट बनना चाहिये। इसके लिये जरूरत यह भी है कि इस आदरणीय सदन की जो पहले एक फाइनेंस कमेटी थी उसको रिवाइव होना चाहिये ताकि वह हमारे फाइनेंसेज पर कड़ा कंट्रोल रखे।

फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी हर जगह से जांच करायें। श्रीमन्, गवर्नमेन्ट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में वायर रखे हुये हैं जिनसे तमाम जगह बिजली सप्लाई की जा सकती है लेकिन वह पड़े सड़ रहे हैं। सरकार उनकी जांच करवाये कि वह किसने खरीदे और क्यों इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं?

श्रीमन्, सरकार में अब बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया है। उदाहरण के लिये सरकार का यह ध्येय है कि शराबबंदी हो लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने इसको अपना एक्साइज कर बढ़ाने का एक जरिया बना लिया है। तो यह बातें एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। इन

बातों का असर जनता पर बड़ा बुरा पड़ता है और वह समझती है कि सरकार यह बातें केवल दिखाने के लिये कहती है ।

इसी तरह से सरकार छोटी-छोटी फैक्टरीज और उद्योग धंधों को भी बढ़ाने का दावा करती है लेकिन दूसरी तरफ सरकार बरेली फैक्टरी को तीन लाख मन लीसा १५–१६ रुपये मन दे रही है जिसमें कि उस फैक्टरी को कुल १२ लाख रुपये का नफा होता है । श्रीमन्, अगर छोटे पैमाने पर उद्योग धंधे चलाये जायं तो उसमें ज्यादा लोगों को एमप्लायमेन्ट मिलता है जब कि फैक्टरी में कम लोग ही लगते हैं ।

श्रीमन्, अखबार में हमने एक खबर पढ़ी कि श्री कृष्णामेनन ने कह दिया कि हम चीनियों का स्वागत मैदान में करेंगे, पहाड़ जैसे उन्होंने चीन को ही दे दिये । श्रीमन्, यह सरकार पहाड़ पर सेना तो रख नहीं सकती लेकिन कम से कम जो वहां पर रिटायर्ड लोग हैं उनको पुलिस के नाम पर कुछ वारफेयर में ट्रेनिंग दे दे और कुछ बन्दूकें वगैरह दे दे तो वह वहीं पर चीनियों का मुकाबिला कर सकते हैं।

श्रीमन्, सरकार कहती है कि कृषि की उन्नति हो । लीसा की आमदनी से सरकार को एक करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ सकती है । लेकिन उधर ध्यान न देकर सिंचाई की छूट को खत्म किया जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री ने इस गल्ती को महसूस किया होगा । लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है तो मैं उनसे कहूंगा कि वह इस मौके पर छूट की घोषणा फिर से दे दें ।

विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है । इस सदन के सदस्य बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, हम लोग ही हर मर्ज की दवा नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार के कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के मंत्री श्री डे साहब ने कहा कि सभी जगह एम०एल०एन० को नहीं रखना चाहिये । लेकिन यहां मंत्री जी ने कहा कि रखो । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, ला कमीशन की बात आई थी उसके सम्बन्ध में भी कुछ कह दूं । थोड़ा समय और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष––थोड़ा समय और ले लीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––श्रीमन्, हमारे न्याय मन्त्री बड़े विद्वान् हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं । बुजुर्गों की कही हुई बात का मैं बुरा नहीं मानता लेकिन अगर बच्चे भी कभी सही बात कहें तो उसको भी उन्हें मानना चाहिये । ला कमीशन में श्री सीतलवाद, एटार्नी जनरल आफ इंडिया, श्री छागला, चीफ जस्टिस आफ बाम्बे हाई कोर्ट, श्री वान्चू, चीफ जस्टिस आफ राजस्थान, ऐसे-ऐसे प्रतिष्ठित लोग थे । इसमें न कोई जनसंघ का आदमी है और न कोई पी० एस० पी० का आदमी है, इसमें तो जितने भी आदमी हैं आपके द्वारा रखे गये और बड़े ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं । ऐसे ईमानदार आदमी भी जो चीज कहते हैं उसे भी आप नहीं मानते । उन्होंने जजों की नियुक्ति के बारे में कहा है––

"It has been said that these selections appear to have proceeded on no recognisable principle and seem to have been made out of considerations of political expediency or regional or communal sentiments."

सरकार जनसंघ को कम्युनल कहती है लेकिन कांग्रेस सरकार के मंत्री जिन लोगों की भर्ती करते हैं उनके बारे में वह कमीशन कहता है कि कांग्रेस सरकार ने जो जजों की नियुक्तियां की हैं वे साम्प्रदायिक आधार पर की हैं । यह उनके लिये उन्होंने कहा है । और सरकार बदनाम हमें करेगी । यह मैं मानता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी का हाथ उसमें नहीं था क्योंकि उस समय वे तो मंत्रिमंडल में थे नहीं लेकिन यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि थर्ड क्लास लायर्स को, जिनके पास कोई काम नहीं था, नियुक्त किया गया और जो फर्स्ट क्लास लायर्स थे उनको नहीं लिया गया । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मैं तो अल्पमत में हूं मेरी बात तो वे ठुकरा सकते हैं लेकिन इतने बड़े कमीशन की बात को उन्हें नहीं ठुकराना चाहिये ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

दुनिया उनके विरुद्ध आपकी बात मानने वाली नहीं है। जो खामियां उस कमीशन ने प्वाइंट आउट की हैं उनको आपको मान लेना चाहिये।

मैं माननीय चुचेता जी और मुख्य मंत्री जी का बहुत अनुग्रहीत हूं कि वे अपनी गलतो को स्वीकार कर लेते हैं और जवाब पूरा देंगे। यह उनके बड़प्पन की बात है। माननीय न्याय मंत्री जी को भी उसमें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। हमने फरवरी में ही मांग की थी कि जो कुछ भी लिटरेचर हो वह दे दिया जाय क्योंकि वह तो पढ़ने के लिये ही होता है, इसलिये समय से मिलना चाहिये। लेकिन न्याय मंत्री जी से जब आज कहा तो कह दिया कि बजट क्या लिटरेचर नहीं है। अगर वे यह कह देते कि गलती हो गयी तो क्या खास बात हो जाती? मैंने सुना कि प्रेस में वह चला गया था और अखबार वालों को भी दे दिया गया। यह सवाल हमने उठाया नहीं था, यह प्रिविलेज का मामला था। इसलिये माननीय मंत्री जी अगर किसी चीज को भूल भी जायं तो उसको वे स्वीकार कर लेंगे। डेमोक्रेसी में केवल बहुमत ही शासन नहीं करता है, शासन डिस्कशन से होता है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं सदन का ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो सरकार को इस बात के लिये आलोचना की गयी कि जो बजट यह सदन स्वीकार करता है उसका यह सरकार पूरी तरह से उपयोग नहीं करती है, कभी तो उसको रिएप्रोप्रियेट करती है और कभी विभागों को बहुत-सी मदें अनस्पेंट ही रह जाती हैं।

इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रुपया इस सदन के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है और वह यह कि उस रुपये को खर्च करके यह सरकार देश की जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले चले। जो गरीब जनता है उसकी आमदनी को बढ़ावे। लेकिन मोटन्, पिछले १० वर्षों में हमने जो भी रुपया स्वीकृत किया है, यह सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि पिछले १० वर्ष की दो योजनाओं पर इतना काम करने के बावजूद भी हमारे प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिछले १० वर्षों में गरीबी और अमीरी की खाई और भी चौड़ी होती गयी है। तो असल मौलिक प्रश्न यह है कि जिस लक्ष्य और उद्देश्य को हमने अपने सामने रखा है और जिसको लेकर हम प्रति वर्ष बजट पास करते हैं, उस रुपये का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिये कि हम उस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सरकार का ध्यान इस मौलिक प्रश्न की ओर अवश्य जाना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी शासन भार संभालने के बाद कुछ बातों की आलोचना की थी कि पिछले वर्षों कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर रुपये खर्च नहीं किये गये, जैसे चिकित्सा विभाग के अन्दर, सोशल सर्विस के अन्दर। और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा प्रदेश जो पूरे मुल्क के सन्दर्भ में काफी पिछड़ा हुआ है वह उस क्षेत्र में और भी पीछे चला गया। माननीय मुख्य मंत्री ने शासन सूत्र सम्भालने के बाद यह घोषणा की थी कि यह सरकार मुस्तैदी से सारे प्रदेश की जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले जायगी और बचत करने के लिये कुछ रास्ते अख्तियार करेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि इस वर्ष के अन्दर जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम बजट है, यह और भी महत्वपूर्ण है और हमें इस बात से सतोहित होना चाहिये कि जब दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर प्रदेश की जनता खुशहाली के रास्ते पर उस गति से नहीं बढ़ सकी जितना कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कहीं वही हस्र न हो जो हमारी पिछली दो योजनाओं का रहा है। आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तो मांग करता हूं कि सरकार आज इस बात पर एक कमेटी बैठावे जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने पार्लियामेंट के अन्दर घोषणा की थी कि यह चिन्ता की बात है कि १० वर्ष के अन्दर हमारे राष्ट्र की आय जरूर बढ़ी लेकिन गरीबों की जिन्दगी में जो खुशहाली होनी चाहिये वह नहीं आयी और न मालूम वह धन कहां चला गया। तो इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी बैठाने की घोषणा उन्होंने की थी। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार भी इस प्रकार की एक कमेटी बैठावे कि पूरे देश के नकशे में जो हमारा प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ है, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो रुपया हम स्वीकार करते हैं वह तो खर्च हो ताकि यह और न पिछड़ जाय। वह कमेटी इस बात की भी जांच करे कि वे कौन-सी मौलिक गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे प्रदेश की जनता दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर खुशहाली के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकी; और वे कौन-सी बातें हैं जिनकी वजह से जो हम प्रतिवर्ष इतना रुपया खर्च करते हैं फिर भी प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकी और गरीबी और अमीरी की खाई बराबर बढ़ती ही चली गयी ? और हम कौन सा रास्ता अपनावें जिससे तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम मजबूती के साथ उनकी खाई को दूर कर सकें ? इसके लिये निश्चित रूप से एक कमेटी बैठानी चाहिये ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सर्व विदित है। प्रत्येक वर्ष बजट के मौके पर हम लोग कहा करते हैं कि यह सरकार हर कार्य में बचत करती है लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि बचत नहीं होती बल्कि वह धन खर्च नहीं होता। सरकार की कमजोरी के नाते और सरकारी योजनाओं में त्रुटियां होने के नाते वह धन सही काम पर खर्च नहीं होता और जैसा कि इस वर्ष के बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री ने भी इस बात को व्यक्त किया कि वे उस घाटे को इस बजट के अन्दर अपने खर्च के हिसाब से बचाते रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करेंगे तो ढाई परसेंट की बचत कर लेंगे और इस तरह से २ अरब ५८ करोड़ के बजट में करीब सवा ६ करोड़ की बचत हो जायगी और इस तरह से माननीय मंत्री जी ने जो गरीब किसानों से इर्रीगेशन रिबेट को वापस लेने की बात कही है जिससे वे २ करोड़ रुपया हासिल करना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर माननीय मंत्री जी इर्रीगेशन रिबेट को वापस न लें तो किसानों की आमदनी बढ़ जायगी और उनकी दशा में भी सुधार हो जायगा और सरकार की इच्छा की पूर्ति भी हो जायगी।

पार्लियामेंट में भी टैक्स बढ़ाने की बात हुई थी लेकिन चूंकि देश की सार्वजनिक जनता पर टैक्स का भार बढ़ रहा था इसलिये आलोचनायें सुनने के बाद वहां के मंत्री ने प्लेयर स्पिरिट दिखलायी और उसे बगैर अपने सम्मान का प्रश्न बनाये टैक्स वापसी की घोषणा कर दी। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मौके पर घोषणा करें कि किसानों पर जो यह २ करोड़ का भार सिंचाई रेट्स की छूट वापस लेने से पड़ेगा उस को वह वापस लेते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने उनको पहली बार मुख्य मंत्री की हैसियत से समिति के समक्ष आमंत्रित किया था और उनके सामने इस प्रश्न को रखा था कि बजट पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार हो ताकि प्राक्कलन सही हों और सही व्यय हो। पहले हमारे यहां एक वित्त समिति थी जो कि एस्टीमेट्स की एग्जामिन करती थी लेकिन सरकार ने उसको न मालूम किन कारणों से भंग कर दिया। प्राक्कलन समिति ने सरकार से यह मांग की थी कि अगर वह किसी कारण से वित्त समिति का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती तो इस प्रकार का आयोजन करे कि जिससे समय से प्राक्कलन समिति बजट एस्टीमेट्स का निरीक्षण कर सके। इस प्रकार के अधिकार इस समिति को मिलने चाहियें, या बजट पेश करने और पास करने के बीच में कुछ समय उसको मिलता कि कमेटी प्राक्कलनों की जांच कर के अपने सुझाव सरकार को भेज सके। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि चूंकि प्रधान मंत्री इस तरह से ऐसी कमेटियों में नहीं जाते इसलिये मौका आने पर मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगा, अभी इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो संसदीय परम्परायें हैं उन के अनुसार निर्वहन करेंगे।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अब हम बजट पर विचार कर रहे हैं और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट है इसलिये हमें बहुत गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि जिस तरह से बजट पेश किया जाता है और फिर उस के अनुसार व्यय किया जाता है उसमें कहां गड़बड़ी होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करें कि वह पुनः फाइनेंस कमेटी का निर्माण करेंगे या नहीं और प्राक्कलन समिति ने इस विषय में जो सुझाव उनके समक्ष रखे हैं उनके बारे में सरकार की क्या राय है। इसमें दो रायें नहीं हैं जब हमने अपने यहां प्रजातन्त्र की पद्धति को अपनाया है और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने खर्चों पर सदन का अधिक से अधिक नियंत्रण हो। वह कमेटी बनाते हैं और इस पर विचार करते हैं और वह इस तरह की परम्परायें अपने यहां कायम कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार को यह नीति हो गई है कि जो परम्परायें उस की स्वार्थ सिद्धि के लिये होती हैं उनको तो वह कायम करती है और जो अच्छी और स्वस्थ परम्परायें हैं उनको कायम करने की ओर उनका रुझान नहीं बढ़ता। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में मंत्री जी स्वस्थ प्रथा और परम्परा कायम करें और सदन में घोषणा करें कि आगे इस तरह का कोई प्रबन्ध किया जायगा कि प्राक्कलनों को फाइनेंस समिति या प्राक्कलन समिति समय से एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट दे सकें।

मैं इस से सहमत हूं कि जो रीएप्रोप्रियेशन होता है, यानी एक रकम जो एक विभाग को एक काम के लिये स्वीकृत होती है उसको दूसरे विभाग की दूसरी मद में व्यय किया जाता है, वह प्रथा गलत है। कोई बड़ी भारी एमर्जेंसी हो और किसी तरह से काम न चलता हो तब तो असाधारण परिस्थिति की बात दूसरी है लेकिन इस तरह की परम्परा कि विभाग के लोगों पर छोड़ दिया जाय कि वह जहां चाहें रीएप्रोप्रियेशन कर लें यह गलत है और संसदीय प्रथा के प्रतिकूल है। सदन एक विशिष्ट कार्य के लिये एक रकम की स्वीकृति किसी विभाग को देता उसके खिलाफ उसका व्यय हो यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

आखिर में इस नोक पर मैं सरकार का ध्यान एक और बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। सरकार समय समय पर कमेटियों का निर्माण करती है और प्रायः हम लोग भी सरकार से बहुत-सी कमेटियों का निर्माण करने की मांग करते हैं और बहुत-सी कमेटियां बनती भी हैं। प्लानिंग के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सहाय कमेटी बनी, श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी, श्री राधाकृष्णन् कमेटी, श्री नरेन्द्रदेव कमेटी और अनेक कमेटियां प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। अनेक कमीशन शिक्षा विभाग द्वारा बनाये जाते हैं। इन कमेटियों पर सरकार अपना पैसा खर्च करती है और वह लोग मेहनत कर के अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जो उनके निर्णय होते हैं उन पर सरकार गौर नहीं करती और उन को लागू नहीं करती। इस तरह से जो सलाह इन कमेटियों की होती है वह कार्यान्वित नहीं होती।

अन्त में मैं इस के लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि सरकार का ध्यान प्रदेश में बढ़ते हुये साम्प्रदायिक तत्वों की ओर गया है। अगर सरकार उनका मजबूती के साथ दमन करती है तो हम उसके इस कदम का स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी भी शक्तियां प्रदेश के अन्दर हैं जो विदेशी ताकतों से मिली हुई हैं। उनके खिलाफ भी सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही करे। हर सरकार का यह कर्तव्य है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह करते हैं तो प्रदेश की जनता उसका स्वागत करेगी। लेकिन जब ऐसी बातें कभी कभी पार्टी हित में और चुनाव प्रचार की दृष्टि से कही जाती हैं तो वह एक खतरनाक बीज होती है। हमारी पार्टी के सदस्य जब सदन से अनुपस्थित थे उस समय माननीय उप शिक्षा मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था---मैंने आन्ध्र प्रदेश में उसे पढ़ा था---जिसमें कहा गया था कि आजमगढ़, गाजीपुर, बरेली और टेहरी-गढ़वाल के अन्दर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन-तीब्बत विवाद के

ऊपर राष्ट्रविरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूं और कहता हूं कि उसे साबित करें। अगर एक पार्टी के ऊपर आरोप है तो न्यायालय के अन्दर उसे ले जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के हित में कोई ऐसे विरोधी तत्व थे तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ? यह कहा गया कि बनारस, लखनऊ और दूसरे जिलों के अन्दर इस प्रकार का साहित्य बांटा गया है। इस प्रकार का आरोप किसी पार्टी पर लगा देना जिसका कि कोई आधार न हो, मैं समझता हूं कि जनतंत्रीय प्रणाली और परम्परा के लिये अनुचित है। देशहित के लिये, राष्ट्र हित के लिये, राष्ट्र की सुरक्षा के लिये जो भी कार्यवाही सरकार करेगी हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन उसका आधार होना चाहिए। निराधार बात पर किसी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाना अनुचित होगा। इसलिये मैं फिर दोहराता हूं और चुनौती देता हूं कि सरकार इस बात को साबित करे कि इन जिलों में किसने इस तरह की कार्यवाही की है और हिम्मत हो तो सरकार न्यायालय में जाय, मुकदमा चलाए और जो दोषी हों उनको सजा दिलवाए।

श्री अध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री। (श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर) आप जवाब दे रहे हैं या इंटरवीन कर रहे हैं ? जवाब तो वह देंगे जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं इंटरवीन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं उन सुझावों के लिये जो उन्होंने सरकार के खर्चे के नियंत्रण के विषय में और सदन के नियंत्रण के विषय में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किये ह। माननीय तिवारी जी ने तथा माननीय नवलकिशोर जी ने जो सुझाव दिये हैं और उन सुझावों के पीछे जिस स्प्रिट को व्यक्त किया है, स्वतः मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो उन सुझावों की स्प्रिट को मानने वाला हूं। इस सदन का उस खर्च के ऊपर, जो सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये सदन की स्वीकृति के बाद खर्च करे, कंट्रोल होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो इस बात को भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किसी न किसी रूप में सदन का कंट्रोल उस खर्च के ऊपर आज भी है। भले ही उस सारी शक्ल में, जिस शक्ल का परिचय माननीय तिवारी जी ने कराया, हम उस नियंत्रण को इस सदन को न दे रहे हों लेकिन जब कभी हम खर्च ज्यादा कर लेते हैं या रीएप्रोप्रियेशन कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में सदन के सामने आते हैं और सदन की स्वीकृति उसके लिये प्राप्त करते हैं। उनका यह कहना है कि प्रत्येक एप्रोप्रियेशन के सिलसिले में सदन की स्वीकृति हमें ले लेनी चाहिए, लेकिन आज की जो एक्सपैंडिंग इकोनामी है, मैं ऐसा समझता हूं, उसमें यह सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सकता है।

जो उन्होंने ब्रिटेन की मिसाल हमारे सामने रखी, यद्यपि मैं बहुत कुछ आज उन तमाम पद्धतियों से परिचित नहीं हूं और न मैंने उनका अध्ययन उस खूबी के साथ किया है जिस खूबी के साथ तिवारी जी ने किया है, मैं स्वतः उनसे कई मर्तबा इस विषय में निवेदन कर चुका हूं कि जो उनकी विशेष जानकारी इन विषयों की रहा करे वह मुझे भी पहुंचा दिया करें। तो मेरा भी अध्ययन उन चीजों का होता जाता है और उसके उपरान्त यदि मुझे इस शासन के संचालक के नाते उन पद्धतियों में अच्छाई लगी तो मैं अवश्य उन सुझावों को मान कर काम करने के लिये तैयार हूं। बहराल, जो उन्होंने पहलू पार्लियामेंटरी कंट्रोल का फाइनेंसेज के ऊपर रखा है वह अपने स्थान पर एक जगह रखता है।

आज जो फाइनेंस कमेटी के तोड़ने की चर्चा की कि उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे फाइनेंसेज पर था, उसके सामने हमारी योजनायें जाती थीं, उनकी मन्जूरी मिलती थी और उसके उपरान्त केबिनेट उन पर विचार करती थी और विचार करके फिर बजट के तहत में उन योजनाओं को समावेश करती थी। परन्तु केन्द्र ने जब फाइनेंस कमेटी की पद्धति को तोड़ दिया तो इस सदन ने भी और सरकार ने भी उस पद्धति को हमारे बीच से हटा दिया। आज यह नहीं है कि प्रत्येक उस चीज की नकल करें जो कि आज तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्तर्गत होती रही। आज जो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हमारे लिये पद्धति के अनुसरण करने का केन्द्र केन्द्रीय सरकार और पार्लियामेंट है और वहां जो नीतियां, पद्धतियां, मर्यादायें और परम्परायें बनती जाती हैं उन्हें हम अपने बीच में अपनाते जाते हैं और उनका अनुसरण करते हुये नई पद्धतियों के रचने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, मैं इस विषय में कोई ऐसी राय नहीं प्रस्तुत करना चाहता जो राय माननीय तिवारी जी के विपरीत हो। जो अभिलाषा, जो उनका तत्व उस विचारधारा को प्रस्तुत करने का है, मैं स्वतः उससे सहमत हूं और यही कारण है कि ३, ४ महीने के अन्तर्गत कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा प्रदेश का जहां मैंने अधिकारियों को संबोधित न किया हो, जहां उनके बीच में अपने विचारों को प्रकट न किया हो कि यह सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करते हुये देखी नहीं जायेगी यदि वह जनता की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया, उसका यदि कहीं अपव्यय होता है, उसके रोकने की चेष्टा न करे। यों तो समय-समय पर मुझे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है और अधिकारियों को सामूहिक रूप से सम्बोधित करने का अवसर मिला है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां सरकारी व्यक्तियों को, विभागीय अधिकारियों को सम्बोधित न किया हो और इस विषय पर उनका ध्यान आमंत्रित न किया हो कि जो खर्चा उनको करने के लिये दिया गया है उसका सही सही उपयोग होना चाहिये और उसका अपव्यय कहीं नहीं होना चाहिये, और उन अधिकारियों को भी सम्बोधित बराबर किया है जो एस्टीमेट्स बनाते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, वह यह बात समझ कर योजना बनायें कि यदि उनके एस्टीमेट्स ऐसे पाये जायेंगे जिनमें दुगने, तिगने का फर्क पड़ेगा तो उनके कैरेक्टर रोल में उनकी दक्षता के विषय में जो ऐंट्री होगी वह उनके हितों की रक्षा करने वाली नहीं होगी। यानी प्रत्येक अधिकारी को जो योजनायें तैयार करते हैं, जो इंजीनियरिंग विभाग में या विकास के कार्यों में लगे हुये हैं, जिन्हें योजना को सम्पायन करने का अवसर मिलता है उनका कर्तव्य होगा कि देखें कहीं धन का अपव्यय तो नहीं होता है, कहीं उसके द्वारा बजटिंग गलत तरीके से तो नहीं होती है।

इन १०, ११ सालों में ऐसी योजनायें हमारे सामने से गुजरी हैं जिनमें धन का अपव्यय हुआ है। क्यों कि कोई योजना २ करोड़ रुपये की चली और जाकर ८-१० करोड़ में खत्म हुई तो कहीं न कहीं तो गलती है, चाहे अधिकारी की गलती है, या जांच करने वाले की गलती है या उसको कार्यान्वित करने वाले की गलती है। तो इससे स्पष्ट है कि हम उस दिशा में अधिकारियों को और कर्मचारियों को ले जाने की कोशिश करते हैं जहां चलते हुये अपव्यय न हो और जहां चलकर सही बजटिंग हो। हमारे जो नियम हैं बहुत से विभागों के उनके अन्तर्गत आज कंट्रोल रखने के उन नियमों के अन्तर्गत आदेश हैं।

रीएप्रोप्रियेशन के विषय में आपत्ति की गयी और उन रीएप्रोप्रियेशंस के विषय में आपत्ति की गई जहां रीएप्रोप्रियेशन करके जो कर्जे थे उन्हें अदा करने में धन दे दिया। अगर कर्जा अदा करना हो और कर्जा भारी लदा हुआ हो और अगर हमारी कहीं बचत हो गई है उस बजट के रुपये को रीएप्रोप्रियेट करने का अधिकार हम रखते हैं तो उस कर्जे के रिपेमेंट में रीएप्रोप्रियेट करने में कोई आलोचना की बात नहीं है। उसके बाद सदन की स्वीकृति प्राप्त कर लो। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि सदन का उसे रीएप्रोप्रियेट करने में कोई नियंत्रण नहीं रहा। भले ही में आये लेकिन सदन की स्वीकृति उस विषय में लेनी पड़ती है। जब हम सप्लीमेंटरी ले कर सदन की स्वीकृति चाहते हैं तो उनमें हम अपनी गाथा को सदन के सामने रखते हैं और सदन की स्वीकृति लेते हैं।

मैंने जैसा कहा कि मैं तो इस पद्धति का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं जैसे तिवारी जी हैं लेकिन इस विषय में वह मुझे कुछ लिख कर देंगे तो मैं अवश्य वित्त विभाग से और अपने अधिकारियों से बातचीत करके इस कमेटी भी नियुक्त करने पर विचार करूंगा जिस दिशा में उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आज तो मैं उस संबंध में अधिक नहीं कह सकता। कमेटियां बनाते हैं, बहुत सी सिफारिशें आती हैं और बहुत सी सिफारिशों पर अमल नहीं होता। माना जाय एक कमेटी बन जाय और व्यावहारिक ढंग से जब तमाम सिफारिशों पर विचार करने के लिये

हम बैठें और अमल न कर सकें तो वह एक अव्यावहारिक कदम होता है। लेकिन जिस तरफ उन्होंने सुझाव देने की चेष्टा की है सहानुभूतिपूर्वक हम उस पर विचार करेंगे।

हमारी इकोनामी के बारे में कई बातें कही गयीं। मैंने निवेदन किया है कि इकोनामी की तरफ हमने कदम उठाया है और वह कोई आखिरी कदम हमारा नहीं है। यह भी हमारे लिये संभव नहीं है कि हमारे दिमाग में एक बात आये कि अमुक चीज न रखी जाय और विचार करने के उपरान्त उसमें दिक्कत व अड़चनें मालूम हों तो वह इकोनामी एक सही प्रकार की इकोनामी नहीं होगी। आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे रिफार्म्स करने को तैयार नहीं जिससे हमारे सामने बेकार आदमियों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाय। बहुत सी जगहों पर जो बहुत से काम हमने लोगों को बांटे हैं उनमें डुप्लिकेशन है। हमारी तमाम सर्विसेज के बीच में और उनके कार्य करने के बीच में रेशनेलाइजेशन की आवश्यकता है। मिसाल के लिये कहा गया कि हरिजन आफिसर, वेलफेयर आफिसर, प्रोबेशन आफिसर और सप्लाई अफसर सभी मौजूद हैं जिले के स्तर पर। गांव के स्तर पर भी एक फौज सरकारी अफसरों की बन गई है। जब मैं आया और सार्वजनिक जीवन का जो तजुर्बा था अधिकारियों के सामने उसे रखा और उन पर विचार कर उन्होंने अपने सुझाव भी हमारे सामने रखे हैं लेकिन सुझावों को विभागीय अधिकारियों के मनवाना कोई आसान बात नहीं है। मैं मिसाल के लिये कहता हूं, किसी की आलोचना नहीं करता, मान लीजिये हमने सोचा कि इंडस्ट्रीज आफिसर तथा सप्लाई आफिसर के ओहदे को मिला दें। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के विषय में सिविल सप्लाई कमिश्नर से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि बिना इसके काम नहीं चल सकता और इंडस्ट्रीज सेक्रेट्री तथा इंडस्ट्रीज डायरेक्टर ने कहा कि बिना इंडस्ट्रीज आफिसर के उनका काम नहीं चल सकता और इस को तोड़ देने से वह महकमा खत्म हो जायगा। तो इन तमाम विचारधाराओं के संतुलन करने में समय लगेगा और राजी कर के सर्विसेज का तमाम रेशनाइजेशन करना एक काफी कठिन सा कार्य है और आज यह कार्य करना है क्योंकि काफी धन हम बहुत सी नौकरियों में व्यय करते हैं जहां काम करने वालों के पास उतने घंटों का काम नहीं है जितने घंटों का काम एक आम आदमी को जो कि नौकरी करता है मिलना चाहिये। लेकिन यह सारा कार्य महीने, दो महीने के अन्दर होने वाला नहीं है। बहुत से एकोनामी के प्रोपोजल्स सरकार के सामने हैं, वह उन पर विचार कर रही है और सबको राजी करके, एक संतुलित ढंग से एकानोमी करके ही वह आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर यह आशा की जाय कि महीने, दो महीने के अन्दर हम सारी एकोनामी कर के दिखा दें तो यह संभव नहीं है। जब शुरू में बहुत सी बातें हमने चलायीं, तो जैसा होता है और स्वाभाविक भी है, कि ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका यह होता है कि पहले वह तमाम चीजों को रेजिस्ट करती है, उनको मानती नहीं है और धीरे धीरे उसको मनवाने का हमें कार्य करना पड़ता है और डेमोक्रेसी में अगर ऐसा नहीं होता है और यह होता है कि आये और एकदम से हुक्म दे दिया कि यह तो कल से होना ही है तो मैं समझता हूं कि वह तरीका गलत है। लोगों को राजी करके और अपने विचारों के अनुकूल करके हम अपने कार्य को आगे चला सकते हैं।

एक बात यह कही गयी कि खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर की। मैं इस बात को मानता नहीं हूं। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि खाई तो उत्तरोत्तर घटती जा रही है। यह और बात है कि उतनी तेजी से नहीं घटी है लेकिन आज एक आम आदमी में और बड़े आदमी में उतनी खाई नहीं रह गई है। क्या आज राजा श्रीपालसिंह साहब और माननीय तिवारी जी में जो पहले खाई थी वही है? वह तो खत्म हो गई और खत्म होती जा रही है।

बार बार कहा गया कि हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ रही है। इसको मैं मानता हूं कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे साधन और पैदावार उतनी नहीं बढ़ रही है। तो पर कैपिटा इन्कम तो नहीं बढ़ी है लेकिन अगर व्यावहारिक रूप में हम अपनी दृष्टि चारों तरफ डालें तो हमें परिवर्तन दिखाई देगा। जो बहुत बड़े रईस थे, जो बात तक नहीं करते थे और पलंग पर ही अपना सारा वक्त खराब करते थे आज वे भी चलते फिरते दिखाई देते हैं। उनके महल

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और रथ सब हमारी नजरों के सामने विलीन हो गये। तो यह सत्य नहीं है कि आज खाई मिट नहीं रही है। हमारी सारी कोशिशें उस खाई को मिटाने की तरफ लगी हुई हैं और यह योजना उस ओर एक कदम है। लेकिन केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना से वह खाई पटने वाली नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आयेगी, उसके बाद पंचम पंचवर्षीय योजना आयेगी और पंचम योजना में जाकर कहीं हम गांवों को बिजली और रोजगार दे सकेंगे और जहां बहुत से लोग खेती में लगे हुये हैं, जिन्हें भर पेट खेती से गल्ला नहीं मिल रहा है, कदाचित् उन्हें हम अधिक साधन दे सकेंगे और तब उनके बीच में कुछ व्यवस्था को ला सकेंगे जिसको लाकर हम समाजवादी व्यवस्था को वास्तविक रूप में अपने प्रदेश और देश में कायम कर सकेंगे। हमारे सारे कार्य उस ओर जाने के हैं। डेमोक्रेसी में कोई भी कार्य जो हम करें उसके करने में देर लगती है क्योंकि पहले तो आप ही के सामने आना पड़ता है फिर अधिकारियों के बीच में जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और फिर आम जनता के बीच में जाना पड़ता है। इसलिये यह कोई आसान कार्य नहीं है। मेरा नम्र विवेदन है कि जिस ओर हम चल रहे हैं अगर हमें सदन का सहयोग मिलता रहेगा और बराबर उन भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता रहेगा जिसके प्रतीक बन कर हम सेवा का कार्य करना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ सकेंगे और उन अभिलाषाओं को पूरा कर सकेंगे जिनको हम और आप इस सदन में और सदन के बाहर पूरी होते हुए देखना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो विधेयक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसको आप विचार करने के बाद स्वीकृति प्रदान करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मान्यवर, इससे पहले कि आज जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में एकाध बात कहूं, मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने एक सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि आजकल यह कहा जाता है कि कम्युनिस्टों का राष्ट्र विरोधी प्रचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो राष्ट्र भक्त या राष्ट्र प्रेमी हैं, उसको कम्युनिस्टों का राष्ट्र विरोधी प्रचार दिखाई देता है और सुनाई देता है। मैं इससे सहमत हूं और मैं इस बात को सबित करने के लिये तैयार हूं कि आजकल कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्र विरोधी प्रचार बड़े जोरों से हमारे देश में हो रहा है। हमारी सरकार तो उदासीन है और उस पार्टी की सरकार है जिसके केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन के पहाड़ों से उतर आने के बाद वह चीन का मुकाबला करेंगे। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि इसकी जांच कराई जाय और मैं इसका सबूत देने के लिये तेयार हूं।

मान्यवर, इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं क माननीय मुख्य मंत्री जी का जो भाषण हुआ उसमें एक बात की ओर मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इकोनोमी के स्टेप्स उठाये हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि उसमें नौकरशाही के राजी करने की बात होती है। मैं, श्रीमन, इसको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यह मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं है बल्कि एक नायक अपनी नायिका से संबंधित अपनी मजबूरियां बयान कर रहा है। यह मुहब्बत करने वाले की बात है कि वह राजी नहीं है तो हम कैसे नजदीक जांय।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि किसी देश का प्रशासन ऐसे नहीं चला करता है। सरकार को तो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ेगा, साथ ही मजबूती से अलग करना होगा और उसी के अनुसार देश का शासन चल सकता है। लेकिन कहा जाता है कि वह राजी नहीं होते और उधर से एतराज हो जाता है, इकरार नहीं होता, इन्कार हो जाता है। इस तरह से देश का प्रशासन नहीं चला करता है। यह न तो कोई मुहब्बत का काम है और न कोई दुकानदारी है, यह तो प्रदेश के शासन चलाने का काम है।

मान्यवर, इसके बाद मैं एक बात और सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक पर आज जब हम अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिये जा रहे हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है।

इसलिये कि एक तरफ तो हमारी सरकार इकोनोमी की बात करती है और दूसरी ओर बजट के पेश करने का तरीका यह है जैसे कि एक लम्पसम प्रावीजन होता है, एक सौ रुपये ले लिये। लेकिन कितना खर्च होगा इसका किसी को पता नहीं है। सिर्फ सरकार को मालूम है। जो अनुदान पेश किये जाते हैं उनके एस्टीमेट्स तक तैयार नहीं होते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। हाउस में जब यह आयें तो इनके एस्टीमेट हाउस में आने के पहले बन जाने चाहिये।

मान्यवर, उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था और शायद मंत्री जी ने भी स्वीकार किया होगा, आप के जिले की बात है कि माता टीला बांध के बनाने के संबंध में प्रारम्भ में चार करोड़ का एस्टीमेट था जो बाद को ७.९ करोड़ का हो गया और इसके बाद आगे चलकर यह ११·९ करोड़ का हो गया है। मैं पी०ए०सी० कमेटी में वहां गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह बनकर तैयार होगा यानी जब यह पूरी शक्ल में होगा यानी जितनी नहरें और चैनल्स बनने को थीं वे सब तैयार हो जायेंगी तो इसमें १५ करोड़ रुपये से अधिक लगने वाला है। जब कभी ऐसी बात आती है तो मुझे रिहन्द बांध की बात याद आ जाती है। सरकार ने एस्टीमेट बनाया था। बाद को उसमें से ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण निकाल दिया गया जिससे ग्रिड नहीं बन सके। इसलिये जो हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों के किसान बिजली लेना चाहते थे वह बिड़ला जी से तिगुनी कीमत पर ले रहे हैं। बार-बार कहा गया है और मैं आज भी इसको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बिड़ला जी को बिजली गलत तरीके से बेची है और जिस भाव उनको बिजली दी गई है उससे हमारी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है।

मान्यवर, यह बहुत पुरानी बात है। टगों की रिपोर्ट आ चुकी है। उससे मालूम होता है कि किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय किया जाता है। ३७ आई० ए० एस० आफिसर्स को नई पोस्ट्स बनाकर रखा गया और उसके लिये कहते हैं कि विधान सभा की सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं नहीं जानता कि इसके बाद और लोगों को रखा गया है या नहीं। लेकिन एक बड़ी भारी चीज सरकार के पास है, वह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की पोस्ट बढ़ाती चली जाती है। इस तरह से सदन के सामने बजट लाते समय जिन भावनाओं को व्यक्त किया जाता है उनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है। जिस अनुदान के लिये रुपया मांगा जाता है उसके संबंध में पूरे एस्टीमेट तैयार नहीं होते हैं। इनके एस्टीमेटिंग और बजटिंग का तरीका गलत है।

मान्यवर, आज सरकार ने किसी तबके को टैक्स करने की जरूरत नहीं समझी बल्कि किसान पर टैक्स का भार बढ़ाना उचित समझा। मैं इस बात को मानता हूं कि जब संसार के किसी देश में प्लानिंग हुई है तो जनता के ऊपर टैक्स का भार पड़ा है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी और न्याय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में किसान सबसे सम्पन्न और समर्थ हैं जिन पर, इर्रीगेशन का रिबेट वापस करके, एक तरह से टैक्स लगा दिया है। श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में शारदा और दूसरी कैनालें जब अंग्रेजो ने बनाईं तो अंग्रेजों ने पहले एक दो सालों तक पानी का किराय नहीं लिया था और सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन की यह रेकमेंडेशन है कि जब नयी नहर बनाई जाय तो पहले कुछ साल कुछ न लिया जाय, दूसरे साल और तीसरे साल में उसका कुछ हिस्सा लिया जाय और चौथे साल के बाद पूरा रेट लिया जाय। लेकिन इस सरकार ने जो नई नहरें बनाई हैं उनमें पूरा पानी भी नहीं दे पाती और तीन आने का रिबेट वापस करके बढ़ा हुआ पैसा लेने के लिये यह सरकार तैयार है।

रिएप्रोप्रियेशन की प्रणाली में आपको मालूम है कि उसका किस प्रकार दुरुपयोग होता है। कहीं पैसा एक्सेस हो जाता है और कहीं कम हो जाता है। अगर कम हो गया तो रुपया सप्लीमेंटरी बजट से मांग लेते हैं। मान लीजिये कि दस लाख मांग लिया। उसी साल के अन्त में उस मुहकमें में ११ लाख रिएप्रोप्रियेट करके दूसरे मुहकमें में चला गया। इसका कारण यह है कि सरकार के दिमाग में नियोजन का सारा नक्शा स्पष्ट नहीं है। हैफजर्ड वे में जो मन में आया कर दिया जैसे मुगल दरबारों में हुआ करता था। दरबार में एक आदमी आया और

[श्री गौरीशंकर राय]

उसने कह दिया कि जहांपनाह यह बनाना चाहिये, आपका इकबाल बुलन्द होगा। दूसरे दिन जहांपनाह ने वजीर से कहा---वजीर निकालो रुपया और बना दो।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे काम को बड़ा हल्का कर दिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

एक बात यादव जी ने उठाई कि गृह मंत्री ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है, उसके विरोध में उन्होंने अपना आक्षेप लगाई कि यह जो चार्ज है यह निराधार है। अगर निराधार है तो आप साफ दिल के साथ कहिये कि चीन वालों ने ज्यादती और जबरदस्ती की और हिन्दुस्तान पर कब्जा किया। अगर साफ ऐसा कहिये तो हम अपने सारे चार्जेज वापस ले लें। आप कहते भी नहीं हैं और गोलमाल भी करते हैं। हमारे पास जो इत्तलात आती हैं उनके आधार पर गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो साफ दिल के साथ कहिये कि हिन्दुस्तान का जो स्टैंड है वह बिलकुल ठीक है। आप कहेंगे भी नहीं और जब हम चार्ज लगाते हैं तो नाराज भी होते हैं। दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

ऐप्रोप्रियेशन वगैरह के संबंध में हमारे मुख्य मंत्री जी ने सभी बातें कह दी हैं। इसके लिये कुछ और नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ (The U. P. Appropriation Bill, 1961) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १--३ और अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१

३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६१--६२ के लिये ३,१८,२२,३९,३०० रु० का दिया जाना

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

२---ऐसे विनिधि परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६१ (उ० प्र० अधिनियम संख्या १२, १९६१) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] ३,१८,२२,३९,३०० रुपये (तीन अरब, अठारह करोड़, बाईस लाख, उन्तालीस हजार, तीन सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग । ३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्होंने सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		०	०	रु०
१	वृहत् जोत-कर ..	३,२८,१००	१,०००	३,२९,१००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी) ..	६,९४,३९,५००	१५,५००	६,९४,५५,०००
३	राज्य आबकारी ..	८९,१४,३००	२,०००	८९,१६,३००
४	स्टाम्प	८,७५,२००	१,०००	८,७६,२००
५	वन	३,०३,८४,७००	१,०००	३,०३, ८५,७००
६	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) ..	१९,३७,४००	२००	१९,३७,६००
*७	मोटर गाड़ी अधिनियम ..	..	..	..
८	बिक्री-कर ..	४६,१६,५००	५,०००	४६,२१,५००
९	अन्य कर और शुल्क ..	८,३१,७००	२,०००	८,३३,७००
१०	राजस्व से पूरे किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१२,५९,१०,१००	२,०००	१२,५९,१२,१००
११	सिंचाई अधिष्ठान ..	५,४९,०४,२००	४,०००	५,४९,०८,२००
१२	अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें ..	७१,८३,३००	..	७१,८३,३००
१३	सामान्य प्रशासन ..	३,१८,६७,१००	१३,६५,५००	३,३२,३२,६००
१४	आयुक्त और जिला प्रशासन	६,४२,४९,५००	५,०००	६,४२,५४,५००
१५	गांव सभायें और पंचायतें	१,३१,१९,८००	१,०००	१,३१,२०,८००
१६	न्याय प्रशासन ..	१,५७,८४,२००	२९,७५,२००	१,८७,५९,४००
१७	कारागार (जेल) ..	१,८५,०२,१००	२,०००	१,८५,०४,१००
१८	पुलिस ..	१०,५१,७२,२००	५,०००	१०,५१,७७,२००
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप ..	२३,५२,०००	३००	२३,५२,३००
२०	शिक्षा ..	२१,१२,०५,२००	१,०००	२१,१२,०६,२००

*व्यय के पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार वर्ष १९६१–६२ के लिये धन की व्यवस्था अनुदान संख्या ३० के अन्तर्गत की गई है ।

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२१	चिकित्सा ..	५,२८,६३,८००	३,०००	५,२८,६६,८००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	४,४८,१६,७००	७००	४,४८,१७,४००
२३	कृषि संबंधी विकास ..	५,२१,३०,१००	७१,३००	५,२३,०१,४००
२४	उपनिवेशन ..	१२,२१,९००	१,०००	१२,२२,९००
२५	पशुपालन ..	२,४७,९८,८००	२,०००	२,४८,००,८००
२६	विद्युत् योजनायें अधिष्ठान	२,०५,४४,९००	२,५००	२,०५,४७,४००
२७	सहकारिता ..	२,१७,३१,७००	२,०००	२,१७,३३,७००
२८	उद्योग ..	७,३१,३८,२००	२,०००	७,३१,४०,२००
२९	श्रम और सेवायोजन ..	१,५७,०७,२००	३,०००	१,५७,१०,२००
३०	परिवहन ..	१७,७६,३९,०००	८१,०००	१७,७७,२०,०००
३१	सूचना निदेशालय ..	४४,३३,९००	१,०००	४४,३४,९००
३२	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	७६,९७,४००	६२,०००	७७,६०,४००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	६,१३,९६,३००	३,५७,६००	६,१७,५३,९००
३४	संचार साधनों का सुधार ..	६७,०४,९००	..	६७,०४,९००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	१,०८,४८,८००	१००	१,०८,४८,९००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid of Public Works)	१,०८,७२,८००	..	१,०८,७२,८००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	३४,९६,८००	३५,०१,०००	६९,९७,८००
३८	राजनीतिक निवृत्ति-वेतन (पेंशनें) तथा भत्ते ..	२०,५५,०००	..	२०,५५,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते (Super-annuation allowances) तथा निवृत्ति-वेतन (पेंशनें)	२,२१,६८,६००	१३,००,७००	२,३४,६९,३००
४०	लेखन-सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing)	१,७७,२३,५००	१,०००	१,७७,२४,५००
४१	प्रकीर्ण व्यय ..	५,९१,४८,०००	७,१००	५,९१,५५,१००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	२,०६,३८,८००	३००	२,०६,३९,१००
४३	समाज कल्याण ..	५५,१९,९००	५००	५५,२०,४००
४४	योजना और एकीकरण (Planning and Co-ordination)	१०,३९,२७,०००	२,०००	१०,३९,२९,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	१३,४१,७४,८००		१३,४१,७४,८००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार (avoidance) ..	४४,९०,३१,४००		४४,९०,३१,४००
४५	बनों पर पूंजीगत लागत ..	११,६०,२००	..	११,६०,२००
४६	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	१३,४८,०७,८००	..	१३,४८,०७,८००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१२,१०,३७,४००	२,०००	१२,१०,३९,४००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	७,७९,३४,४००	५,०००	७,७९,३९,४००
४९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (public Works) पर पूंजीगत लागत ..	१३,८६,७९,९००	२५,०००	१३,८७,०४,९००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	७,०४,६१,०००	..	७,०४,६१,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	६,२२,७०,९००	३,००,०००	६,२५,७०,९००
५२	पेंशनों की संराशि (Commuted Value of Pensions)	७,२६,०००	२५,०००	७,५१,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें	१८,४९,५१,०००	५००	१८,४९,५१,५००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances bearing Interest) ..	२०,७९,५४,७००	..	२०,७९,५४,७००
	योग ..	२,५८,८८,८४,१००	५९,३३,५५,२००	३,१८,२२,३९,३००

*प्रभूत विनियोग

श्री अध्यक्ष---खंडों में कोई संशोधन नहीं है, इसलिये मैं खंडों को एक साथ ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ [The U. P. Appropriation Bill, 1961] पारित किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्री अध्यक्ष महोदय, आज यह हमारे सामने विनियोग विधेयक बिल उपस्थित है । उसमें मूलतः मैं यह बात देख रहा हूं कि यह डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ ले जाने वाला है और परिणाम यह होने वाला है कि वस्तुओं के मूल्य में दिन प्रति दिन वृद्धि होती जायगी । यद्यपि मैं उसके विपरीत कह रहा हूं, जो आपने शायद किसी समय बताया था कि इस इनफ्लेशन से शायद यह हानि होने वाली नहीं है ।

लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इनफ्लेशन से हानि देश को होगी और सबसे बड़ी हानि इस बारे में होगी कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जायेंगे । आज जितने भी प्रदेश के विभिन्न भागों से यहां आने वाले लोग हैं वह इस बात को जानते हैं कि यह मूल्य किस प्रकार से बढ़ते जाते हैं और खाद्य पदार्थों के मूल्यों के साथ अन्य निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में बड़ा अन्तर हो रहा है । इस कारण इस प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों को और किसानों को बड़ी हानि हो रही है । उनकी आर्थिक अवस्था बिगड़ती जा रही है । सरकारी आंकड़ों के द्वारा भी यह सिद्ध है कि देहात के हिस्सों में औसत आमदनी घटती जाती है । यह जो विधेयक के आंकड़े हैं उन्हें हम देखें तो १३१ करोड़ ६३ लाख रुपये की आमदनी और १२६ करोड़ ७२ लाख रुपये का व्यय है, यानी ४ करोड़ ९१ लाख की बचत दिखायी गई । लेकिन वह ५ करोड़ की आमदनी इस रूप में घाटे में परिणत हो रही है कि जो केन्द्र से १८ करोड़ हमको मिल रहा है नियोजन के कार्य के लिये उसमें २७ करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं । मैं यह चाहूंगा कि इन योजनाओं के कारण, जो निरर्थक रूप में हमें दिखाई पड़ रही है हम घाटे में न आयें और इन सभी कारणों से मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं । यह हमारे देश में मूल्यों को और इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है और मूल्यों में दृढ़ता नहीं आने देता है । इसलिये हम इसके पारित करने का विरोध करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ [The U. P. Appropriation Bill, 1961] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई, इस बीच निम्न कार्यवाही हुई---)

श्री अध्यक्ष---अब हम ५ बजकर ५ मिनट तक बैठेंगे या जब यह पारा हो जाय तब तक बैठेंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मुझ शेर को मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मैं बताता । यह टिप टिप क्या होता रहता है, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता और आपको भी ऐसी आदत पड़ गई है, ये जो दिल्लगी किया करते हैं, इन्हीं लोगों को आप खड़ा कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप ऐसा कीजिये कि अभी कई लोग यहां इस सदन में ऐसे मौजूद हैं, जो बिलकुल स्वतंत्र है उनकी एक पार्टी बना लीजिये और उनके नेता बन जाइए ।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं तो, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का नेता हूं ।

(घंटी बंद होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ [The U. P. Appropriation Bill, 1961] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१५१,

विपक्ष में—९ ।)

सदन के भावी कार्यक्रम के विषय में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन के भावी कार्य-क्रम के बारे में सूचना देना चाहता हूं । मुझ माननीय मुख्य मंत्री ने सूचना दी है कि यह सदन १२ मई तक बैठेगा। इसी के साथ एक यह भी चीज है कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और मंत्रियों को परामर्शदात्री समितियों के बारे में माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने यह कहा था कि ४ तारीख को चुनाव न रखा जाय, उस दिन कई शादियां नियत हैं। मैंने उस पर कहा था कि बाद में सोचा जायगा। इसके सम्बन्ध में मुख्य सचेतक श्री शान्तिप्रपन्न जी ने कहा कि इनकी चुनाव की तारीख भी बढ़ा दी जाय और वापसी की तारीख भी बढ़ा दी जाय। उससे लोगों को समय मिल जायगा। इसलिये ९ मई, १९६१ तक समय बढ़ा दिया गया है नाम वापस लेने का और १२ मई को उनका चुनाव होगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२७ अप्रैल, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

माननीय श्री मोहनलाल जी गौतम,
कृषि एवं सहकारिता मंत्री,
उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ ।

महोदय,

गोरखपुर की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तीन वर्षों से लगातार आप से कहता और लिखता आ रहा हूं। स्थिति सुधरने के बजाय बदतर होती जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि कोई हल इसका निकल ही नहीं सकता।

रजिस्ट्रार साहब से मैंने ८ तारीख को इस बारे में बात करनी चाही। उन्होंने सुनने से भी इनकार कर दिया और कहा कि श्री एस० बी० सरन से बात की जाय। श्री सरन साहब से भी शुरू से ही इस मामले में कहता आ रहा हूं। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर बैंक और समितियों को चौपट क्यों किया जा रहा है।

कोआपरेटिव बैंक का एक आर्बिट्रेशन (arbitration) ९ माह पहले दाखिल हुआ। पहला फैसला २२-३-६० को A. R. Basti ने करके बैंक के १० डाइरेक्टरों को निकालने का आदेश दिया। अपील में A. R. Gorakhpur ने भी उस फैसले को बहाल रखा। नियमतः बोर्ड को भंग हो जाना चाहिये था। मगर श्री सरन साहब के यहां अंतिम अपील चार माह से पड़ी है। कोई stay order भी उन्होंने जारी नहीं किया और M.D. तथा बोर्ड को वैसे ही काम करने दे रहे हैं। उसमें तारीखें पड़ती हैं और लखनऊ से ही बिना सुनवाई के फिर तारीखें पड़ जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि लखनऊ में ही सुनवाई करके उसका फैसला कर दें मगर ऐसा भी सम्भव नहीं हो सका। २६-९-६० को तारीख थी। उसमें अब till further orders की सूचना देकर पोस्टपोन (postpone) कर दिया गया। Arbitration जल्दी निर्णय करने के लिये होता है मगर कोआपरेटिव के अधिकारियों की मर्जी पर है कि वे उसे अदालती कार्यवाही से भी अधिक खर्चीली कर दें या विलम्ब से फैसला देकर उसके तात्पर्य को ही नष्ट कर दें।

गोरखपुर के बैंक, फेडरेशन, समितियों के बारे में आप को जानकारी हो चुकी होगी। District Magistrate, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Co-operative Inspector, Auditor ने अपने अपने स्तर पर भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में लिखा और आदेश दिया R. B. I. K. Inspecting officers ने यहां तक कहा और वह भी कलेक्टर और सभी डाइरक्टरों से कि गोरखपुर बैंक के लोगों ने उनके पिछले Inspection note के compliance में dube करने का प्रयास किया है और स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। तीन-तीन साल से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं दिया गया। बैंक के M. D. और मैनेजर ने हिसाब ही गलत बना कर १९५८-५९ का पेश कर दिया था। दोबारा जब बनवाया गया तो ५०,००० लाभ में घट गया श्री सरन साहब के सामने सभी बातें लाई जा चुकी हैं मगर कोई लाभ नहीं।

आप जब बाहर गये थे, स्थिति गंभीर देख कर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा और उनसे मिल कर सभी बातों को स्पष्ट किया। मगर उससे भी कोई हल नहीं निकल सका। श्री ए० पी० वर्मा, श्री अक्षयवर, सिंह M. L. A., श्री द्वारिका पाण्डे, M. L. A., श्री गणेश पाण्डे, M. L. A. एवं श्री गौरी राम गुप्ता M. L. A. व उनके सम्बन्धी विभूतीराम जी आदि के रहने से बैंक और फेडरेशन आदि की गड़बड़ी की जांच न होकर तुरन्त कार्यवाही न हो सके न तो भगवान ही ऐसी सहकारिता को बचा सकता है। शेयर

होल्डर्स और समितियों का विश्वास खोकर बैंक पनप नहीं सकता। श्री ए० पी० वर्मा के खिलाफ ४५,००० रु० की वसूली एक D. B. Consumers stores के बकाये के बारें में है। उससे कोई कार्यवाही नहीं होती बैंक, के बोर्ड और Collector ने गलत तरीके से लिये गये २,५०० रु० की वापसी के लिये श्री ए० पी० वर्मा M. D.को आदेश दिया मगर यह भी नहीं जमा किया गया। बैंक के मैनेजर से ५५० रु० वापस लेने का आदेश कलेक्टर ने दिया वह भी रुपया वसूल नहीं किया गया। श्री ए० पी० वर्मा मनमानी तौर से बैंक का रुपया बरबाद कर रहे हैं। निजी घर के trunk calls का लगभग १,००० रु० बैंक से श्री वर्मा ने अभी गतवर्ष के ही हिसाब में दिया है। litigations से लगभग २,५०० रु० खर्च किया और अब भी करते जा रहे हैं। फर्जी व अनावश्यक overdue में ३,५०० रु० के करीब खर्च किया। A. G. M. के नाम से ३,३०० रु० के करीब गत वर्ष खर्च किया जब कि साधारणतः एक हजार खर्च होता रहा है। जीप की मरम्मत व तेल आदि का खर्चा तो बेहिसाब हैं। लागबुक फर्जी भरी जाती है। अनावश्यक तौर से २५० रु० का तेल हर माह फूंका जाता है, आदि-आदि।

यह सब मामले तो थे ही, अभी १०-१५ दिन पहले बिना बोर्ड की मंजूरी के ३,५०० रु० R. C. S. का चंदा मकान निर्माण के सिलसिले में दे दिया। यह शायद R. C. S.के लिये दिया गया। मगर उन्हें देने का कानूनी अधिकार कहां था? वह भी अब उनका case R. C. S. के यहां pending हो और दो-दो जिम्मेदार अदालतों से उनकी authority समाप्त कर दी गयी हो उस हालत में यह इस प्रकार का contribution देना जायज था। जब कि तीन साल से कोई dividend न दिया गया हो तो क्या यह रकम देना जायज कहा जा सकता है R. C. S. को तो ऐसी हालत में यह contribution होना ही नहीं चाहिये। पर उसके देने के पीछे एक राज था। श्री वर्मा ने ४५,००० रु० की पूंजी को स्थगित करने सम्बन्धी एक दरख्वास्त भी उसी के साथ R. C. S. को दिया। सुना है कि श्री वर्मा को इससे कुछ राहत मिल गयी और R. C. S. साहब ने कुछ मदद कर दी या मदद करने का आश्वासन दे दिया। हमें डर है कि जो arbitration case में वर्मा ने R. C. S. के यहां अपील दाखिल की है उसको भी किसी न किसी प्रकार प्रमाणित करने के लिये यह R. C. S. का चंदा रजिस्ट्रार साहब को इतनी जल्दी बिना बोर्ड की मंजूरी के दे दिया है।

आप के शासन में सहकारिता से भ्रष्टाचार को दूर करने की आशा हमें थी मगर तीन साल से जो मैं देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं उससे यही मालूम होता है कि हम लोगों का सारा प्रयास केवल अरण्य क्रन्दन है, कुछ हो नहीं सकता।

मजबूर होकर पुनः आप को यह पत्र लिख रहा हूं। आप आजकल दूसरे कामों में व्यस्त होंगे ही। उस दिन आप से मिल कर मैंने इस बारे में कुछ चर्चा की। क्या आशा करूं कि आप इस बारे में स्वयं कोई कार्यवाही करेंगे? विभागीय अधिकारियों के ढंग से हमें कोई सुधार की आशा नहीं।

कष्ट के लिये क्षमा करें।

भवदीय,

२६-९-६०।

ह० पारसनाथ राय,
हलचल साहित्य मंदिर
बख्शीपुर, गोरखपुर।

कृत-कार्यवाही की रिपोर्ट

शिकायती पत्र में मुख्यतः गोरखपुर जिले के सहकारी बैंक, फेडरेशन तथा कन्ज्यूमर्स स्टोर में अनियमितताओं तथा-धन से दुरुपयोग का जिक्र है।

बैंक से सम्बन्धित मामलों पर जांच की गई, जिसके फलस्वरूप श्री ए० पी० वर्मा प्रबन्ध संचालक से कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की धारा ४४-ए तथा नियम ३१ के अन्तर्गत आरोपों का जवाब मांगा गया है।

फेडरेशन का संचालक मंडल पहिले ही से निलम्बित किया जा चुका था और जिलाधीश फेडरेशन के प्रबन्धक नियुक्त किये गये थे।

डी० बी० कन्ज्यूमर्स स्टोर के लिक्वीडेटर द्वारा जो रकम श्री ए० पी० वर्मा से वसूली के लिये निर्धारित की गई है, उस मामले में श्री वर्मा ने नियमानुसार अपील की थी। अपील पर निर्णय होने तक उनसे वसूली रोकने का आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार, गोरखपुर ने दिया है :

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४७ पर)

देवरिया जनपद के प्रति तहसील में १ मई, १९६० को तकाबी देय का बकाया तथा १ मई, १९६० से ३० जून, १९६० तक की वसूली का विवरण ।

नाम तहसील			बकाया	वसूली
			रु०	रु०
पडरौना	..	..	९,९६,८१२	७५,६९९
हाटा	..	..	६,४२,६४०	१,७८,७६४
देवरिया	..	..	९,६२,६२२	२,०८,८९९
सलेमपुर	..	..	६,९३,५८३	१,६३,९६६
	योग	..	३२,९५,६५७	६,२७,३२८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या ३०७० बी/तीन---४४ जी--१९६०

लखनऊ, दिनांक १५ नवम्बर, १९६०

विज्ञप्ति

विविध

निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५५ (१९५५ का ऐक्ट संख्या ३७) द्वारा संशोधित निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, १८८१ (१८८१ का ऐक्ट संख्या २६) की धारा २५ द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की तारीख ८ जून, १९५७, की विज्ञप्ति संख्या २०/२५--५६-प ब-१, के अनुसार राज्य की सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियां सन् १९६१ ई० अथवा १८८२--८३ शक संवत् के वर्ष में समस्त उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टियां होंगी

सन् १९६१ ई० अथवा १८८२--८३ शक संवत् की छुट्टियों की अनुसूची

छुट्टियों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगोरियन कलेंडर के अनुसार तिथि	भारतीय कलेंडर के अनुसार तिथि	सप्ताह के दिन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
गणराज्य दिवस	१	२६ जनवरी	माघ ६	गुरुवार	
शिव रात्रि	१	१३ फरवरी	माघ २४	सोमवार	
होली	२	२ व ३ मार्च	फाल्गुन ११ व १२	गुरुवार और शुक्रवार	
*ईद-उल-फितर	१	१९ मार्च	फाल्गुन २८	रविवार	
रामनवमी	१	२५ मार्च	चैत्र ४	शनिवार	
*ईद-उज-जुहा	१	२६ मई	ज्येष्ठ ५	शुक्रवार	
*मुहर्रम	१	२४ जून	आषाढ़ ३	शनिवार	

*ईद-उल-फितर, ईद-उज-जुहा, मुहर्रम और बाराबफात की छुट्टियों के सम्बन्ध में जिलाधीश इन छुट्टियों की तारीख यदि आवश्यकता पड़े, तो स्थानीय चन्द्र-दर्शन के अनुसार पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं, परन्तु ऐसा करने में वे स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा से, यदि कोई हो, ऐसा प्रबन्ध कर लेंगे कि बैंक भी उसी दिन छुट्टी करें।

छुट्टियों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगोरियन कलेंडर के अनुसार तिथि	भारतीय कलेंडर के अनुसार तिथि	सप्ताह के दिन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
बैंकों की अर्ध-वार्षिक लेखा-बन्दी	१	३० जून	आषाढ़ ९	शुक्रवार	
स्वतंत्रता दिवस	१	१५ अगस्त	श्रावण २४	मंगलवार	
बाराबफात	१	२५ अगस्त	भाद्र ३	शुक्रवार	
जन्माष्टमी	१	१ सितम्बर	भाद्र १०	शुक्रवार	
महात्मा गांधी का जन्म-दिवस	१	२ अक्तूबर	आश्विन १०	सोमवार	
दशहरा	२	१८ व १९ अक्तूबर	आश्विन २६ व २७	बुधवार व गुरुवार	
दीवाली	२	७ व ८ नवम्बर	कार्तिक १६ व १७	मंगलवार व बुधवार	
कार्तिकी पूर्णिमा (गंगास्नान) / गुरु-नानक का जन्म-दिवस	१	२२ नवम्बर	अग्रहायण १	बुधवार	
क्रिसमस	१	२५ दिसम्बर	पौष ४	सोमवार	
बैंकों की वार्षिक लेखा-बन्दी	१	३० दिसम्बर	पौष ९	शनिवार	

आज्ञा से,

गोविन्द नारायण,

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या ३०७० बी (१)/तीन---४४ जी-१९६०

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, डिवीजनों के आयुक्तों, जिलाधीशों और अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को इस अभ्युक्ति के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति के अधीन राज्य में बैंकों की अर्ध-वार्षिक और वार्षिक-लेखा-बन्दी के उपलक्ष में क्रमशः शुक्रवार, ३० जून या आषाढ़ ९ और शनिवार, ३० दिसम्बर या पौष ९, को जो सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की गई हैं, वह कोषागारों व उप-कोषागारों को छोड़ कर राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन किसी भी कार्यालय और संस्था में छुट्टी के रूप में नहीं मनाई जायेंगी और उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित सूची में दी

गई निर्बन्धित छुट्टियों (restricted holidays) में से किन्हीं भी दो छुट्टियों को जो वह लेना पसन्द करें मनाने की अनुमति दी जायगी ।

१९६१ ई० अथवा १८८२-८३ शक संवत् में होने वाली उन निर्बन्धित छुट्टियों (restricted holidays) की सूची जिनमें से राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक कर्मचारी केवल दो ही छुट्टियां जिन्हें वह चुने, ले सकेगा ।

छुट्टियों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगोरियन कलेंडर के अनुसार तिथि	भारतीय कलेंडर के अनुसार तिथि	सप्ताह के दिन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस	१	..	..	..	गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस इस वर्ष नहीं पड़ेगा । १९६० में यह दो बार पड़ा था ।
सन्त रविदास का जन्म-दिवस	१	३१ जनवरी	माघ ११	मंगलवार	
रमजान का अंतिम शुक्रवार	१	१७ मार्च	फाल्गुन २६	शुक्रवार	
भगवान महावीर का जन्म दिवस	१	३० मार्च,	चैत्र ९	गुरुवार	
गुड फ्राइडे	१	३१ मार्च	चैत्र १०	शुक्रवार	
बैसाखी	१	१३ अप्रैल	चैत्र २३	गुरुवार	
बुद्ध पूर्णिमा	१	३० अप्रैल	बैसाख १०	रविवार	
मुहर्रम	१	२३ जून	आषाढ़ २	शुक्रवार	
चेहल्लुम	१	३ अगस्त	श्रावण १२	गुरुवार	
रक्षाबन्धन	१	२६ अगस्त	भाद्र ४	शनिवार	
दशहरा	१	१७ अक्तूबर	आश्विन २५	मंगलवार	

२—उक्त अनुसूचियों में निर्दिष्ट सार्वजनिक व निर्बन्धित छुट्टियों के अलावा निम्नलिखित सूची में दिये हुये दिन भी कोषागारों व उप-कोषागारों को छोड़ कर ऐसे सभी कार्यालयों और संस्थाओं में छुट्टियों के रूप में मनाये जायंगे:

छुट्टियों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगोरियन कलेंडर के अनुसार तिथि	भारतीय कलेंडर के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
होली	१	४ मार्च	फाल्गुन १३	शनिवार	
दीवाली	१	९ नवम्बर	कार्तिक १८	गुरुवार	

२--यदि आवश्यकता पड़े तो जिलाधीश, रमजान के अन्तिम शुक्रवार, मुहर्रम और चेह्ल्लुम के उपलक्ष में होने वाली निर्बन्धित छुट्टियों (restricted holidays) की तारीख स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं।

३--राजकीय आदेश संख्या ६३४ बी/तीन---१११ (१०)-५७, दिनांक ३१ अक्तूबर, १६५६ द्वारा संशोधित मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा ४४१ की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार जिलाधीशों को इस पैरा में दिये हुये प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियां, जिनकी संख्या तीन से अधिक न हो, घोषित करने का अधिकार है।

संख्या ३०७० बी (२)/तीन---४४ जी-१६६०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः

(१) सचिवालय के समस्त विभाग,

(२) विधान सभा सचिवालय,

(३) विधान परिषद् सचिवालय, और

(४) उत्तर प्रदेश के महालेखापाल।

संख्या ३०७० बी (३)/तीन---४४जी-१६६०

प्रतिलिपि, हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर, इलाहाबाद के रजिस्ट्रार को भी सूचनार्थ और ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे माननीय उच्च न्यायालय आवश्यक समझें।

संख्या ३०७० बी (४)/तीन---४४जी-१६६०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः

(१) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, नई दिल्ली,

(२) सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली-१, और

(३) समस्त राज्य सरकार तथा संघ के राज्य क्षेत्र।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार सहगल,

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर)

जिला सीतापुर में तहसीलवार दी गई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	ऐक्ट १२ के अधीन तकावी की धनराशि	मकान बनाने के लिये अनुदान	अहेतुक सहायता
		रु०	रु०	रु०
१—सीतापुर	..	१,०२,१९५	४७,५०५	२,२४५
२—सिधौली	..	१,०३,४१०	२१,७५५	८०२
३—बिसवां	..	१,३०,०००	३९,०००	२,४६५
४—मिसरिख	..	१,१२,२००	२४,४८५	२,५३३—६८
	योग ..	३,४७,८०५	१,३२,७४५	८,०४५—६८

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर)

Copy of examination of sri Maharaj singh r/o V. sheikhwapur P. S. Mah. mudabad by Deputy Commissioner as desired by S. P. on 30 August 1960.

Q. क्या यह सच है कि तुमने श्री ताराचन्द माहेश्वरी, एम० एल० ए० से कहा था कि महमूदाबाद का दरोगा तुम्हारा मुकदमा छुड़ाने के लिये तुमसे ३,००० रु० मांग रहा था ?

Ans. ताराचन्द को मैंने नहीं कहा मगर यह खबर कि देशराज मेरे लड़के के समधी से दरोगा जी ने ३,००० रु० जब मुझे बंद करा दिया और उनको बैठा दिया शुरू में तब लेकर निकाल दिया। उन दरोगा जी की बदली अब हो गई है।

Q. क्या तुमसे भी रुपया मांगता था ?

Ans. जी हां मुझसे भी ५,००० रु० शुरू में मांगा था फिर ३,००० रु० की मांग किया कि दे दो तो तुम्हें मुकदमें से निकाल दूंगा। हमने नहीं दिया हमने कहा कि निकाल दो तो देंगे। और कुछ नहीं कहा कि किसी और को देना है कि नहीं। हमको हजूर इस झंझट से निकाल दीजिये। हमारा लड़का बंद है। सिपाही बाहिर बैठ है। हमको लेजा जाने कौन दशा करेंगे। हम कप्तान साहेब से इत्ता कहे गये कि सिनाख्त कार्यवाही जल्दी कराय देंय हमका बहुत परेशान किये हैं पुलिस तो हमसे वे पूछ बैठिन ई कहयो तुम और हमका दिया सिपाही के संग पठह दिहिन हैं।

Q. क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमसे दरोगा ने रूपया मांगा ?

Ans. हमसे मांगित रहे तो हमार रिश्तेदार रामरतन सिंह हमार दामाद के भाई रहे। संतोख सिंह ३,००० रु० पहिले दिये फिर २५० रु० उनके बैल भर का छोड़ दिया पर यह कहेंगे नहीं जब तक उनके कसम पे असर न करिहे कोई हाकिम पुछे तो उनका अपन लड़का के बाहें पकड़ के कसम का असर किया जाय तो कहेंगे नहीं तो नहीं।

Q. और कुछ कहना है ?

Ans. बहुत मुसीबत में पड़े हैं धोखे से चल गहन। हमका बचाओ साहेब नहीं बड़ी आफत हुई गई है। सिपाही बैठा है बाहर।

द० महराज सिंह।

Sd/ A. S. Baghd, I.A.S.,
30-8-60

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

उत्तराखन्ड में फरवरी १, १९६० से अब तक खोले गये स्कूलों की संख्या इस प्रकार है

विद्यालय का विवरण		सरकारी या व्यक्तिगत	संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या
डिग्री कालेज	..	सरकारी	कोई नहीं	..	..
इन्टर कालेज	..	सरकारी	२	५५०	३८
हायर सेकेन्डरी स्कूल	..	सरकारी	१	७७	७
जूनियर हाई स्कूल	..	सरकारी	१५	४४२	४८
जूनियर हाई स्कूल	..	व्यक्तिगत	१	४७	२

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

तालिका 'अ'

तालिका 'अ' जिसमें वर्तमान सीजन में गोरखपुर, देवरिया जिले की घुघली, पिपराइच, सिसवा, कप्तानगंज, आनन्दनगर चीनी मिलों ने १५-४-६१ तक कुल जितने मन गन्ने की पेराई की व उसमें जितना सुरक्षित क्षेत्र व जितना बाहरी क्षेत्र का था, उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	१५-४-६१ तक पेरे गये गन्ने की मात्रा: संबंधित मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)		बाहरी क्षेत्र के गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	कुल पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)
१	गोरखपुर	.. घुघली	२९.३७	+	३.१३	३२.५०
२	,,	.. सिसवा	३०.७७	+	..	३०.७७
३	,,	.. पिपराइच	३०.९७	+	१.०७	३२.०४
४	,,	.. आनन्दनगर	३४.७५	+	४.१५	३८.९०
५	देवरिया	.. कप्तानगंज	३०.३७	+	३.६०	३३.९७
	योग ..		१५६.२३	+	११.९५	१६८.१८

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५९ पर)

तालिका 'ब'

तालिका 'ब' जिसमें गोरखपुर व देवरिया जिले की घुघली, सिसवा, पिपराइच, कप्तानगंज तथा आनन्दनगर चीनी मिलों ने १९६०–६१ सीजन के लिये अलग अलग केन यूनियनों से जितना गन्ना पेरने को एग्रीमेंट किया था उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिलों के नाम	यूनियनों के नाम	१९६०–६१ के लिये गन्ना पेरने का एग्रीमेंट जो किया गया (लाख मनों में)
१	गोरखपुर	घुघली	१—घुघली	३९.५०
			२—सिसवा	३.३०
२	,,	सिसवा	सिसवा	३४.००
३	,,	पिपराइच	१—पिपराइच	३८.००
			२—बोदरवार	०.८०
			३—कप्तानगंज	०.३५
४	,,	आनन्दनगर	१—फरेंदा	१३.००
			२—कैम्पियरगंज	१०.००
			३—बृजमनगंज	५.००
			४—मानोराम	०.६०
			५—बढ़नी	१०.६०
५	देवरिया	कप्तानगंज	१—कप्तानगंज	३०.००
			२—बोदरवार	७.५०
			३—दुधई	५.००
			४—सिवराही	२.००
			५—पिपराइच	४.६०
			६—हाटा	०.४०
			७—घुघली	३.००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

तालिका 'स'

तालिका 'स' जिसमें वर्तमान सीजन में गोरखपुर व देवरिया जिले की घुघली, सिसवा पिपराइच, कप्तानगंज तथा आनन्दनगर चीनी मिलों के १५-४-६१ के बाद चालू रहने की अनुमानित अवधि व उनके बन्द होने की अनुमानित तारीखों का विवरण दिया गया है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	१५-४-६१ के बाद चालू रहने की अनुमानित अवधि	बन्द होने की अनुमानित तारीख
१	गोरखपुर	घुघली	५४ दिन	८-६-६१
२	,,	सिसवा	२३ ,,	८-५-६१
३	,,	पिपराइच	३६ ,,	२१-५-६१
४	,,	आनन्दनगर	२६ ,,	११-५-६१
५	देवरिया	कप्तानगंज	६१ ,,	१५-६-६१

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

सूची

(रुपये लाखों में)

विकास मद १९६०-६१

	प्लान सीलिंग	बजट	टिप्पणी
	१	२	३	४
(क) पहाड़ी क्षेत्र			
१—कृषि उत्पादन—			
१—कृषि	७.९७०	१०.९०८	
२—फलोत्पादन	१०.७७०	२.४८३	
३—सिंचाई की लघु योजनायें	१५.५००	१५.५००	
४—वन विभाग	१६.६४०	११.३००	
योग, कृषि	५०.८८०	४०.१९१	
२—कुटीर उद्योग	१२.७२०	१२.३२०	
३—सड़क निर्माण प्रोग्राम	३२.२५०	३२.२५०	
४—पेय जल सम्बन्धी योजनायें	६.५००	४.०००	
५—जल विद्युत् योजनायें	३९.६७२	..	
६—पर्यटन	२.०००	..	
योग, पहाड़ी क्षेत्र	१४४.०२२	९१.२६१	
(ख) पूर्वी जिले			
१—कृषि उत्पादन—			
१—कृषित	६.९१८	पहाड़ी क्षेत्र में कृषि के हेतु धनराशि में सम्मिलित है।	
२—पशुपालन	०.०६३	०.२७३	
३—मत्स्य पालन	१.९००	१.९०५	
४—सिंचाई की लघु योजनायें	४५.०००	४५.०००	
योग, कृषि	५३.८८१	४७.१७८	
२—कुटीर उद्योग	३६.१२०	३६.०१०	
३—सड़क निर्माण कार्यक्रम	२६.६००	२६.६००	
४—ड्रेनेज	१९.५००	१९.५००	
योग, पूर्वी जिला	१३६.१०१	१२९.२९८	

विकास मद	१९६०-६१		
	प्लान सीलिंग	बजट	टिप्पणी
१	२	३	४
(ग) बुन्देलखंड			
१—सिंचाई की लघु योजनायें	३७.५००	३३.५००	
२—कुटीर उद्योग	५.०००	५.०००	
३—सड़कें	१०.५००	१०.५००	
योग, बुन्देलखंड	५३.०००	४९.०००	
(घ) मिर्जापुर			
१—सिंचाई की लघु योजनायें	८.५००	२.५७२	
२—प्रदेश के शेष क्षेत्र हेतु ड्रेनेज योजनायें	१५.००४	१९.००४	
कुल योग	३५६.६२७	२९७.०६३	

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर ।)

रिक्त महिला चिकित्सालयों की सूची

महिला चिकित्सालय	जिला
१--इसलाम नगर	बदायूं
२--दातागंज	बदायूं
३--निघासन	खीरी
४--गोला	खीरी
५--बरहज	देवरिया
६--छितौनी	देवरिया
७--चकिया	वाराणसी
८--ग्यानपुर	वाराणसी
९--नवा नगर रसरा	बलिया
१०--बेरिया	बलिया
११--हमीरपुर	हमीरपुर
१२--महोबा	हमीरपुर
१३--अली गंज	एटा
१४--जलेशर	एटा
१५--कोंच	जालौन
१६--भिंगा	बहराइच
१७--प्यागपुर	बहराइच
१८--ललितपुर	झांसी
१९--मौरानीपुर	झांसी
२०--सिकन्दरा बाद	बुलन्दशहर
२१--देबाई	बुलन्दशहर
२२--टिहरी	टिहरी
२३--भरथना	इटावा
२४--कायमगंज	फतेहगढ़
२५--शमशाबाद	फतेहगढ़
२६--चकराता	देहरादून
२७--कोटद्वारा	गढ़वाल
२८--देवबन्द	सहारनपुर
२९--ऋषीकेश	देहरादून
३०--रुदौली	बाराबंकी
३१--सैदपुर	गाजीपुर
३२--रानी खेत	अलमोड़ा
३३--हल्दौर	बिजनौर
३४--बड़ौत	मेरठ
३५--हसनपुर	मुरादाबाद
३६--जालौन	जालौन
३७--बिलग्राम	हरदोई
३८--टनकपुर	नैनीताल
३९--खलीलाबाद	बस्ती

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पष्ठ ४६७ पर)

सूची

संख्या	पद	विभाग
१	सिविल जज	नियुक्ति (क)
२	विकास क्षेत्र अधिकारी, बिसवां	नियोजन (क)
३	विकास क्षेत्र अधिकारी, हरगांव	" "
४	एडजुटेन्ट, पी०ए०सी०, ११ बटालियन	नियुक्ति (क)
५	जिला स्वास्थ्य अधिकारी	जन-स्वास्थ्य
६	गन्ना निरीक्षक	उद्योग (ग)
७	चिकित्सा अधिकारी, बारी डिस्पेंसरी।	चिकित्सा (क)

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६९ पर)

प्रतिनिधि मंडल ने गन्ना आयुक्त से निम्नांकित तीन विषयों पर विचार विमर्श किया था:—

(१) हल्द्वानी सेन्टर से गन्ना पूर्ति के सम्बन्ध में,

(२) श्री भोला दत्त कामदार के विरुद्ध शिकायत, और

(३) श्री मेहरोत्रा सीनियर सी०डी०आई० के विरुद्ध शिकायत ।

इन तीनों विषयों पर निम्नांकित कार्यवाही की गई —

(१) समिति के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की इच्छानुसार हल्द्वानी क्षेत्र में स्थित मौजूदा गन्ना क्रय केन्द्र को हटाकर शीशमबाग पर कर दिया गया । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र से अधिक गन्ना उठाने के लिये क्षेत्र का आधा हिस्सा न्योली मिल को दे दिया गया ।

(२) भोला दत्त कामदार का स्थानान्तरण कर दिया था लेकिन बाद में क्षेत्र के बहुत से गन्ना किसानों की मांग के फलस्वरूप तथा उसके खिलाफ की गई शिकायतों को झूठ पाने पर स्थानान्तरण रोक दिया गया ।

(३) श्री मेहरोत्रा सीनियर केन डेवलपमेन्ट इंसपेक्टर का गन्ना पूर्ति से कोई मतलब नहीं है । इस कार्य को जिला गन्ना अधिकारी स्वयं देखते हैं । यह शिकायत केवल स्थानीय चुनाव के कारण हुई प्रतीत होती है । अतएव उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना उचित नहीं प्रतीत हुआ ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

तहसील लखीमपुर के उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् १९६० की बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत हेतु ऋण दिया गया

क्रम-संख्या	नाम	धनराशि जो दी गई	क्रम-संख्या	नाम	धनराशि जो दी गई
१	श्री राम औतार	२५० रुपया	१७	श्री मन्ना लाल	२५० रुपया
२	श्री राम भरोसे लाल	२५० ,,	१८	श्री पट्टर सिंह	१५० ,,
३	श्री मेवा लाल	२५० ,,	१९	श्री गोपी नाथ	२५० ,,
४	श्री मुन्नू लाल	२५० ,,	२०	श्री ओम प्रसाद	५०० ,,
५	श्री कृपा शंकर	५०० ,,	२१	श्री फकीरा सिंह	१५० ,,
६	श्रीमती शर्मीस बेगम	५०० ,,	२२	श्री अब्दुल जलील	२०० ,,
७	श्री वीरेन्द्र कुमार	५०० ,,	२३	श्री मसूद हसन	२५० ,,
८	श्री कन्हैया लाल	२५० ,,	२४	श्री बक्शीश सिंह	१५० ,,
९	श्री दौलत अली	५०० ,,	२५	श्री लालजी प्रसाद	१५० ,,
१०	श्री मंगर लाल	२०० ,,	२६	श्री गुलाम जिलानी खां	५०० ,,
११	श्री जगमोहन सिंह	१५० ,,	२७	श्री कल्लू	२०० ,,
१२	श्री राम प्रसाद	२५० ,,	२८	श्री मुकुट बिहारी	२५० ,,
१३	श्री बाबू राम	१५० ,,	२९	श्री अब्दुल रहीम	२०० ,,
१४	श्रीमती सुशीला देवी	५०० ,,	३०	श्री श्याम सुन्दर सिंह	२०० ,,
१५	श्री पुलान सिंह	१५० ,,	३१	श्री महमूद अली	४०० ,,
१६	श्री सोहन लाल	२०० ,,		योगः	८,६५० रुपया

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--७३ एल० ए०--१९६१--८४५।